द्वितीय माला, खण्ड २४—अंक २५
१९ दिसम्बर, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Sixth Session)

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

312 (Ai) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २४--अंक २१ से २६--१५ दिसम्बर से २० दिसम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से ९३६, ९३८, ९३९, ९४०, ९४२ से ९४७ और ९५० . . . . . २३२१--४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४८, ९४९ और ९५१ से ९६२ . २३४३--६०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६३ से १५३३, १५३५ से १५४१, १५४३ से १५८० और १५८३ से १५८५ . . २३६०--२४०४

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २४०४

याचिका समिति . . २४०५

कार्यवाही सारांश

याचिका समिति . . . २४०५

पांचवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से सन्देश . . . २४०५

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक २४०५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . २४०५

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक . २४०६

मत विभाजन के आंकड़ों की शुद्धि

समितियों के लिये चुनाव . . २४०६-०७

प्राक्कलन समिति २४०६

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड . . . २४०६-०७

जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया २४०८

विधेयक पुरःस्थापित . . २४०८-१०

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८ . २४०८

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८ . . २४०९

	पृष्ठ
(३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ . .	२४०९-१०
(४) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८ .	२४१०
वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	२४११-४९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक	२४४९-५४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . .	२४५४
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	
कार्य मंत्रणा समिति . .	२४५४
तैंतीसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका . . .	२४५५-६२
अंक २२—मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से ९९७, १०३१, ९९८ से १००२ और १००४ से १००८ .	२४६३-८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १००३, १००७ से १०५९ और ५५० . .	२४८७–२५०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १६६२, १६६६ से १६६९, १६७१ से १६७७, १६७९ से १६८० .	२५०९-८७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	२५४८-४९
गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५४९-५०
लोक लेखा समिति	२५५०
ग्यारहवां प्रतिवेदन	
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . .	२५५०
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२५५१-५२
फोलीडोल का यातायात	
देश में तेल की खोज में प्रगति के बारे में वक्तव्य . . .	२५५२–५४
विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२५५४
कार्य मंत्रणा समिति	२५५४
तैंतीसवां प्रतिवेदन	
सत्र की अवधि का बढ़ाया जाना	२५५५
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक—पारित . . .	२५५५
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पारित . . .	२५५६

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २५५६–९९
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५५६–९४
खण्ड २ से ५ और ६ . . . . . २५९९–२६०२
फिल्म उद्योग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . २६०३–१०
दैनिक संक्षेपिका . . . .
अंक २३—बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से १०७४ . . . . . २६११–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ से ११०४, ११०६, ११०७, ११०७क और ११०८ से ११३६ . . . . . . २६३३–६०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १७४२, १७४४ से १९४६, १९४८ से १९६१, १९६३ से १९८६, १९८८ से १९९५, १९९५क, १९९५ख, १९९५ग, १९९५घ, १९९५ङ, १९९५च और १९९५छ . . २६६१—२७९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र २७९२–९३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २७९३
तैंतीसवां प्रतिवेदन
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २७९३
हवाई अड्डों का विकास
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
विशेषाधिकार समिति २७९४–९५
छठा प्रतिवेदन
विनियोग (संख्या ५) विधेयक २७९६
विचार करने का प्रस्ताव २७९६
खण्ड २, ३ अनुसूची और खण्ड १ . . . . . २७९६
पारित करने का प्रस्ताव २७९६
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २७९६–२८१५
खण्ड ६ से १४, १६ से ३५, १५, ३६ से ५७ . . . २७९६–२८१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २८१४–१५
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक २८१५–२५
विचार करने का प्रस्ताव
सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने के बारे में चर्चा २८२५–४३

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	२८४३–४६
दैनिक संक्षेपिका	२८४७–६२
अंक २४––गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४३ से ११४७ और ११४९	२८६३–८२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . .	२८८२-८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४१, ११४२, ११४८, ११५० से ११६८, ११६८क, ११६८ख, ११६९ से ११७६, ११७६क, ११७७, ११७७क, ११७८ से ११८०, ११८०क और ११८१ . . .	२८८४–२९००
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ से २०१४, २०१६ से २१३१, २१३१क, २१३१ख, २१३१ग और २१३१घ	२९००–५७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में .	२९५७–६०
संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन	
सभा पटल पर रखे गये प	२९६०-६१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	२९६१
तीसवीं से चौतीस ीं बैठकों के कार्यवाही सारांश	
याचिका समिति	२९६१
तेईसवीं बैठक का कायवाही सारांश	
सदस्यों की अ ुपस्थिति सम्बन्धी समिति	२९६१
ग्यारहवां प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२९६१-६२
शस्त्र विधेयक––पुरःस्थापित . .	२९६२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	२९६३–७३
विचार करने का प्रस्ताव	२९६३–७१
खण्ड २ और १ . .	२९७१
पारित करने का प्रस्ताव .	२९७१–७३
चलचित्र (संशोधन) विधेयक .	२९७३–८२
विचार करने का प्रस्ताव	
गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव . .	२९८२–३००७
कुलटी की भट्टियों के बन्द हो जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	३००७–१२
दैनिक संक्षेपिका . .	३०१३–२१

पृष्ठ

अंक २५--शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११८२, ११८३-क, ११८४ से ११८७, ११९० से ११९३ और ११९५ से ११९८ ... ३०२३--४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ... ३०४५--५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११८३, ११८३-क, ११८८, ११९४, ११९९ से १२०६, १२०८ से १२२१ और १२२३ से १२४९ ... ३०५०--७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२०१ और २२०३ से २२१८ ... ३०७३—३११३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ... ३११३

जानकारी का प्रश्न ... ३११३-१४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३११४—१६

राज्य सभा से संदेश ... ३११६

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ... ३११६

चौथा प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ... ३११६

बत्तीसवां प्रतिवेदन

सदस्य द्वारा क्षमा याचना ... ३११७

चलचित्र (संशो न) विधेयक ... ३११७—३१

विचार करने का प्रस्ताव ... ३११७—२५

खण्ड २ से ६ और १ ... ३१२५--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... ३१३१

तैंतीसवां प्रतिवेदन

देश में भूमि सुधार की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये एक समिति के बारे में संकल्प ... ३१३१—५१

देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प ... ३१५२

आन्ध्र में चीनी के सहकारी कारखानों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ३१५२--६०

दैनिक संक्षेपिका ... ३१६१--६९

अंक २६--शनिवार, २० दिसम्बर, १९५८

सभा पटल पर रखे गये प ... ३१७१-७२

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ... ३१७२

दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ... ३१७३

दसवीं व ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

	पृष्ठ
राज्य-सभा से संदेश .	३१७३
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक . .	३१७३
राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३१७४
आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों का अस्थायी रूप से हटाया जाना	
अनुपस्थिति की अनुमति . .	३१७४
तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर की शुद्धि	३१७५
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक	३१७५—७६
विचार करने का प्रस्ताव . . .	३१७५—७८
खण्ड २ और १ .	३१७६
पारित करने का प्रस्ताव . .	३१७६
विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक	३१७६—८४
विचार करने का प्रस्ताव .	३१७६—८४
खण्ड १ और २ .	३१८४
पारित करने का प्रस्ताव .	३१८४
लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक . . .	३१८४—९६
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा से सहमत होने का प्रस्ताव	
लोक तिनिर्मि त्व (संशो न) वि यक .	३१९६—३२३०
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३१९६—३२१५
खण्ड २ से १४, १६ और १८ से २३, २८-क और २८-ख, १५, १७, २६, ३० से ३७ और १	३२१५—३०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३२३०
उड़ीसा बांट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक .	३२३१
विचार करने का प्रस्ताव	३२३१
खण्ड २, ३ और १	३२३१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	३२३१
आन्ध्र में चावल की वसूली के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२३१—३८
दैनिक संक्षेपिका . .	३२३९—४१
छटे सत्र का कार्यवाही सारांश	३२४१—४४

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री रघुनाथ सिंह किलेदार (होशंगाबाद)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय उच्चायुक्त के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रचार

†११८२. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री १ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के विरुद्ध पाकिस्तान के कुछ समाचारपत्रों द्वारा किये गये कलुषित प्रचार के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा भेजे गये विरोध पत्र का पाकिस्तान सरकार से उत्तर मिला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह उत्तर किस प्रकार का है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर पत्र-व्यवहार के पश्चात् भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार में यह तय पाया गया कि मामला अब बन्द कर दिया जाना चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इसी प्रकार के अन्य विरोध पत्रों के सम्बन्ध में भी भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जब तक माननीय सदस्य किसी विशेष मामले को नहीं बतायेंगे तब तक एक सामान्य उत्तर देना मेरे लिये संभव नहीं है । पाकिस्तानी समाचार पत्रों के इस रवैये के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करना निरर्थक था । जो कुछ उस ने कहा था उस का कोई आधार नहीं था । हम ने उस को अस्वीकार किया जिस का उत्तर पाकिस्तान सरकार ने दे दिया और पत्र-व्यवहार बन्द कर दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों के मजदूरों को लाभांश

+

*११८३-क. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों में साप्ताहिक वेतन प्राप्त मजदूरों को साप्ताहिक लाभांश तथा मासिक वेतन प्राप्त मजदूरों को मासिक लाभांश देने की किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है जिस से कोयले का उत्पादन बढ़ सके ?

(ख) क्या इन योजनाओं की क्रियान्विति आरम्भ हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस के क्या परिणाम निकले ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) से (ग). कोयले की खानों के मजदूरों को लाभांश देने के समस्त प्रश्न पर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

†**श्री बहादुर सिंह :** उस योजना को लागू करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह बताना कठिन है। परन्तु हम झरिया कोयले की खानों के क्षेत्र के मजदूरों का सांख्यकी सर्वेक्षण कर रहे हैं तथा आशा है कि सर्वेक्षण लगभग ४ से ५ महीनों में समाप्त हो जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या कोयला खानों की औद्योगिक समिति, जिस की बैठक अगस्त १९५६ में हुई थी, यह सिफारिश की है कि लाभांश पाने की पात्रता के लिये उपस्थिति सम्बन्धी अर्हता हटा दी जाने चाहिये ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सिफारिश थी। इस सुझाव को लागू करने के लिये हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं परन्तु अभी इस में समय लगेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने बताया कि सांख्यकी सर्वेक्षण किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण किस अभिकरण के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि मुख्य श्रम आयुक्त ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इस की सांख्यकी दे दी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मेरे विचार से इस अभिकरण द्वारा किये गये सर्वेक्षण से अधिक लाभ होगा और इसीलिये सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** ४ अथवा ५ महीनों में ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि झरिया कोयले की खानों का सर्वेक्षण उपस्थिति लाभांश के सम्बन्ध में है तथा मासिक लाभांश के सम्बन्ध में नहीं है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह प्रश्न केवल अनुपस्थिति के सम्बन्ध में है और उपस्थिति लाभांश अथवा मासिक लाभांश—संविहित लाभांश के सम्बन्ध में आपने क्या पुनरीक्षण किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ल० ना० मिश्र : यह कोयले की खानों की मजदूरों के सभी प्रकार के लाभांश के बारे में है :

†श्री स० च० सामन्त : क्या रानीगंज और अन्य क्षेत्रों के भी सर्वेक्षण किये जायेंगे ?

†श्री ला० ना० मिश्र: झरिया कोयले की खानों में नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् हम इस योजना को लागू करेंगे ।

आलू के उप-उत्पाद

†११८४. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आलू के उप-उत्पाद बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक कर्मचारी सम्मेलन

+

†११८५. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संघों तथा फैडेरेशनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन औद्योगिक कर्मचारियों की समस्या पर विचार करने के लिये दिल्ली में बुलाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो किन तिथियों को ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) और (ख) . गैर-सरकारी क्षेत्रों के कुछ औद्योगिक श्रम मामलों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और श्रम संगठनों का एक सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । सम्मेलन का स्थान तथा तिथि अभी तय नहीं की गई है ।

†श्री स० म० बनर्जी : उस सम्मेलन में क्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के विभिन्न उपबन्धों पर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये मान्यता नियमों पर विचार होगा ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : इस समय सरकारी क्षेत्र के नियमों, समवायों आदि के औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार करने का विचार है ।

†श्री तंगामणि : सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कर्मचारियों का सम्मेलन बुलाने पर विचार किया गया था तथा यह बैठक नैनीताल सम्मेलन के विनिर्णयों तथा सिफारिशों के अनुसार बुलाई गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि सम्मेलन किन तिथियों में होगा ।

†श्री नन्दा : जनवरी के मध्य में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० म० बनर्जी : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्मेलन में विचार करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो विभिन्न संघों से क्या कोई सुझाव मंगाये गये हैं ?

†श्री नन्दा : मैं प्रश्न समझा नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न दोहरायें ।

†श्री स० म० बनर्जी : मेरा प्रश्न है कि सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों के कार्य का तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन का भाग लेना भी सम्मेलन में चर्चा का विषय होगा यदि हां, तो विभिन्न संघों तथा फैडेरेशनों से क्या कोई सुझाव मंगाये गये हैं ।

†श्री नन्दा : इस मामले पर विशेष सम्मेलन में विचार होगा ।

†श्री वारियर : राज्य सरकारों के प्रतिनिधि जो सरकारी क्षेत्र के मालिक हैं, क्या इस सम्मेलन में बुलाये जायेंगे ।

†श्री नन्दा : जी हां ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस बैठक की कार्यावलि अन्तिम रूप से बना ली गई है तथा यदि हां, तो क्या लाभ में भागीदारी लाभांश भी एक मद होगी ?

†श्री नन्दा : यह सम्मेलन अनुशासन संहिता तथा औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था के प्रश्न पर मुख्यतः विचार करेगा ।

†श्री त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सम्मेलन विभिन्न कारखानों में सुविधायें देने के सम्बन्ध में मजदूरों की विभिन्न मांगों पर विचार के लिये ही केवल बुलाये जाते हैं तथा काम की किस्म तथा मात्रा के सम्बन्ध में मजदूरों के कर्तव्य तथा जिमेदारियों पर विचार के लिये नहीं ?

†श्री नन्दा : यह सम्मेलन मुख्यतः कर्मचारियों के कामों के सम्बन्ध में विचार करेगा ।

†श्री सिंहासन सिंह : क्या सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्धक मामलों में कर्मचारियों के सहयोग पर भी विचार होगा ?

†श्री नन्दा : उस के लिये अलग योजना---प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी योजना---है ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या विभिन्न फैडेरेशनों तथा संघों को इस महीने के अन्त में आमंत्रण पत्र भेज दिये जायेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह सम्मेलन जनवरी के मध्य में होने वाला है, इसलिये ठीक समय पर सूचना अवश्य दी जायेगी ।

†श्री तंगामणि : क्या उन संघों जिस के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी है जैसे हिन्दुस्तान मशीन टूल को आमंत्रित किया जायेगा ? क्या मजदूरों के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रण पत्र भेजे जायेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : यह सब सुझाव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में एक कारखाने के प्रबन्ध में मजदूरों की साझीदारी है। मैं जानना चाहता हूं कि उस संघ अथवा प्रबन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जायेगा ?

†श्री नन्दा : यह एक भिन्न प्रकार का प्रश्न है। हम अनुशासन संहिता तथा औद्योगिक संबंधों पर विचार करने जा रहे हैं इस लिये इस से सम्बन्धित संगठन बुलाये जायेंगे।

लौह-अयस्क

†*११८६. श्री श्रीनारायण दास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क संसाधन, परिवहन तथा पत्तन सुविधाओं के विकास की संयुक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में पश्चिम योरोप देशों से बातचीत समाप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो बात चीत किस स्थिति पर है; और

(ग) किन देशों से बात चीत हो रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) बात चीत अभी प्रारम्भिक स्थिति में है।

(ग) इटली तथा पश्चिमी जर्मनी से।

†श्री श्रीनारायण दास : बात चीत किसी गैर-सरकारी सार्थ से हो रही है, अथवा उस देश की सरकार से हो रही है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इटली के मैसर्स फिन्सिडर से बात चीत हो रही है। यह इटली में सरकार द्वारा प्रबन्धित संगठन है।

†श्री श्रीनारायण दास : किस तिथि तक यह बात चीत समाप्त हो जायेगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस समय निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता है। अक्तूबर में बातचीत हुई थी तथा उन्हों ने मामले पर विचार कर के हमें बताने के लिये वादा किया था।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या यह बात चीत करवार पत्तन सुविधाओं के सम्बन्ध में हैं जिस से वहां से लौह तथा मैंगनीज अयस्क उठाये जा सकें ? रूमानिया सरकार के भी प्रस्ताव हैं। क्या उस पर विचार किया जा रहा है ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह प्रस्ताव मंगलौर पत्तन के विकास तथा उस पत्तन तक रेलवे सुविधाओं के सम्बन्ध में है। अनुमानित व्यय लगभग ४५ करोड़ रुपये है। यदि इटली तथा जर्मनी के निवासी इन सुविधाओं के विकास में हमारी सहायता करें तो प्रस्ताव संपन्न हो सकता है।

†श्री रंगा : क्या लौह-अयस्क के निर्यात की सुविधा के लिये पूर्वी तट पर पत्तन और परिवहन सुविधाओं का विकास करने के लिये विशेष कार्यवाही की जा रही है। हाल में ही हम ने सुना था कि जापानी इन में रुचि ले रहे हैं। तथा जांच कर रहे हैं। इन बात-चीतों की क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : रूरकेला-विभाग योजना के विकास की बात चीत समाप्त हो चुकी है तथा अमेरीकी राष्ट्रपति की एशिया विकास निधि से ऋण उपलब्ध हो जायेगा। ऋण लेने में जापान ने हमारी सहायता की है।

†श्री रंगा : परन्तु नहर परिवहन के विकास की क्या स्थिति है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : नहर परिवहन से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न परिवहन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये। माननीय सदस्य जानते हैं कि हम ने बकिंघम नहर के विकास के बारे में निर्णय किया है। परन्तु मैं नहीं बता सकता क्या प्रगति हुई है।

†श्री वि० च० शुक्ल : यह बात चीत ऊंची किस्म के लौह-अयस्क की बिक्री के सम्बन्ध में है अथवा घटिया किस्म के लौह-अयस्क की बिक्री के सम्बन्ध में ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह बात चीत घटिया किस्म के लोहे के सम्बन्ध में है। जो प्रविधिज्ञ इटली से आये उन का विचार था कि वह हमारा घटिया किस्म का लोहा उपभोग में ला सकेंगें।

†श्री पाणिग्रही : भारत के किस भाग से इस लौह-अयस्क का इन पश्चिमी देशों, इटली तथा जर्मनी को निर्यात होगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : बेल्लारी, होजपट, तथा चिकमंगलौर जिले से।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या करवार पत्तन के वास्तविक दावे के मुकाबले में मंगलौर के दावे को प्रस्तुत करने में वाणिज्य मंत्रालय का भी हाथ है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इन मामलों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाता है। इस समय मंगलौर पत्तन के विकास का प्रस्ताव है क्योंकि लौह अयस्क के निर्यात के लिये यह अधिक उपयुक्त है।

†श्री आचार : क्या इटली की सरकार ने मंगलौर पत्तन के विकास के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय कर लिया है ?

†श्री सतीश चन्द : यह प्रस्ताव हमने किये थे। ७·२० लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये किसी बड़े पत्तन का विकास करना नितांत आवश्यक है। इसलिये हमारे विचार से मंगलौर पत्तन के विकास से यह संभव था और बातचीत की जा रही है।

इमारतों के निर्माण के लिये रखे गये श्रमिक

†*११८७. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इमारतों के निर्माण के लिये रखे गये श्रमिकों के कार्य तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिये जो विधान प्रस्तुत किया जा रहा था वह किस अवस्था में है; और

(ख) उक्त विधेयक को पुर:स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). इस सुझाव की जांच की गई है। निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को काम के समय, अतिरिक्त समय, साप्ताहिक अवकाश,

†मूल अंग्रेजी में

मजदूरी निश्चित करने, काम करते समय जख्मी होने का प्रतिकर, विहित अवधि में मजूरी का भुगतान करने आदि के बारे में निम्नतम मजूरी अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम, श्रमिक प्रतिकर अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होते हैं। इन परिस्थितियों में निर्माण श्रमिकों के लिये अलग विधान बनाना आवश्यक नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : अक्तूबर, १९५० को हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में सर्व-सम्मति से यह सिफारिश की गई थी कि निर्माण उद्योग में रखे गये श्रमिकों के कार्य की शर्तों को विनियमित करने के लिये अलग विधान बनाया जाये। बाद में किन आधारों पर यह इरादा छोड़ दिया गया था ?

†**श्री आबिद अली** : ऐसे विधान की आवश्यकता की जांच करने का सुझाव दिया गया था। मैंने बताया है कि सुझाव की जांच की गई थी और परिणाम की घोषणा कर दी गई है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सुझाव का परीक्षण करने के लिये नहीं कहा गया था बल्कि यह सुझाव दिया गया था कि शीघ्र ही विधान बनाने के लिये कार्यवाही की जाये। वह स्थायी श्रम-सम्मेलन की कार्यवाही के व्यौरे को देखें।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मन्त्रालय का यह निष्कर्ष समिति को वापस भेजा जायेगा और यदि समिति की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं होगी तो और विचार किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि** : माननीय उपमंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम निर्माण उद्योग के श्रमिकों पर लागू होता है। क्या सभी राज्यों ने इसे स्वीकार करते हुए इन श्रमिकों की निम्नतम मजूरी निश्चित कर दी है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां। लगभग सभी राज्यों ने इस अधिनियम को इन निर्माण श्रमिकों पर लागू कर दिया है।

†**श्री तंगामणि** : कम से कम कितनी मजूरी दी जाती है ?

†**श्री आबिद अली** : वह ९ आने से ४.५० रुपये तक है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सभा-पटल पर रखे गये कार्यवाही सारांश में से वह सिफारिश पढ़ कर सुनाऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि ऐसी बात है तो यह मामला पुनः समिति को सौंपा जायेगा और आगे विचार किया जायेगा।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या इमारतों के निर्माण के लिये श्रमिकों की सहकारी संस्थायें बनाई जायेंगीं और क्या ठेकेदारों की बजाये इन सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री नन्दा** : कई स्थानों पर यह सहकारी संस्थायें बनाई जा रही हैं और इनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिये।

†**श्री प्र० च० बोस** : क्या सरकार ने निर्माण श्रमिकों की भविष्य निधि, उपदान अथवा वृद्ध अवस्था के लिये कोई व्यवस्था करने के बारे में विचार किया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : उन्हें अस्थायी कामों के लिये उन्हें अस्थायी तौर पर रखा जाता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ?

†**श्री आबिद अली** : सभी जानते हैं कि संख्या बहुत अधिक है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्माण उद्योग में रखे गये श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने वाली केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना को जारी किये तीन वर्ष बीत चुके हैं क्या न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने के लिये, जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : सम्बन्धित समिति समय-समय पर इस पर विचार करती है।

†**श्री त्यागी** : क्या इन नियमों, विनियमों अथवा विधियों द्वारा निश्चित की गई न्यूनतम मजूरी का उस काम की मात्रा से कोई सम्बन्ध है जो इस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों से प्रतिदिन लिया जाता है ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे ख्याल से इनमें कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या समय न कि काम की मात्रा के अनुसार मजूरी दी जाती है।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि काम चाहे हो या न हो मजूरी दे दी जाती है ?

†**श्री नन्दा** : न्यूनतम मजूरी कुछ समय के आधार पर निश्चित की जाती है और कई बार काम की मात्रा के अनुसार भी भुगतान किया जाता है।

†**श्री त्यागी** : क्या उस समय को आधार माना जाता है जब तक श्रमिक काम करते हैं या कि जितना समय वे उपस्थित रहते हैं ?

†**श्री नन्दा** : इसका सम्बन्ध प्रशासन से है।

†**श्री त्यागी** : इसका सम्बन्ध श्रम मन्त्रालय से ही है। यह उन्हीं का उत्तरदायित्व है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या समय के साथ-साथ काम की भी कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित की गई है।

†**श्री नन्दा** : कोई भी नियोजक बिना काम कराये मजूरी नहीं देता।

†**श्री त्यागी** : यह तो केवल कल्पना है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से पता लगाया गया है कि क्या अन्य देशों में भी ऐसे विधान हैं ?

†**श्री आबिद अली** : उनके पास इस बारे में कुछ आंकड़े हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्युमिनियम और सीमेण्ट के कारखाने

+

†*११९०. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री भक्त दर्शन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्युमिनियम और सीमेंट उद्योगों में एक-एक कारखाना और लगाने के बारे में मैसर्ज कैसर इंजीनियरिंग ओवर्सीज़ कारपोरेशन, कैलेफोर्निया (अमरीका) से बातचीत हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) एल्यूमिनियम और सीमेंट के प्रस्तावित कारखाने कहां खोले जायेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अल्युमिनियम का कारखाना

(क) से (ग). देश में अल्युमिनियम का कारखाना लगाने के लिये भारत सरकार मैसर्स कैसर इंजीनियरिंग ओवरसीज़ कारपोरेशन कैलेफोर्निया (अमरीका) से बातचीत नहीं कर रही है । मैसर्स बिरला ग्वालियर (प्राइवेट) लिमिटेड, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रिहन्द स्थान पर एल्यूमिनियम का कारखाना लगाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एक आवेदन पत्र भेजा है, टैक्नीकल सहयोग के अमरीका के मैसर्ज कैसर इंजीनियरों की सेवायें प्राप्त करना चाहते हैं। सरकार ने मैसर्ज कैसर इंजीनियर्स को परियोजना का इंजीनियरिंग अध्ययन करने की अनुमति दे दी है और परियोजना प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सीमेंट का कारखाना

(क) ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सीमेंट के कारखाने के बारे में भारत सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है परन्तु कुछ गैर सरकारी समवाय बातचीत कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि मेसर्स बिड़ला ग्वालियर ने जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उस फ़र्म ने क्या गवर्नमेंट को कुछ सहायता या लोन के लिए एप्रोच किया है ?

श्री मनुभाई शाह : अभी तक तो नहीं किया है लेकिन चूंकि बड़ी इंडस्ट्री है इसलिये शायद बाद में आ भी जाय ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दासप्पा** : यह कहा गया है कि अल्युमिनियम और सीमेंट के कारखानों के बारे में भारत सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है बल्कि कुछ गैर सरकारी समवाय बातचीत कर रहे हैं। क्या यह सच है कि सारंगापाणि मुदालियर द्वारा स्थापित की गई एक फर्म ने सीमेंट के कारखाने के लिये किसी विदेशी समवाय का सहयोग प्राप्त कर लिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि कुछ गैर सरकारी समवायों और मैसर्ज कैसर में बातचीत चल रही है। परन्तु सरकारी और औपचारिक तौर पर हमसे स्वीकृति नहीं मांगी गई है। इसके इलावा अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति देने के बारे में बड़ी सावधानी से विचार करना पड़ेगा। यदि हम देखते हैं कि सीमेंट फालतू है तो पहले से यह बताना कठिन होगा कि जब आवेदन पत्र मिलता है तो सरकार का रवैया क्या होगा।

†**श्री दासप्पा** : क्या मैसूर की इस फर्म ने सरकार से लाइसेंस नहीं मांगा है और क्या यह सच नहीं कि दो वर्ष पहले सरकार ने सीमेंट का आयात किया था और शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्यक्रम के कारण सीमेंट की मांग बढ़ जायेगी।

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या सरकार ने इस सीमेंट के कारखाने के बारे में मैसर्ज कैसर के साथ कोई बातचीत की है। हम जानते हैं कि दो समवाय उनसे बातचीत कर रहे हैं परन्तु दोनों समवायों के साथ करार होने के बारे में हमें कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई है और हमारे देश में सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा छानबीन करने और उनका अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी ऐसे करार की स्वीकृति नहीं दी जाती जिसमें एक पक्ष विदेशी हो।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या बाक्साइट परियोजना मद्रास राज्य के सैलम परियोजना से अलग है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सैलम परियोजना से अलग है। इसके बारे में भी एक गैर-सरकारी समवाय बातचीत कर रहा है।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, तुमकुर जिले के चिरान्यवन हल्ली तालुक में सीमेंट का कारखाना खोलने की अनुमति मांगी है।

†**श्री मनुभाई शाह** : कई राज्य सरकारों ने हम से अनुमति मांगी है। उन्होंने हमें लिखा है। मैसूर के मुख्य मंत्री भी इसके लिये आग्रह कर रहे थे।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या मद्रास राज्य में स्थापित किये जाने वाला ऐल्यूमिनियम का कारखाना भी इस बातचीत में शामिल है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा को यही बताना चाहता था कि यह बातचीत होती रहती है और जब अन्तिम रूप दिया जाना होता है तभी उसे सरकार के पास भेजा जाता है ताकि उसकी पुष्टि की जाये अथवा उसमें रूपभेद किया जाये। जब तक सरकार करार का अनुमोदन और उसे स्वीकृत नहीं करती तब तक वह लागू नहीं होगा।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री ने जो विवरण सभापटल पर रखा है उससे ज्ञात होता है कि मेसर्स बिड़ला ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश रिहन्द में एक अल्यमिनियम का कारखाना स्थापित करने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इस कारखाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को और इस कम्पनी को क्या सहायता केन्द्र की ओर से दी जा रही है और कब तक उसकी स्थापना हो जायेगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : केन्द्रीय सरकार जितनी सहायता हो सके, सब संभव सहायता दे रही है । उसका जुएलाजिकल सर्वे भी हो रहा है, एलेक्ट्रिसिटी के प्राविज़न की भी हम देखभाल कर रहे हैं और उस को किस तरीके से टेकनिकली सक्सैसफुल बनाया जाय और १० हज़ार टन से बढ़ा कर २० हज़ार टन की उसकी कैपेसिटी की जाय, इस बारे में सब ज़रूरी हिदायतें दे रहे हैं और आवश्यक कार्यवाहियां कर रहे हैं ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस एल्यूमिनियम कारखाने की कुल क्षमता क्या होगी, इस में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और क्या यह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी इन बातों पर विचार हो रहा है । रिहंद परियोजना की क्षमता २०,००० टन अल्युमिनियम और सैलम की १०,००० टन होगी ।

जहां तक सैलम का सम्बन्ध है । यदि प्रत्येक कार्य व्यवस्थित रूप में चलता रहे तो दोनों परियोजनायें पूरी होने की सम्भावना है और सरकार द्वारा योजनायें स्वीकार कर देने पर तीन या चार वर्ष में यह कारखाने कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं । सम्पूर्ण रिहन्द फैक्टरी में लगभग ८,००० से १०,००० व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है तथा सैलम परियोजना में ४,००० से ५,००० व्यक्तियों की खपत हो जायेगी ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के अन्दर कोई फर्टिलाइज़र फैक्टरी स्थापित करने की योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : सीमेंट से फर्टिलाइज़र का क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री तंगामणि** : विवरण और माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर में यह प्रकट है कि इस अल्यूमीनियम कारखाने के सम्बन्ध में अमेरिका के मैसर्स कैसर इंजीनीयर्स से वार्ता पूरी हो गई है और कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । क्या इस पैतूर में अल्यूमीनियम फैक्टरी स्थापित करने की बातचीत प्रारम्भ अथवा समाप्त हो गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी वह समाप्त नहीं परन्तु प्रारम्भ हुई है ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश में कटनी और बीरसिंहपुर में अल्यूमीनियम फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि वहां एक कारखाना होना चाहिये । जैसे ही संसाधन उपलब्ध हुए और देश की आवश्यकता का विस्तार हुआ तो इन सब विषयों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार द्वारा बिड़ला का प्रस्ताव मंजूर करने के पहले क्या उद्योग मंत्री मैसूर सरकार के श्री निजलिंगप्पा द्वारा प्रस्तुत इस सुझाव से अवगत हैं कि जर्मनी के कुछ औद्योगिक बेलगाम में एक अल्यूमीनियम कारखाना स्थापित करेंगे और वही इसका विकास करेंगे तथा सात वर्ष पश्चात् लौट जायेंगे किन्तु इसे इसलिये रद्द कर दिया गया कि उससे उद्योगपति सम्बद्ध थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार का कोई ठोस प्रस्ताव हमें नहीं मिला । आजकल प्रत्येक राज्य सरकार भारी उद्योगों की स्थापना में रुचि रखती है और वह समय-समय पर विभिन्न प्रस्ताव

† मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती रहती है—इन सब पर इनके महत्व के अनुसार विचार किया जाता है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैं उस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे ।

राष्ट्रपति की जापान यात्रा के समाचार भेजने वाले समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि

+

*११९१. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है राष्ट्रपति जी ने जापान की जो राजकीय यात्रा की थी, तब उन के साथ भारतीय समाचार-पत्रों के कुछ प्रतिनिधि भी भेजे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उस यात्रा के लिये चुने गये समाचार-पत्रों, उनके प्रतिनिधियों, उनकी भाषाओं व उनके प्रकाशन स्थानों का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इन समाचार-पत्रों का च्यन किस आधार पर किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण लोक सभा की मेज़ पर रखा जा रहा है ।

(ग) ऐसे चुनाव में यह कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा अखबारों को प्रतिनिधित्व मिल सके जिसमें देशी भाषा पत्र भी शामिल हों । इस यात्रा के लिये यह खास शर्त थी कि सम्बन्धित पत्र जापान में होने वाले खर्च को बरदाश्त करने के लिये तैयार हों । केवल हवाई जहाज़ द्वारा सफर का प्रबन्ध सरकार दे रही थी । इस में सिर्फ ऐसे पत्रों को ही शामिल किया गया जो इस शर्त के लिये तैयार थे ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है यह काफी दिलचस्प मालूम पड़ता है, इस दृष्टिकोण से कि जो १२ व्यक्ति भेजे गये उनमें से एक तो प्रेस ट्रस्ट आव इंडिया के प्रतिनिधि हैं, बाकी व्यक्तियों में दो विशुद्ध अंग्रेजी पत्रों के प्रतिनिधि हैं, और आठ व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्यतया अंग्रेजी पत्रों के प्रतिनिधि हैं लेकिन उनके साथ भारतीय भाषाओं के नाम भी जोड़ दिये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं । यह प्रश्न काल है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारतीय भाषाओं के पत्रों का भी ध्यान रखा जाता है, तो इतनी संख्या में अंग्रेजी पत्रों के प्रतिनिधि क्यों भेजे गये ?

†**डा० केसकर** : इस विशेष यात्रा के सम्बन्ध में प्रेस प्रतिनिधियों को ले जाने का निर्णय यात्रा प्रारम्भ होने के तीन दिन पहले ही किया गया था । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हम केवल तीन दिन पहले ही यह बात जान सके कि राष्ट्रपति की जापान यात्रा में प्रेस प्रतिनिधि भी सम्मिलित

†मूल अंग्रेजी में

रहेंगे । तीन दिन में यह सम्भव नहीं था कि सब समाचार-पत्रों से सम्पर्क स्थापित कर इसका निर्णय किया जाये । अतः दिल्ली स्थित मान्यता प्राप्त संवाददाताओं से पूछा गया कि क्या उनके समाचार-पत्र उन्हें भेजने के इच्छुक हैं । इस विषय में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई जो कई पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि अधिक पत्र इस घटना का प्रकाशन कर सकें ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि केवल तीन दिन की अवधि में ही पत्रप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया । इन प्रतिनिधियों के चुनाव में विलम्ब के क्या कारण हैं और इतने कम समय में इनका चुनाव क्यों किया गया ?

†**डा० केसकर** : मैं इस विषय का स्पष्टीकरण यहां नहीं कर सकता हूं । माननीय संदस्यों को स्मरण होगा कि राष्ट्रपति की यात्रा के लिये चार्टर्ड विमान के सम्बन्ध में निर्णय भी काफी विलम्ब से किया गया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि सरकार ने इस विषय का निर्णय करने में काफी समय लगाया कि राष्ट्रपति चार्टर्ड विमान से यात्रा करेंगे अथवा सामान्य विमान से करेंगे ?

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि इस तरह के जितने भी पत्र सम्वाददाताओं के दल भेजे गये हैं, जैसे पिछले दिनों एक दल मास्को हवाई जहाज द्वारा भेजा गया था, और अब महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ जो दल गया है, उनमें एक ही प्रकार के पत्रप्रतिनिधि छांट लिये जाते हैं और दूसरे पत्रों के प्रतिनिधियों को कोई अवसर नहीं दिया जाता ?

†**डा० केसकर** : मैं माननीय सदस्य की धारणा से सहमत नहीं हूं । इस बात के लिये पूरा प्रयत्न किया गया था अधिक पत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जायें और हम इस बात के लिये भी विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते हैं कि देशी भाषाओं के पत्र प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जायें । लेकिन जब आंशिक रूप में खर्च वहन करने का प्रश्न उत्पन्न होता है तो देशी भाषाओं के पत्र प्रतिनिधियों को इसके लिये सहमत करना अत्यन्त कठिन है । और जब यह यात्रा बगैर खर्च होती है तो प्रत्येक व्यक्ति जाने के लिये तत्पर रहता है और निस्संदेह ही हमें इनका चुनाव करना पड़ता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जब आंशिक खर्च को स्वयं समाचारपत्र वहन करता है तो क्या यह अनुचित नहीं है देशी भाषाओं के छोटे छोटे पत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिये पर्याप्त समय दिया जाये । छोटे पत्रों का ठीक चुनाव करने के लिये पहले से ही विचार क्यों नहीं किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दे दिया गया है ।

†**डा० केसकर** : चाहे यह छोटा समाचार पत्र हो अथवा बड़ा—यह तो परस्पर सम्बन्धित है । मान लीजिये हम पांच या दस व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमण्डल भेजते हैं तो सैकड़ों समाचार पत्र हैं; हमें इनका चुनाव करना पड़ता है और यथासम्भव अधिक संख्या में इन्हें सम्मिलित करना पड़ता है । उसका कोई विकल्प नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*११९२. **श्री मुरारका** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना में दो भाग (भाग क और ख) में सम्मिलित की जाने वाली परियोजनाओं की सूची तय कर ली गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति लोक सभा के पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) इस सूची को तय करने में किन सिद्धान्तों का अनुकरण किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद् के हाल के निर्णय से प्रभावित हुई मुख्य परियोजनाएं उन पत्रों में बताई जायेंगी जो अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

†**श्री मुरारका** : माननीय योजना मंत्री ने सैशन के प्रारम्भ में कहा था कि सैशन समाप्त होने के पहले ही वह इसे लोक सभा के पटल पर रखेंगे । उस पत्र का अभी तक क्या किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : हमने लोक सभा के समक्ष अनेक पत्र प्रस्तुत किये हैं । इस विषय में अनेक प्रकार का ब्यौरा सम्मिलित है और योजना के आकार के सम्बन्ध में दृढ़ निश्चय कर लेने पर ही उनका उपबंध किया जा सकता है । अब ऐसा कर लिया गया है और अगले पत्र में इसे बता दिया जायेगा ।

†**श्री मुरारका** : क्या कोई ऐसी योजना भी है जो सामान्यतया योजना में सम्मिलित नहीं थी और अब सम्मिलित कर ली गई है और यदि हां, तो इस योजना के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**श्री नन्दा** : यह जानकारी भी उस पत्र में रहेगी । इस प्रकार की कुछ योजनाएं हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या परियोजनाओं को सम्मिलित करने अथवा न करने के सम्बन्ध में सरकार किसी प्रकार के प्राथमिकता सिद्धान्त से नियंत्रित है ?

†**श्री नन्दा** : निसंदेह ही यह योजना का सार है ।

†**श्री त्यागी** : स्वविवेक और अन्तिम मंजूरी का अधिकार किसके पास है ? यह राष्ट्रीय विकास परिषद् पर है अथवा मंत्रिमण्डल पर है ?

†**श्री नन्दा** : इन सब बातों का निर्णय अन्ततः केबिनेट ही करती है ।

†**श्री रामी रेड्डी** : इस बात को घ्यान में रखते हुए कि सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी जाती है मैं यह जानना चहता हूं कि क्या उर्वरक कारखाने योजना के भाग क में सम्मिलित किये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जहां तक उर्वरक परियोजनाओं का सम्बन्ध है हमने सभा के समक्ष परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है । रूरकेला, निवेली में यह परियोजनाएं और सिन्दरी में इसका विस्तार पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है । बम्बई में भी एक प्रारम्भ कर दिया गया है । बम्बई में भी एक उर्वरक परियोजना स्थापित की जा रही है और आशा है कि १९६१ तक हम ३ लाख ८० हजार टन नाइट्रोजन अथवा १ लाख ९० हजार टन अमोनियम सलफेट उत्पादन की क्षमता रखेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : योजना के भाग ख की राष्ट्रीय विकास परिषद् में की गई आलोचना कहां तक सही है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ल० ना० मिश्र : राष्ट्रीय विकास परिषद् की अन्तिम मीटिंग में यह बताया गया था कि स्वयं भाग क के लिये संसोधन ढूंढ़ना सुविधाजनक नहीं है। अत: भाग ख के प्रश्न पर उस अवस्था पर कदाचित ही घ्यान दिया जा सकता है।

†श्री न०रा० मुनिस्वामी : जब भी कोई परियोजना भाग क अथवा भाग ख से अलग की जाती है तो क्या उसे कारण सहित लोक सभा के पटल पर रखा जाता है ?

†श्री नन्दा : यह सब जानकारी उस पत्र में दे दी जायेगी जिसका यहां निर्देश किया गया है।

श्रीमती सुधा जोशी को कारावास से मुक्ति

+

†*११९३. श्रीमती मफ़ीदा अहमद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अगाडी :
श्री सरजू पाण्डे :
श्री र० च० व्यास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री आसर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुधा जोशी को कारावास से मुक्त कराने में संयुक्त अरब गणराज्य के कार्यकारी राजदूत की गोआ यात्रा का क्या परिणाम हुआ है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : भारत सरकार की प्रार्थना पर संयुक्त अरब गणराज्य के कोंसिलर श्री सलाह अल-अब्द १९५८ के अक्तूबर के अंत में गोआ गये थे। उनकी रिपोर्ट मिल गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान श्री अब्द ने गोआ के कार्यकारी गवर्नर जनरल के साथ भारतीय हितों को प्रभावित करने वाले और विशेष रूप से श्रीमती सुधा जोशी की कारावास से मुक्ति के प्रश्न पर चर्चा की। हम तो केवल आशा ही करते हैं कि श्री सलाह अल-अब्द के प्रयत्न सफल सिद्ध हों।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या सरकार को यह पता चला है अथवा सरकार को कोई सूचना मिली है कि श्रीमती सुधा जोशी की कोठरी के रोशनदान बन्द कर दिये गये हैं और अब वह अंधेरी कोठरी बन गई है जिसमें न तो किवाड़ हैं न ही कोई रोशनदान ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह सही नहीं है।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : ठीक-ठीक स्थिति क्या है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कमरे में काफी धूप और हवा आती है।

†श्री वाजपेयी : क्या यह सही है कि गोआ में हमारे बंदियों से पुर्तगाली प्राधिकारी ठीक बर्ताव नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने ब्रिटेन और अमरीका का घ्यान इस मामले की ओर आकर्षित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि की है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** माननीय सदस्य का सामान्य वक्तव्य सही नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय उपमंत्री ने बताया कि निसृष्ट दूत द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में श्रीमती सुधा जोशी की रिहाई का भी उल्लेख किया गया है । क्या उन्होंने यह कार्य शीघ्र सम्पन्न करने के हेतु भारत सरकार को कुछ और कार्यवाही करने का भी सुझाव दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इस मामले में कोई कार्यवाही करने का उन्होंने सुझाव नहीं दिया है । उन्होंने सामान्य परिस्थितियों और कुछ मामलों के बारे में सूचना भेजी है जिनके बारे में साधारण राजकीय कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि पुर्तगाल की सरकार श्रीमती सुधा जोशी को यथासम्भव शीघ्र रिहा करने का विचार कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** गत कुछ सप्ताह से उनकी रिहाई की सम्भावना के समाचार सुनने में आ रहे हैं । इसी लिये प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि आशा है कि वह रिहा कर दी जायेंगी परन्तु मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** श्रीमती सुधा जोशी को जेल गये तीन वर्ष से अधिक हो चुके हैं और अपने परिवार के लिये वही आजीविका कमाती थी ; क्या सरकार ने उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मालूम नहीं सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी या नहीं । यदि श्रीमती सुधा जोशी के परिवार को किसी सहायता की आवश्यकता हो तो सरकार अवश्य देगी । शायद कोई सहायता नहीं मांगी गई । उन के बारे में यह झगड़ा चल रहा है कि वह भारतीय राष्ट्रजन हैं या नहीं इस लिये हम ने कुछ समय पूर्व उनके पति की राष्ट्रीयता के बारे में कागजात भजे थे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** प्रधान मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि संयुक्त अरब गणराज्य के निसृष्ट दूत ने कोई सुझाव नहीं दिया और सरकार साधारण कार्यवाही करेगी । वह साधारण कार्यवाही क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने हमारी सरकार को कायवाही करने के लिये कोई सुझाव दिया है । उन्होंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है और मैं ने कहा था कि हम जो राजन्यिक कार्यवाही करते हैं वह जारी रहेगी ?

टैक्नीकल कर्मचारियों का सामान्य 'पूल'

†*११९५. **श्री उ० च० पटनायक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने टैक्नीकल कर्मचारियों का सामान्य 'पूल'' और सभी मंत्रालयों के अधीन संयंत्रों और मशीनों की और उपलब्ध मानवीय संसाधनों का सामान्य 'पूल' बनाने की एक एकीकृत योजना तैयार की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** जी नहीं ।

श्री उ० च० पटनायक : सरकार ने अभी तक टैक्नीशियनों और इंजीनियरों तथा कारखानों और मशीनरी का सामान्य 'पूल' बनाने की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय क्यों नहीं किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : जहां तक प्रश्न के उत्तरार्ध का सम्बन्ध है पहले प्रत्येक मंत्रालय में प्रत्येक कार्य के लिये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये । उदाहरणत: गत कुछ वर्ष से सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में विभिन्न परियोजनाओं में उपकरण और मशीनरी और टैक्नीकल कर्मचारियों का सामान्य संवर्ग बनाया गया है । इसी प्रकार अन्य मंत्रालयों से भी आशा की जाती है कि वे ऐसी व्यवस्था करें। विशेष उपकरण को एक से दूसरे मंत्रालय में तो नहीं भेजा जा सकता परन्तु जहां तक सामान्य प्रयोजनों के लिये मशीनरी का सम्बन्ध है, यदि एक जगह पर कोई सामान फालतू है तो दूसरी जगह उसे प्रयोग किया जाना चाहिये । यह व्यवस्था बिना कोई 'पूल' बनाये की जा सकती है ।

†श्री उ० च० पटनायक : क्या योजना बनाने वालों ने उन कीमती उपकरणों का पता लगाया है, जो युद्ध सामग्री कारखानों में गत १० वर्ष से बेकार पड़े हुए हैं और जिन्हें रखने के लिये पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं है, ताकि उन्हें अन्य कामों में लाया जा सके ?

†श्री नन्दा : इस अनुपूरक प्रश्न में बहुत से आरोप लगाये गये हैं ।

†श्री रंगा : आरोप लगाने का सवाल नहीं है ।

†श्री नन्दा : मुझे मालूम नहीं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास पड़ी मशीनों की क्या हालत है । यदि कोई विशेष प्रश्न पूछा जाये तो हम प्रतिरक्षा मंत्रालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

†श्री उ० च० पटनायक : मैं उन मशीनों आदि के बारे में जानकारी चाहता हूं जिन्हें किन्हीं वर्गों में नहीं रखा गया है । योजना बनाने वालों ने उन मशीनों को जो वहां बेकार पड़ी हैं अन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय कामों के लिये प्रयोग करने के हेतु क्या कार्यवाही की है ।

†श्री नन्दा : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय से पता लगाऊंगा और इस मामले में यदि कुछ किया जा सकेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार विदेशों में प्रशिक्षित इंजीनियरों का एक संवर्ग बनाना चाहती है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कहां तक कार्यवाही की गई है ?

†श्री नन्दा : इस बारे में कुछ कार्यवाही की गई है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या योजना मंत्री एक ऐसा रजिस्टर बनायेंगे जिसमें उपलब्ध मशीनरी और टैक्नीकल कर्मचारियों का ब्यौरा रहे ताकि विभिन्न विभागों में समन्वय रहे और जब कभी वे जानकारी प्राप्त करना चाहें कर सकें ?

†श्री नन्दा : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद ऐसे रजिस्टर तैयार कर रहा है और उन्हें अद्यतन बनाने के लिये पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा ।

†श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री केउत्तर से पता चलता है कि मंत्रालय अलग-अलग तौर पर कार्य कर रहे हैं और कोई सामान्य 'पूल' नहीं बनाया जायेगा ?

†श्री नन्दा : अभी मैं यह तो नहीं कह सकता कि पूर्ण समन्वय हो गया है । शायद इस उद्देश्य से और प्रयत्न करने पड़ेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या सरकार ने प्रतिरक्षा संगठन में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अन्य टैक्नीशियनों को सामान्य 'पूल' में शामिल करने के बारे में विचार किया है ?

†**श्री नन्दा** : जब प्रतिरक्षा मंत्रालय से कहा गया तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि यह पूल प्रत्येक मंत्रालय का अलग होना चाहिये ।

†**श्री तिरुमल राव** : इस मामले के बारेमें जो महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित होते हैं क्या उनके बारे में माननीय मंत्रियों को उनके अधीनस्थ कर्मचारी सूचित रखते हैं ? कल जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ उसका इस मामले से घना सम्बन्ध है । माननीय मंत्री ने जानकारी देने के लिये माननीय सदस्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । क्या उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिस से कि समाचार पत्रों में छपने वाली बातों के बारे में उन्हें सूचित किया जाये ।

†**श्री नन्दा** : माननीय सदस्य वास्तव में कहना क्या चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: वह जानना चाहते हैं कि क्या प्रत्येक मंत्रालय में ऐसे कोई पदाधिकारी नहीं होते जो मंत्रियों को दिन प्रतिदिन के समाचारों, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों में प्रकाशित होने वाली आलोचना आदि के बारे में बतायें ।

†**श्री नन्दा** : प्रत्येक मंत्रालय में ऐसी व्यवस्था होती है और वह सभी मामलों की जानकारी रखने का प्रयत्न करता है । परन्तु सम्पूर्ण जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैंने पूछा था कि क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय भी इस संवर्ग में शामिल होने के लिये तैयार है ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक सम्भव है इसके लिये प्रत्यत्न किये जा रहे हैं । अभी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था[1]

†*११६६. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था का प्रबन्ध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से वापस लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस विभाग को सौंपा जायेगा और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक वर्ग के कितने कार्यभारित कर्मचारियों पर इस हस्तान्तरण का प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) उन्हें अन्य विभागों में लेने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां । हस्तातन्तरण १–४–१६५६ को किया जायेगा ।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था की ओर से देखरेख का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर रहा था परन्तु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड़गपुर) अधिनियम १६५६ के अन्तर्गत वह संस्था

†मूल अंग्रेजी में
[1]Indian Institute of Technology

१–४–५७ से एक स्वायत्तशासी निकाय हो गई है। अतः वह संस्था अपने कार्य का स्वयं प्रबन्ध कर सकती है।

(ग) कुल १६४ कार्यभारित कर्मचारियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२१**]

(घ) निर्माण कार्य के साथ-साथ उन्हें भी संस्था को सौंपा जा रहा है। जो संस्था में नहीं भेजे जायेंगे उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ही नौकरी देने के बारे में विचार किया जायेगा। अभी उन्हें अन्य विभागों में नियुक्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री तंगामणि :** सूची में बताये गये १६४ व्यक्तियों में ६३ प्रवीण कर्मचारी हैं जैसे कि इलैक्ट्रीशियन, वायरमेन आदि। अप्रैल १९५९ में उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में भेज देने पर उनकी सेवा की शर्तें वही रहेंगी जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में थी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी हां। हमारे मुख्य इंजीनियर इस बारे में संस्था से बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वही रहें जो अब हैं। परन्तु हम यह नहीं चाहते कि किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध संस्था में भेजा जाये।

†**श्री तंगामणि:** क्या उन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और उन्हें अन्य लाभ देने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उनकी सेवा की अवधि की भी गिनती की जायेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** वे कार्यभारित कर्मचारी हैं और उनकी शर्तें अलग होती हैं। परन्तु मैंने बताया कि इन कर्मचारियों की सेवायें संस्था को हस्तान्तरित करने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ? मुख्य इंजीनियर संस्था के साथ विस्तृत बातचीत कर रहे हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय मंत्री को मालूम होगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों का अन्य कार्यालयों में नियुक्ति अधिकार है परन्तु इस संसद् के अधिनियम द्वारा उसे स्वायत्तशासी निमय बना दिये जाने पर कर्मचारी न तो अपने मूल कार्यालयों में वापस जा सकते हैं और न ही उन्हें वे सेवा की शर्तें प्राप्त हैं जो उन्हें अपने असाल कार्यालयों में प्राप्त थीं। क्या इन कर्मचारियों पर भी यही लागू होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** अन्य विभागों में से जो लोग संस्था में गये हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को उनकी सम्पत्ति से ही भेजा जा रहा है। यदि वे न जाना चाहें अथवा उन्हें शर्तें मंजूर न हों तो वे जाने से इंकार कर सकते हैं।

†**श्री तंगामणि :** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन कार्यभारित कर्मचारियों को कहा गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्ध उन पर लागू नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें कुछ अन्य वैकल्पिक सुविधायें दी गई हैं। उन्हें कौनसी सुविधायें दी गई हैं और क्या उनके हस्तातन्तरण के बाद भी उन्हें ये सुविधायें मिलेंगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** वह अलग बात है। इस मामले में भी बातचीत करके और दोनों की सहमति हो जाने पर हस्तान्तरण किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये परामर्श

†*११९७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिये थाना और जिला स्तर पर परामर्श किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये कौसा वैकल्पिक तरीका निकाला गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्थानीय योजनायें तैयार करने के तरीके पर विचार किया जा रहा है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या इस सिलसिले में सरकार खंड विकास तथा जिला मंत्रणा समितियों की मंत्रणा प्राप्त करना चाहती है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** सारे मामले पर विचार किया जा रहा है । ग्राम पंचायतों और खंड विकास मंत्रणा समितियों से अवश्य परामर्श किया जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार को मालूम है कि प्रधान मंत्री ने इस सभा में यह घोषणा की थी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी परामर्श ग्राम थाना स्तर पर किया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जी हां, यह सच है कि ग्राम, पंचायतों और जिला विकास मंत्रणा समितियों आदि से परामर्श किया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : यह तीसरी योजना जो बनेगी, इसमें क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि किस थाना को कितना रुपया दिया जायेगा ताकि उसके अनुसार वह थाना प्लान बना कर दे ।

श्री ल० ना० मिश्र : अभी यह चीज़ बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है, इस लिए कुछ भी कहना बहुत कठिन है । लेकिन रुपया देने से पहले यह अंदाजा लगाया जाएगा कि किस थाना या हल्का से क्या उठाया जा सकता है, वहां के स्थानीय कितनी शक्ति दे सकते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जायेगा । क्या प्रारूप पर विचार करने के लिये निकट भविष्य में ऐसी कोई बैठक बुलाई जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** जी हां । कई तरीकों से परामर्श किया जायेगा उनमें वह भी शामिल है जिसका प्रधान मंत्री ने यहां उल्लेख किया था ।

†**श्री दासप्पा :** क्या विभिन्न राज्य सरकारों को यह बताया गया है कि थाना और जिला स्तर पर परामर्श किया जायेगा ? क्या उन्हें अपनी सिफारिशें भेजने के लिये कहा गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** अभी राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया है ।

†**श्री दासप्पा :** क्या उन्हें सूचित कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ल० ना० मिश्र : अभी उन से पूछा भी नहीं गया है ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 'क' और 'ख' दो वर्ग थे और तृतीय योजना में भी इसी प्रकार होंगे ?

†श्री नन्दा : द्वितीय योजना में भी 'क' और 'ख' दो वर्ग नहीं थे । यह प्रश्न बहुत बाद में उत्पन्न हुआ था जब कि संसाधनों के बारे में कठिनाई पैदा हुई । अत: तृतीय योजना में वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा ।

इलायची और सोंठ का निर्यात

+

†*११९८. { श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची और सोंठ के निर्यात में कोई समस्या पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वे समस्यायें क्या हैं ; और

(ग) क्या निर्यात संवर्धन परिषद् ने उन समस्याओं पर विचार किया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२२]

†श्री अरविन्द घोषाल : इन के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ।

†श्री सतीश चन्द्र : सोंठ के निर्यात से लगभग १ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और इलायची से लगभग ढाई करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आय होती है ।

†श्री वारियर : इन दो बातों में सोंठ के मूल्य में कितनी कमी हुई है ? कृषकों की सहायता के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह सच है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने के कारण सोंठ का मूल्य गिर गया है। मूल्य गिरने का एक कारण यह भी है कि जमायका और पश्चिम अफ्रीका से बढ़िया सोंठ सप्लाई की जा रही है ।

†श्री पुन्नूस : यह कहा जाता है कि इलायची की पैदावार को बढ़ाने की कोई योजना है । वह योजना किस अवस्था में है ?

†श्री सतीश चन्द्र : ये विकास योजनायें भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने आरम्भ की हैं । बढ़िया किस्म की इलायची की पैदावार की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ग्वेटमाला से ऐसी इलायची अधिक मात्रा में मिल रही है जिसमें भारतीय इलायची की अपेक्षा उड़ने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक होती है ।

†श्री तंगामणि : विवरण से पता चलता है कि इलायची के लिये एक पंजीबद्ध निर्यात संस्था बनाई जा रही है जिसका मुख्यालय मद्रास में होगा । इसकी स्थापना कब की जायेगी ? क्या सोंठ के लिये भी ऐसी कोई संस्था बनाई जा रही है और यदि हां, तो उसका कार्यालय कहां होगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : दोनों वस्तुओं का निर्यात करने वाले निर्यातिकारों को पंजीबद्ध संस्थाओं में संगठित किया जा रहा है। इलायची और सोंठ के लिये निर्यात संवर्धन परिषद् बनाने का कोई विचार नहीं है। इस काम के लिये पंजीबद्ध निर्यातकारों की एक संस्था स्थापित करना ही काफी होगा।

†श्री तंगामणि : दिया गया उत्तर विवरण के प्रतिकूल है। अब वह कहते हैं कि इलायची के लिये निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना नहीं की जायेगी। विवरण में यह कहा गया है कि इलायची और गरम मसालों के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना की जा रही है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है। दोनों में से कौन सी बात सही है ?

†श्री सतीश चन्द्र : सभी प्रकार के गरम मसालों की पैदावार करने वालों से इस बारे में बात चीत की जा रही है। काली मिर्च और काजू के लिये पहले से ही निर्यात संवर्धन परिषद है। अन्य वस्तुओं जसे कि इलायची और सोंठ का भी निर्यात होता है। पंजीबद्ध निर्यातकर्ताओं की भी एक संस्था बनाई जा रही है।

†श्री आचार : क्या इलायची की पैदावार करने वालों ने एक अलग इलायची बोर्ड की स्थापना करने की मांग की है ? सरकार ने उत्तर दिया है कि वह इस पर विचार कर रही है।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : विभिन्न गरम मसालों के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् है उसमें इलायची और सोंठ भी शामिल हैं। यदि अलग निर्यात सवधन परिषद् स्थापित करने की आवश्यकता हुई तो उस पर विचार किया जायेगा परन्तु फिलहाल जो कार्यवाही की गई है वह काफी है और इलायचो और सोंठ का निर्यात बढ़ाने के लिये जो भी कार्यवाही करनी होगी वह गरम मसाले निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा की जायेगी।

†श्री दलजीत सिंह : इलायची तथा सोंठ का निर्यात किन किन देशों को किया जाता है तथा गत-वर्ष की तुलना में इस वर्ष इन वस्तुओं का नि ति बढ़ा है अथवा घटा है और इन निर्यातों को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री तीश चन्द्र : अच्छी किस्म की इलायची का निर्यात मुख्यत: फारस की खाड़ी के देशों को किया जाता है।। औद्योगिक कार्यों के लिए अधिक मात्रा में स्वेडन, ब्रिटेन, तथा अमेरिका को निर्यात होता है।

१९५७ में २०,००० हंडरवेट का निर्यात किया गया था तथा इस वर्ष जनवरी से सितम्बर तक २४,००० हंडर ेट का नि ति हुआ है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मेरी आपसे प्रार्थना है कि अल्प सूचना प्रश्नों को लेने से पूर्व आप प्रश्न संख्या १२२८ जो तीन उद्योगों के मजूरी बोर्ड के सम्बन्ध में है तथा जिसकी पूर्व सूचना पांच माननीय सदस्यों ने दी है, का उत्तर देने की अनुमति दें।

†अध्यक्ष महोदय : वहां तक हम पहुंचे नहीं हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : विशेष रूप में आप सकी अनुमति दे दें।

†अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। लिखित उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जा ेगा। समय नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

विस्थापित व्यक्तियों के अकर्म वेतन के भुगतान का बंद किया जाना

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. { श्री विमल घोष :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १५ दिसम्बर, १९५८ के 'अमृत बाजार पत्रिका' (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया है कि शिविरों में विस्थापित परिवारों को अकर्म वेतन देना बन्द कर देने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल तथा केन्द्रीय सरकारों में कुछ मत-वैभिन्य है ;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ,

(ग) क्या अकर्म वेतन बन्द करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को शिविरों में शरणार्थी महिलाओं पर भी लागू किया जायेगा ;

(घ) क्या वह जानते हैं कि यदि अकर्म वेतन बन्द कर दिया गया तो बहुत से शरणार्थी परिवार भूखे मर जायेंगे; और

(ङ) यदि हां तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री नास्कर): (क) जी हां । १५ दिसम्बर, १९५८ के 'अमृत बाजार पत्रिका', कलकत्ता, में पश्चिम बंगाल के शिविरों तथा गृहों में अकर्मण्य व्यक्तियों को अकर्म वेतन के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुआ है । परन्तु शिविरों और गृहों में अकर्मण्य व्यक्तियों को अकर्म वेतन देना बन्द करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार में कोई मत-वैभिन्य नहीं है ।

(ख) से (ग). गत एक वर्ष में पश्चिम बंगाल के शिविरों तथा गृहों के निवासियों की जांच की जा रही है । इस जांच के परिणामस्वरूप यह पता लगा है कि इन शिविरों तथा गृहों में रहने वाले बहुत से व्यक्ति अकर्म वेतन पाने योग्य नहीं हैं । ऐसे व्यक्ति हैं जो रोजगार करते हैं और अकर्म वेतन लेते हैं । ऐसे बच्चे हैं जो अकर्म वेतन लेते हैं और जिनको मां बाप जीवित होने पर भी अनाथ माना जाता है । पति जीवित होते हुए भी स्त्रियों को आश्रयहीन माना जाता है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने मिल कर जांच की । जांच प्रतिवेदनों की परीक्षा करके कार्यवाही की गई है ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार ने जांच समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के विचारों पर विचार कर लिया है तथा क्या जांच समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : सम्भवतया उत्तर को समझा नहीं गया है । जांच केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के मिले जुले पदाधिकारियों के दल ने की है । तत्पश्चात् दोनों सरकारों को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया । एक प्रक्रिया बनाई गई जिसके अनुसार सम्बन्धित दलों को नोटिस दे दिये गए । यदि प्रभावित दल एक सरकार के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन देना चाहता है तो उस पर पुनः विचार किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं जानना चाहती हूं कि क्या ऐसी महिलाओं तथा उनके बच्चों को, जो अकर्म वेतन पाने के पात्र हैं तथा जो स्थायी दायित्व शिविरों में हैं, अकर्म वेतन देना बन्द कर दिया गया है तथा क्या जून तक इस प्रकार के शिविरों को बन्द कर देने का नियम उन पर भी लागू होगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पश्चिम बंगाल के शिविरों में लगभग २,३०,००० विस्थापित व्यक्ति हैं। इनमें से १,८०,००० विस्थापित व्यक्ति जिनके लगभग ४५,००० परिवार बनते हैं, शिविरों में हैं तथा शेष लगभग ५०,००० गृहों में हैं। जहां तक प्रथम वर्ग, अर्थात् शिविरों के विस्थापित व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उन्हें पुनर्वासित किया जायेगा और इसीलिये बंगाल में अथवा अन्य राज्यों में उनको पुनर्वास सुविधायें दी जा रही हैं। महिलायें परिवार का अंग हैं तथा परिवार के प्रमुख को पुनर्वास ऋण दिया जाता है। इस प्रकार महिला का पुनर्वास स्वयंमेव हो जाता है।

उन महिलाओं तथा अनाथ बच्चों, जो गृहों में हैं, के बारे में माननीय प्रधान मंत्री सभा में बता चुके ह कि उनका दीर्घकालीन दायित्व है तथा नमें से जिनको हम पुनर्वासित नहीं कर पायेंगे वह हमारे पास रहेंगे। परन्तु जिनको पुनर्वास सुविधायें दी गई हैं उनके सम्बन्ध में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : महिलायें तथा बच्चे शिविरों तथा गृहों दोनों स्थानों पर हैं। उनके दो वर्ग हैं। म जानना चाहती हूं क्या उन महिलाओं तथा बच्चों को, जिनके कोई पु ष अभिभावक नहीं हैं, दण्डकारण्य भेज दिया जायेगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : किसी स्त्री के शिविर में बिना किसी वयस्क सदस्य को चाहे वह पति हों, अथवा बेटा, रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि कोई स्त्री अनाथ है तथा उसके कोई नाबालिग लड़का है तो वह गृह में रहेगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : स्थायी दायित्व शिविरों के निवासियों को क्या किसी प्रकार के गृहों में रख कर और अकर्म वेतन बन्द करके बाद में दण्डकारण्य भेज दिया जायेगा ? यदि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डाल दें तो शरणार्थी बड़े खुश होंगे।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने अभी बताया कि शिविरों में रहने वाले परिवारों का पुनर्वास किया जायेगा। ऐसे अनाथ महिलाओं तथा बच्चों को जो गृहों में रहे हैं हम प्रशिक्षण देंगे। हम बेटों को काम दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनको पढ़ा रहे हैं। कितनों को ही परिवहन संगठनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परिवार में वयस्क व्यक्ति द्वारा कमाना शुरू कर देने पर निश्चित रूप से माता का संरक्षण हो जाता है। तब तक ीर्घकालीन दायित्व है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या माननीय मंत्री एक रूप श्री शिविर को जानते हैं जो मुख्यतः अनाथ स्त्रियों का शिविर है तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि माननीय सदस्य रानाघाट के निकट के अनाथ महिला तथा बच्चों के शिविर की ओर संकेत कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं बता चुका हूं।

†**श्री पाणिग्रही** : और एक अनुपूरक प्रश्न श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं। मैंने कई प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

जामिया मिलिया, दिल्ली में बी० एड० पाठ्य क्रम

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. श्री राम शंकर लाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामिया मिलिया, दिल्ली के बी० एड० पाठ्य क्रम में इस विचार से ७७ विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया कि मिलिया द्वारा प्रशासित पाठ्य क्रम को इसमें मान्यता प्राप्त है तथा बाद में यह बात गलत पाई गई थी ; और

(ख) न विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) बी० एड० पाठ्यक्रम को मान्यता देने के सम्बंध में जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोस्पैक्टस में दिये गये विवरण के आधार पर १९५८ में ७४ विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। परन्तु यह गलत खबर थी।

(ख) विकल्पत: १७ सितम्बर, १९५९ तक केन्द्रीय सरकार ने जामिया के "स्नातकोत्तर अध्यापक प्रशिक्षण" को भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० टी० के समान, उनके अधीन प ों पर नियुक्ति के लिये मान्यता दे दी है। इसलिये यद्यपि उनको बी० एड० डिग्री नहीं दी जायेगी परन्तु दस विद्यार्थि ों के दल को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

मैं बताना चाहता हूं कि यह ग़लती किस प्रकार हुई। यह एक बड़ी भारी ग़लती हो गई। इस के लिये जामिया मिलिया के उप-कुलपति ने खेद प्रकट किया। प्रोस्पैक्टस में उन्होंने बताया था कि जामिया मिलिया के बी० एड० पाठ्यक्रम को भारत सरकार ने अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० एड० अथवा बी० टी० के समान मान लिया है। ऐसा कहना ठीक नहीं था। यह सच है कि जो विद्यार्थी इस संस्था में आये वह इसी उद्देश्य से आये कि उनको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बी० एड० की डिग्री मिल जायेगी। भारत सरकार ने स्नातकोतर अध्यापन प्रशिक्षग को मान्यता दी थी। जो बात उन्होंने प्रोस्पैक्टस में बताई उस के बजाये उन्हें यह बात भी उसमें स्पष्ट करनी चाहिये थी। उन्होंने सनद-ए-मुल्लमी पाठ्यक्रम आरम्भ किया और इस का अनुवाद बैचलर आफ एजुकेशन कर दिया और बी० एड० को डिग्री देना शुरू कर दिया जो एकदम ग़लत था। मेरा तथा जामिया का इस समय यही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की इस गलतफहमी को दूर कर दें और उन्हें कोई कठिनाई न होने दें। इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह अलीगढ़ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से बातचीत कर रहे हैं। जहां तक बी० एड० डिग्री तथा नियुक्ति का सम्बन्ध है, इन विद्यार्थियों को 'स्नातकोत्तर अध्यापन प्रशिक्षग' के पश्चात् नियुक्ति मिल सकती है। नियुक्ति के लिये भारत सरकार ने उसे मान्यता दे ो है। उनको मुख्य शिकायत यही है कि जामिया ने जिसका आश्वासन दिया था उनको वह डिग्री नहीं मिल रही है।

†**श्री त्यागी :** नियुक्ति मिलने में कोई बा ा नहीं होगी।

†**श्री राम शंकर लाल :** क्या यह वाकया है कि कुछ लड़के पास हो कर आजकल नौकरियों में भी हैं ,और अगर यह सही है तो उन का क्या होगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यह बी० एड० डिग्री वह काफी अर्से से पा रहे हैं और यह सच है कि यह डिग्री रिकग्नाइज्ड नहीं है। लोगों को नौकरियां भी मिल गई हैं और वे नौकरियों में हैं ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया उससे कुछ ऐसा आभास होता है कि भारत सरकार के उर्दू डिग्री को बी० ए० की डिग्री के समान समझने में कठिनाई है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय में इसी विचार से आये थे कि प्रास्पैक्टस के अनुसार यह सरकारी मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों को सहायता देने के लिये उस उर्दू डिग्री को बी० ए० डिग्री के समान समझने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् वह बी० एड० डिग्री उर्दू डिग्री के स्थान पर नहीं दे सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना में बताई गई डिग्रियों अथवा बी० एड० को इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् कोई भी संस्था नहीं दे सकती है। परन्तु जामिया सनद-ए-मुल्लमी 'स्नातकोत्तर अध्यापन प्रशिक्षण की उर्दू डिग्री अभी भी प्रदान कर सकती है और भारत सरकार ने नियुक्ति के लिये इसको मान्यता दे दी है। परन्तु प्रोस्पैक्टस में दिये गये आश्वासन के अनुसार विद्यार्थी बी० एड० डिग्री मांग रहे हैं। जामिया ने यह गलती की थी।

†डा० राम सुभग सिंह : सरकार को प्रोस्पैक्टस की इस गलती के बारे में कब पता लगा। क्योंकि प्रोस्पैक्टस गत ४ अथवा ५ वर्षों से ही वहां पर बनाया गया है। माननीय मंत्री ने बताया 'मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूं', जो विद्यार्थी सेवा में हैं तथा जो वहां पर पढ़ रहे हैं उनकी सहायता के लिये वह क्या करने जा रहे हैं ? संस्था की भविष्य में स्थिति क्या होगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह जामिया की जिम्मेदारी है। जो गलती उन्होंने की उसके लिये भारत सरकार अथवा मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। मैंने बताया कि जामिया के उप-कुलपति ने खेद प्रकट किया है। ऐसा किसी दुर्भावना से नहीं किया गया है। यह गलती सनद-ए-मुल्लमी का गलत अनुवाद करने से हुई। मैंने यह भी कहा है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं जिससे जिन्होंने प्रवेश लिया है उन को कोई कठिनाई न हो। मैं यही कह सकता हूं। जामिया की जिम्मेदारी है। यह सरकारी संस्था नहीं है। जामिया को हम सहायता देते हैं। उनकी गलतियों को मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं।

†श्री त्यागी : क्या मैं यह समझूं कि जिन विद्यार्थियों ने इस विचार से कि उनके पास बी० ए० की डिग्री है सरकारी सेवा में नियुक्ति पा ली है, इस गलतफहमी के दूर हो जाने पर उनकी सेवा में कोई अन्तर नहीं आयेगा ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इन मामलों पर विचार होगा। यदि डिग्री को मान्यता नहीं है तो वह मान्य नहीं है। अपने प्रोस्पैक्टस में उनको यह कहने का कोई अधिकार नहीं था कि भारत सरकार ने उसे मान्यता दी है तथा यह अन्य विश्वविद्यालयों की बी० एड० अथवा बी० टी० डिग्री के समान है। यदि इस विचार से इन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है तो यह विचार गलत है।

†श्री त्यागी : जब उन लोगों को, जिन के पास यह डिग्री है, सरकार ने नियुक्त कर लिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि गलतफहमी होने पर भी व्यवहार में सरकार ने डिग्री को मान्यता दे दी है।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना जारी होने से पूर्व संस्थाऐं बी० एड० अथवा कोई भी डिग्री प्रदान कर सकती थीं। यह अवैध नहीं थी यद्यपि ऐसा करना उचित नहीं था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम लागू होने तथा उसके अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व बहुत सी संस्थायें बहुत प्रकार की डिग्रियां

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रदान कर रही थीं। परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अधिसूचना में बताई गई डिग्रियों को देना अवैध घोषित कर दिया गया। इस के पश्चात् कोई भी संस्था इन डिग्रियों को नहीं दे सकती थी। भूतकाल में चाहे ऐसा होता रहा हो। इसलिये अब उनके आश्वासन देने के पश्चात् भी वह बी० ड० की डिग्री नहीं प्रदान कर सकेंगे।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षा मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि बै ता है और संस्था को मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता के औचित्य पर प्रकाश डालता है? क्योंकि इस संस्था को कई वर्षों से बहुत सा धन सहायता के रूप में दिया जाता रहा है। संस्था को अनुदान देने से पूर्व क्या प्रोस्पैक्टस की जांच की जाती है? मैं जानना चाहता हूं कि अनुदान किस आधार पर दिया जाता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न में से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यहां प्रोस्पैक्टस का प्रश्न है। इसमें विशिष्टतया कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जामिया मिलिया की बी० एड० डिग्री को मान्यता दे दी गई है। कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। यह कोई नया प्रोस्पैक्टस नहीं है। कई वर्षों से चलता आ रहा है। उस संस्था को भारत सरकार प्रत्येक वर्ष अनुदान देती है। अब विद्यार्थियों को क्यों कठिनाई हो? यदि शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बैठता है तो मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता के औचित्य के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उसने किन कारणों से संतुष्ट नहीं किया?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं समझता कि यह चीज़ इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है किन्तु जहां तक अनुदानों का सम्बन्ध है, यह सर्वविदित है कि शिक्षा के क्षेत्र में जामिया अगुआकारी संस्था रही है और मैं समझता हूं कि जितना अनुदान उसे मिलता है वह उचित है, और यदि कुछ अनुदान न्यायोचित नहीं है, तो हम निश्चय ही उसे बन्द कर देंगे। मैं यह नहीं देखना चाहूंगा कि लोक निधि का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग हो, किन्तु इस प्रश्न का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सम्बन्ध है, आयोग ने एक दौरा करने वाली समिति की नियुक्ति की है इस दौरा करने वाली समिति ने एक प्रतिवेदन दिया है और उस प्रतिवेदन के आधार पर ——यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि भी उसमें था——विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुकुल और जामिया के बारे में यह तय किया था कि उन्हें विश्वविद्यालय न समझा जाये।

†**श्री साधन गुप्त** : इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को देखते ए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है कि सनद-मुल्लमी बी० एड० के स्तर के समकक्ष है और क्या इस जांच-पड़ताल के पश्चात् क्या कम से कम उन लोगों को बचाने का प्रयत्न करेंगे जिनको सरकार ने स गलत धारणा से काम में लगा लिया है कि उन के पास बी० एड० की उपाधि थी?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जब यह मसला सरकार के सामने आया। मेरे विचार से १९५० या १९५१ की बात है——मैं ठीक-ठीक तारीख तो नहीं बता सकता तो समिति वहां गई थी और उसने पाठ्यक्रम और स्तर की जांच करके उसकी सिफारिश पर स्नातकत्व के पश्चात् अध्यापक के प्रशिक्षण को मान्यता दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : जहां तक उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिन्हों ने उपाधि प्राप्त की थी अथवा जामिया मिलिया से तथाकथित उपाधि प्राप्त की है, निस्सन्देह उन में से लोग काम में लगा लिये गये हैं उन का किसी प्रकार भी नुकसान इस कारण नहीं होने पायेगा कि कोई चीज़ अब विवरण पत्रिका में बढ़ा दी गई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूंकि यह एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम बुद्धि जीवियों में राष्ट्रीयता उत्पन्न करती रही है । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या हम यह जान सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिस स्तर पर इसे लाना चाहता है उस स्तर पर लाने के लिये तथा इस संस्था की अवनति रोकने के लिये, जैसा कि किया गया है, मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार इस संस्था में चाव रखती है तथा इस संस्था का स्तर ऊंचा उठाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न करेगी ।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भूतकाल में इस संस्था के बारे में सब से अच्छी राय बनी हुई थी और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा । इसके उच्च स्तर को कायम रखने के लिये हम सभी सम्भव प्रयत्न करेंगे ।

†श्री रंगा : बात केवल यह है कि हमारी अपनी राय के साथ ही साथ हमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसे मान्यता देने और अन्य विश्वविद्यालयों के समान स्तर पर लाने के बारे में सहायता करनी चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अधिनियम में देख लें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारी मशीन बनाने का संयंत्र

†*११८३. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत रूस की सहायता से एक सम्पूर्ण भारी मशीन बनाने या संयंत्र स्थापित करने की योजना की क्या स्थिति है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये अनुसूची के अनुसार जिन और आगे के आंकड़ों की आवश्यकता है, एकत्र किये जा रहे हैं और मास्को के मैसर्स टेक्नाक्सपोर्ट को भेजे जा रहे हैं । वारिष्ठ इंजीनियरों के चुनाव के लिये कार्यवाही की जा रही है जिनमें से कुछ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित काम में भाग लेने के लिये सोवियत रूस भेजने का विचार है ।

कोयला खदान मजदूरों को बोनस

†*११८३-क. { श्री बहादुर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये साप्ताहिक वेतन पाने वाले मजूरों को साप्ताहिक और मासिक वेतन पाने वाले मजूरों को मासिक बोनस का भुगतान करने के बारे में किसी योजन पर अन्तिम निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन योजनाओं को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकला है ?

†श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). कोयला खदान के मजूरों के बोनस के बारे में सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

बर्मा में भारतीय

†*११८८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य बर्मा और क्याडक्तागा और जियावादी के आस-पास बसने वाले भारतीयों को भूमियों का बर्मा सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण करके काश्तकारों को बांट दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां बसने वाले भारतीयों को काश्तकारों के रूप में उनका हिस्सा भी उन्हें नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, उनकी संख्या कितनी है तथा उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) क्यांगतागा क्षेत्र में कृषि भूमि का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है । जहां तक जियावादी ग्रांट क्षेत्र का संबंध है, कुछ भूमि जो बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत आती है, पुन: प्राप्त कर लिया गया है । इस अधिनियम के अधीन जितनी भूमि गैर-किसानों के अधिकार में है तथा विशिष्ट निर्धारित सीमा से अधिक कृषकों की भूमि का भी धीरे-धीरे करके राष्ट्रीयकरण होना है, भले ही ऐसी भूमि का मालिक उस देश का राष्ट्रीय हो अथवा विदेशी हो । अत : इस बारे में भारतीयों के विरुद्ध कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है । अधिनियम के अधीन जो लोग भूमि पाने के हकदार हैं, पुन : प्राप्त की गई भूमि उन लोगों में बांट दी गई है ।

(ख) जी नहीं, भारतीय उद्भव के लोगों को कृषकों के रूप में उनके हिस्से उन्हें देने से इन्कार नहीं किया गया है । उनमें से वे जो लोग बर्मा के वास्तविक नागरिक हैं तथा जिनकी भूमि निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है उन्होंने अपनी भूमि रोक ली है ।

(ग) ऐसे भारतीय कृषकों की संख्या ज्ञात नहीं है जो पुनर्विभाजित भूमि प्राप्त करने के लिये जिन शर्तों की आवश्यकता होती है, उन्हें पूरी नहीं करते हैं ।

चूंकि बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधीन भारतीयों के साथ कोई भेद-भाव पूर्ण नीति नहीं बरती जाती, इस कारण भारत सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

गुरुद्वारा बौली साहब लाहौर

†*११९४. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाहौर का गुरुद्वारा बौली साहब गिरा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे पुन : बनाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां। गुरुद्वारे के बारे में बताया गया है कि वह विभाजन समय के उपद्रवों में बिल्कुल जलकर नष्ट-भ्रष्ट हो गया था ।

(ख) मूर्ति पश्चिमी पाकिस्तान की २०० महत्वपूर्ण मूर्तियों की सूची में मिला दी गई है जिनका संरक्षण और देख-रेख जनवरी, १९५८ में कराची में हुई भारत पाकिस्तान की मूर्ति संबंधी संयुक्त समिति की बैठक के अनुसार विशेष उत्तरदायित्व के रूप में पाकिस्तान की सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। संयुक्त समिति की अगली बैठक में इस मामले पर और आगे विचार किया जायेगा जिसके लिये पाकिस्तान की सरकार को पहले से ही निमंत्रण दिया जा चुका है।

कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने भी कहा गया है कि वह पाकिस्तान की सरकार से उस क्षेत्र में तत्काल घेरा डालने के लिये कहे जिसमें गुरुद्वारा बौली साहब स्थित था तथा वहां उचित स्मृति चिन्ह लगा दे ।

कच्चा मैंगनीज़

†*११९९. श्री वि० च० शुक्ल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वर्तमान कोटा व्यवस्था के कारण निम्न कोटि के कच्चे मैंगनीज़ की बिक्री और निर्यात में बड़ी कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) कोटा के प्रतिबन्ध से निम्न प्रकार के कच्चे मैंगनीज़ के निर्यात पर कोई रुकावट पड़ती नहीं जान पड़ती है। किन्तु राज्य व्यापार निगम ने कुछ ऐसे प्रत्यक्ष सौदे करने का प्रस्ताव किया है जो बिना कोटा प्राप्त व्यापारी भी कर सकते थे। राज्य व्यापार निगम का विचार सेवा के लिये कुछ उपकर लगाने का नहीं है ।

दमन में हवाई अड्डा

†*१२००. { श्री नौशीर भरूचा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली सरकार दमन में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा रही है जहां जेट विमान भी उतर सकेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां): (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार दमन में एक हवाई जहाज उतरने की पट्टी लगभग २,००० गज लम्बी है। जेट विमान के इस्तेमाल के लिये यह पर्याप्त है। जब तक कि हवाई जहाज़ उतरने की पट्टी का उपयोग केवल असैनिक विमानों द्वारा किया जाता है तथा उससे भारतीय विमान मार्ग का उल्लंघन नहीं होता, तब तक हमें आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में उद्यानों का आवंटन

†*१२०१. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य- मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को उनके दावे के बदले कितने उद्यान आवंटित कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन उद्यानों के आवंटन के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना) : (क) दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को उनके दावों के बदले उद्यानों का आवंटन नहीं किया गया था।

(ख) भूतकाल में हाल ही में आवंटन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि हमारी जानकारी में कोई मामला विशेष लाया जाता है, तो उसकी जांच की जायेगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुर्तगालियों द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन

†*१२०२. { श्री वाजपेयी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री साधन गुप्त :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ नवम्बर, १९५८ को कुछ पुर्तगाली सिपाहियों और असैनिकों ने ड्यू के निकट भारतीय सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया ;

(ख) इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). ३ नवम्बर, १९५८ की रात में ड्यू क्षेत्र से कुछ मछुओं ने भारतीय समुद्र तट पर खम्भे बना लिये। उन्होंने खम्भों में रस्सी बांधी जिसका एक सिरा ड्यू तट पर पड़े एक बड़े जहाज से बंधी चर्खी पर था। स्पष्ट है कि रस्सी खम्भों की सहायता से समुद्र में मछली पकड़ने की नावों को चलाने के लिये फैली हुई थी। ४ नवम्बर, १९५८ को जबकि भारतीय पुलिस इन खम्भों को हटा रही थी जो गैर कानूनी ढंग से भारतीय सीमा क्षेत्र में बनाये गये थे, दो नावें जिनमें सशस्त्र पुर्तगाली कर्मचारी थे उस स्थल के निकट आये और उन्होंने न केवल अकड़ में भर कर खम्भों और रस्सी की ही मांग की अपितु भारतीय पुलिस की छोटी नौका भी

†मूल अंग्रेजी में

मांगी। पुर्तगाली पार्टी के पास ब्रेन गनें, राइफलें और रिवाल्वर आदि थे। भारतीय पुलिस के कुछ और दस्तों के पहुंच जाने से पुर्तगाली वापस चले गये। पुर्तगाली प्राधिकारियों के पास इसका काफी कड़ा विरोध किया गया है।

छोटे आविष्कारों को प्रोत्साहन

†*१२०३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे आविष्कारों के लिये प्रोत्साहन देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किस अभिकरण के द्वारा ऐसा किया जायेगा ;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में ऐसे अभिकरणों की स्थापना की जायेगी; और

(घ) विद्यमान प्रयोगशाला और संस्थाओं के द्वारा धन लगाने वालों को पुरस्कार देने के लिये कितनी अनुमानित राशि अलग रख दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). छोटे पैमाने के उद्योगों के संगठन में एक छोटे आविष्कार विकास बोर्ड की स्थापना की जा रही है जो छोटे पैमाने के उद्योगों के संगठन के अधिकरण के द्वारा काम करेगी।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

जिप्सम का संभरण

†*१२०४. **श्री प० ला० बारूपाल** :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर की जामसर जिप्सम कम्पनी द्वारा सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को तथा सीमेंट के कारखानों को जिस किस्म के जिप्सम का संभरण किया जाता है वह मशीनों के द्वारा खनन कार्य होने के कारण अच्छा नहीं होता ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों और सीमेंट की किस्म घटिया हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

बीकानेर की जामसर जिप्सम कम्पनी जिप्सम इकट्ठा करने तथा उसे ट्रकों और डंपरों में लादने का काम मजूरों से कराने के अलावा मिट्टी हटाने की मशीनों से भी कराती है। बड़े पैमाने पर मशीन से जिप्सम उठाने तथा लादने में उसके साथ मिट्टी और रेत मिलने की सम्भावना अवश्य रहती है लेकिन कम्पनी को प्रति दिन बड़े परिमाण में जिप्सम का लदान करना पड़ता है, इस लिये मशीन से लदान करना जरूरी है। इस मिलावट से उर्वरक संयंत्र की कार्य कुशलता पर थोड़ा सा असर पड़ता है लेकिन इसमें बने उर्वरक की उत्कृष्टता पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। सीमेण्ट के कारखाने

†मूल अंग्रेजी में

घटिया दर्जे की जिप्सम प्रयोग कर सकते हैं; जब तक कि उसकी किस्म न्यूनाधिक रूप से एक सी रहे क्योंकि मिट्टी और सिलिमा की अशुद्धताएं उन कच्चे मालों में शामिल होती है, जो सीमेण्ट बनाने में प्रयोग किये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*१२०५. श्री बांगशी ठाकुर : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि वह द्वितीय योजना काल के अन्त तक त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास समाप्त कर लेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख). १९५९-६० के अन्त तक त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य पूरा कर देने का विचार है। इसके लिये सरकार प्रशासन के पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम पर निरन्तर देख रेख रख रही है ।

परादीप पत्तन से लोह अयस्क का निर्यात

†१२०६. श्री पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने परादीप पत्तन से होकर जापान को लौह अयस्क का निर्यात करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष ५०,००० टन के लौह अयस्क के निर्यात के लक्ष्य में से अब तक कितनी मात्रा में निर्यात हुआ है ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को परादीप पत्तन से होकर जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने में कुछ कठिनाई होती है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अभी आरम्भ किया गया है ।

(ख) परादीप पत्तन पर पहले जहाज़ में अभी माल लादा जा रहा है जो आशा है कि दो-एक दिन में जापान के लिये रवाना होगा और जिसमें लगभग ८,५०० टन लौह अयस्क होगा ।

(ग) जी नहीं ।

अमरीका से तम्बाकू का आयात

†*१२०८. श्री कोरटकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की बिना बनी तम्बाकू खरीदी गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : २४ लाख पाउण्ड के लगभग २७.३७ लाख डालर मूल्य की तम्बाकू खरीदने के आदेश जारी किये गये थे । २६.९१ लाख डालर के अब तक प्रत्यय-पत्र खोल दिये गये हैं । खरीदी गई वास्तविक मात्रा अभी उपलब्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में मजदूरों के लिये सस्ते मकान

१२०९ { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन मजदूरों के लिये सस्ते मकान बनाने के लिये अब तक मंजूर की गई राशि को दिल्ली प्रशासन खर्च नहीं कर सका है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० कन्दा) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लिये ७२.९६ लाख रुपये की रकम निर्धारित की गई है। आशा है कि चालू तथा नये कार्यक्रमों पर यह सारी रकम खर्च हो जायेगी ।

हथकरघे के कपड़े पर छूट

†*१२१०. **श्री थानुलिंगम नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे के कपड़े के लिये मद्रास सरकार को देय छूट दे दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी राशि अभी देनी शेष है ; और

(ग) वह किस काल की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) मद्रास सरकार को १९५३-५४ से १९५७-५८ तक छूट पर व्यय के लिये २,४३,१०,००० पये की राशि मंजूर की गई थी ।

(ख) राज्य सरकार ने उपर्युक्त काल में छूट पर २,६३,००,४९६, रुपये व्यय किये हैं। इसके साथ ही बताया जाता है कि १९५७-५८ तक राज्य सरकार पर ३७,१९,५१८ रुपये २४ नये पैसे के दावे लम्बित ।

(ग) १९५३-५४ से १९५७-५८

अब्दुल्ला चरखा

†*१२११ { **श्री राम कृष्ण रेड्डी :**
पण्डित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कूचा नाहर खां के अब्दुल्ला मिताथी ने एक चरखे का आविष्कार किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह अब्दुल्ला चरखा सब प्रकार का सूत कात सकता है और अम्बर चरखा से अधिक सूत उत्पादन करता है तथा उस की कीमत अम्बर चरखे की कीमत से केवल एक तिहाई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस चरखे को पूर्णता प्रदान कर उसे बड़े पैमाने पर निर्माण करने का विचार रखती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जहां तक सरकार को मालूम है कि श्री अब्दुल्ला ने अभी तक कताई करने योग्य चरखे का नमूना तैयार नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चरखे को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न उसे कताई करने वालों में वितरित करने की उपयुक्तता और उसकी उत्पादनशीलता को प्रयोगशालाओं और व्यावहारिक प्रयोग में सिद्ध होने पर ही उत्पन्न होता है ।

रबड़ बोर्ड

†*१२१२. **श्री बारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पुनर्गठित रबड़ बोर्ड में श्रम प्रतिनिधियों के रूप में सरकार द्वारा नाम-निर्देशित सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(ख) उपरोक्त सदस्य किन किन केन्द्रीय कार्मिक संघों से सम्बन्धित हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १. श्री सी० ई० भारतन्

२. श्री बी० के० नायर

३. श्री के० करुणाकरण

४. श्रीमती रोसमा पुन्नूस :

(ख) पहले तीन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और चौथे व्यक्ति अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बन्धित हैं ।

चाय क्षेत्रों का जोनवार वितरण

†*१२१३. **श्री नंजप्प** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क के प्रयोजन से चाय क्षेत्रों के जोनवार वितरण पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप देने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

†*१२१४. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा कुव्यवस्था के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई रिपोर्ट भेजी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अधीन वह कम्पनी के कार्य संचालन की जांच करने का प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भ में एक टेकनीकल टीम इस फैक्टरी के कार्य-संचालन की जांच करेगी ।

भारत में औषध निर्माण

†*१२१५ { **श्री गोरे** : **श्री जाधव** : **श्री हेम बरुआ** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औषध निर्माण की योजनाओं ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या योजना निर्धारित करने के पहले भारतीय मेडिकल एसोसियेशन जैसी देश में विशेषज्ञ सम्मति प्राप्त की गई थी ;

(ग) देश में न्यासर्ग और जैविक[1] की आवश्यकता निर्धारित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशों से मंगाई जाने वाली एक्स-रे की प्लेटें अधिक समय तक स्टोर में नहीं रखी जा सकती हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२३]**.

दिल्ली में जल-निस्सारण व्यवस्था

†*१२१६. **श्री च० कृ० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जल-निस्सारण व्यवस्था की दुर्व्यवस्था के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त जांच समिति की क्या उपपत्तियां हैं ;

(ख) जल-निस्सारण व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार क्या क्या सिफारिशें करने और कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ग) दिल्ली के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों के निर्वहन और व्यवस्था का उत्तर-दायित्व किन पर है ;

(घ) नजफगढ़ झील में एकत्रित वर्षाकालीन जल को जमुना में गिराने वाले नजफग नाले में अब तक क्या सुधार किये गये हैं ; और

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने की अन्तिम तारीख क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) १८ अगस्त, १९५८ को लोकसभा के पटल पर रखी गई समिति की प्रथम रिपोर्ट में "/ₑ" जल निष्कासन के लिये बनाई गई वर्तमान नाली व्यवस्था स्वभावत: २०-२१ जुलाई, १९५८ को हुई अपरिमित वर्षा का सामना करने में असमर्थ थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Hormones and Biologicals

(ख) समिति ने अभी अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम अपने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली नालियों की व्यवस्था के लि उत्तरदायी हैं । पंजाब सिंचाई विभाग सिंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों के लिये उत्तरदायी है जिनमें पंगेशपुर की नाली, नांगलोई की नाली और बवाना एस्केप उनके निकास तक सम्मिलित हैं । नजफगढ़ की नाली की व्यवस्था का उत्तरदायित्व दिल्ली प्रशासन पर है ।

(घ) (१) नजफगढ़ की नाली को ६ मील तक इस तरह बना दिया गया है कि वह मोती-नगर के निकट उभरे हुए भाग को पार कर सके ।

(२) नजफगढ़ झील को नाली में और सुधार करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(ङ) जांच पूरा होने तथा अन्तिम योजनायें तैयार कर उन्हें यथावत मंजूर करने के बाद ही अन्तिम तारीख निश्चित की जा सकती है ।

नई दिल्ली में धोबी घाट

†*१२१७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के नक्शे में, जैसा कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, बंगलों के पीछे धोबीघाट का उपबन्ध किया गया था ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उस समय से दिल्ली की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई है तथा धोबियों की संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि हो गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक धोबीघाट से जुड़े हुये रिहायशी क्वार्टर उनकी आवश्यकता को देखते हुये सर्वथा अपर्याप्त सिद्ध हो गये हैं ;

(घ) क्या सरकार इन धोबियों के रहने के लिये नई दिल्ली में रिहायशी क्वार्टर बनाने का विचार रखती है ; और

(ङ) क्या सरकार धोबियों द्वारा घाटों के निकट बनाई गई अस्थायी झोपड़ियों को वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढने तक बना रहने देगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) जी, हां, केवल कुछ बंगलों के पिछवाड़े में ।

(ख) धोबियों की संख्या निस्संदेह ही बढ़ गई होगी किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी वृद्धि और सामान्य जनता की वृद्धि में कितना अनुपात है ।

(ग) चूंकि सरकार ने नई दिल्ली में अभी तक धोबियों के लिये कोई क्वार्टर नहीं बनाये हैं अतः बढ़ती हुई मांग की दृष्टि में उनके अपर्याप्त होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) यह नई दिल्ली नगरपालिका से सम्बन्धित है । वह इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । मई, १९५६ तक बनाई गई झोपड़ियों को हटाने का प्रश्न फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपा-न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्ज लिमिटेड

†*१२१८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार की मार्फत नेपा न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्ज लिमिटेड को दिये गये ऋण वसूल करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ मिल की शेअर पूंजी में भाग लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह किस रूप में किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). नेपा न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्ज के कार्य संचालन के हित में यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण का अधिकांश भाग को कम्पनी के साम्य शेअरों[1] में बदल दिया जाये। शेष सूद वाले ऋण के रूप में रहेगा।

औषध निर्माण

१२१६. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में औषध निर्माण करने के लिये टाटा उद्योग ने एक विदेशी कम्पनी—मर्क शार्प दोहमा के साथ समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग में विनियोजित भारतीय और विदेशी पूंजी का कितना कितना प्रतिशत है ; और

(ग) टेकनीकल कार्य-विधि के बारे में क्या क्या शर्तें हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) नई कम्पनी में ४० प्रतिशत भारतीय पूंजी रहेगी।

(ग) कम्पनी को बिना रायल्टी लिये अथवा टेकनीकल शुल्क प्राप्त किये विदेशी फर्म से टेकनीकल सहयोग मिलेगा। विदेशी कम्पनी के इंजीनियरिंग तथा अन्य खर्च देय रहेगा और इस लेखे में उन्हें ७ ½ लाख रुपये की लागत के शेअर आवंटित किये जायेंगे।

सूडान की सरकार को मान्यता

†*१२२०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सूडान सरकार को मान्यता प्रदान करने के लिये भारत सरकार को औपचारिक प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Equity shares.

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). सूडान गणतंत्र की नई सरकार से औपचारिक मान्यता प्राप्त करने के लिये एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी और भारत सरकार ने तुरन्त ही मान्यता प्रदान कर दी।

हिन्दी में दिये गये भाषणों का प्रसारण

*१२२१. श्री शंकर देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसत्सदस्यों द्वारा हिन्दी में दिये गये भाषणों को आकाशवाणी के अंग्रेज़ी प्रतिनिधि पहले अंग्रेज़ी में नोट करते हैं और उन्हें सम्पादित करने के बाद हिन्दी के समाचार बुलेटिन में प्रसारण के लिये उनका अनुवाद किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक स्थानों में हिन्दी में दिये गये भाषणों को प्रथम अंग्रेजी में लिखा जाता है और बाद में प्रसारण के लिये उनका हिन्दी में अनुवाद किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय ने इस प्रथा को समाप्त करने और आकाशवाणी के हिन्दी समाचार डिवीजन को समाचार आदि के सम्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी के पार्लियामेंट में नियुक्त कारस्पान्डेंट सदन में होने वाले भाषण आदि को सुनते हैं तथा दिन भर की कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा तैयार करते हैं। उनका कार्य यह नहीं है कि वह भाषणों को अक्षरशः नोट करें न वह ऐसा कर सकते हैं। उनसे आशा की जाती है कि वह महत्वपूर्ण भाषणों के अंशों को, चाहे वह हिन्दी में हों या अंग्रेजी में, श्रोताओं के लाभ के लिये नोट करें।

(ख) और (ग). आकाशवाणी में अभी तक हिन्दी समाचारों को बतलाने तथा इकट्ठा करने के लिये यूनिट नहीं है। यदि हम राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री के भाषणों को अथवा सदन की कार्यवाही को नोट करना चाहते हैं तो इस प्रकार का हिन्दी यूनिट आवश्यक है। राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के बहुत से भाषण शब्दशः नोट भी किये गये और इन में कई एक को टेप रिकार्ड भी किया गया। फिर भी हिन्दी में भाषणों को शब्दशः नोट करना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि इस काम के लिये नियमित रूप से हिन्दी यूनिट की स्थापना नहीं की जाती। कुछ हद तक इस काम को प्रारम्भ भी कर दिया है और इस काम को बढ़ाना इस बात पर निर्भर है कि धन किस हद तक उपलब्ध होगा और हिन्दी के काम का फैलाव कितना होगा।

मिरथाल (पंजाब) में न्यूजप्रिंट एण्ड सलफाइट सैल्यूलोज मिल्स

†*१२२३. श्री हेम राज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के मिरथाल में न्यूजप्रिंट मिल और सलफाइट सैल्यूलोज मिल स्थापित करने की व्यावहारिकता पर विचार किया है ; और

(ख) यह मिलें गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में रहेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). इस विषय का अभी परीक्षण किया जा रहा है। अभी यह निश्चित नहीं है कि यह सरकारी उद्योग क्षेत्र में अथवा गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में रहेगी।

चाय उद्योग

†*१२२४. श्री आचर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी चाय कम्पनियां देश के बाहर काफी रकम भेज रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत ६ वर्षों में (वर्षवार) कितनी रकम बाहर भेजी गई है ; और

(ग) उपरोक्त कार्य के क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). नवीनतम जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

इन आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् यदि विशेष कारण हुये तो उनका उल्लेख किया जायेगा।

बम्बई की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*१२२५. श्री सोनावने : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के लिये योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये और आवंटन करने के लिये बम्बई सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है क्योंकि उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में कृषि उत्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण उपबन्ध लगभग पूरा खर्च दिया है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुये हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग). योजना आयोग के परामर्श से खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा इस विषय पर विचार किया गया है। १९५९-६० के लिये योजना में कृषि कार्यक्रम के लिये उपयुक्त उपबन्ध किया गया है; बम्बई सरकार हाल में ही इससे सहमत हो गई है। १९५९-६० में कृषि उत्पादन का उपबन्ध ९ करोड़ ७५ लाख रुपये है और कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विकास पदों के लिये कुल उपबन्ध १७ करोड़ ३० लाख रुपये है।

ईराक के साथ व्यापार

†*१२२६ { श्री बलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक ने भारत से तैयार शुदा माल की नई किस्में खरीदने की स्वीकृति दे दी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत द्वारा ईराक से मंगाई जाने वाली खजूरों के परिमाण के बारे में समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र) : (क) से (ग). ईराकी व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल की भारत यात्रा पूरी होते समय जारी किये गये संयुक्त विवरण की प्रति लोक सभा के पटल पर रख दी गई है। इस चर्चा के फलस्वरूप वर्षों से चले आ रहे व्यापार और विशेषरूप से ईराकी खजूर और भारतीय चाय के व्यापार में वर्तमान स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। यह भी संभावना है कि यह व्यापार काफी संख्या में नई वस्तुओं में भी किया जायेगा।

भारत में नगरीय सामुदायिक परियोजनाएं

†*१२२७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में नगरीय सामुदायिक परियोजनायें स्थापित करने के बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या स्वरूप है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनाओं की रेखा पर नगरीय क्षेत्रों के लिये एक भी योजना नहीं है। जल संभरण और स्वच्छता का उपबन्ध, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार, गन्दी बस्तियों की सफाई और उनमें सुधार, औद्योगिक श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लिये गृह-निर्माण व्यवस्था तथा रोजगार के अवसरों में प्रसार आदि विभिन्न नगरीय कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं ; यह राज्य सरकारों और स्थानीय नगरपालिकाओं द्वारा अनेक नगरों तथा कस्बों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन सब योजनाओं में समन्वित योजना और निस्पादन तथा समुदाय का पूर्णरूपेण सहयोग प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है।

मजूरी बोर्ड

†*१२२८. { श्री राम कृष्ण :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री दशरथ देब :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सूती वस्त्र, चीनी और सीमेंट उद्योगों के लिये मजूरी बोर्डों के कार्य की अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सूती वस्त्र मजूरी बोर्ड विभिन्न स्थानों पर पार्टियों की सुनवाई कर रहा है। चीनी तथा सीमेंट मजूरी बोर्ड ने प्रश्नावली जारी की है और सब पक्षों से उत्तर आने तक वह उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के विरुद्ध पुर्तगाली मामला

†*१२२९. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **प्रधान मंत्री** २५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरहवेली और दादरा के बारे में पुर्तगाल द्वारा विश्व न्यायालय में दायर की गई शिकायत का प्रत्युत्तर दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब दिया गया है ; और

(ग) क्या मामले की अगली सुनवाई के लिये कोई तारीख निश्चित की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) हमारी प्रार्थना पर न्यायालय ने प्रत्युत्तर देने की तारीख २६ जनवरी, १९५९ तक बढ़ा दी है। प्रत्युत्तर देने के पश्चात् ही न्यायालय इस मामले की अगली कार्यवाही निर्धारित करेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*१२३०. { **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री स० म० बनर्जी : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकता और मद्रास में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें कब तक दी जायेंगी ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई समय-अनुसूची बनाई गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) तथा (ख). राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि सुविधायें १९५९ में दी जायें ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय बागान

†१२३१. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री विमल घोष : }

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण चाय को हाल में दी गई छूट से क्या बन्द चाय बागानों को खोलने में कोई सहायता मिली है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) (क) तथा (ख). विश्व के बाजारों में साधारण चाय की प्रतियोगिता-स्थिति सुधारने के लिये सहायता दी गई है। इस समय किसी भी समय बन्द पड़े चाय बागानों की संख्या बहुत कम थी और उनके बन्द होने के अलग-अलग कारण थे। वित्तीय कठिनाइयों के कारण जो चाय बागान बन्द हुये हैं, इस सहायता से उनमें फिर काम चालू होने की संभावना बढ़ जायेगी।

मौलाना आज़ाद का मक़बरा

*१२३२. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री नवल प्रभाकर
श्री बहादुर सिंह:
श्री दलजीत सिंह:

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौलाना आज़ाद के मक़बरे के चारों ओर बाग लगाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उनकी स्मृति में एक स्थायी स्मारक बनाने के बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) मौलाना आज़ाद के मक़बरे के चारों ओर बाग लगाने का नक़शा तय हो चुका है। पेड़ों को लगाने और तालाबों को बनाने का काम हो रहा है। 'लान' और फूलों की क्यारियां बनाने का काम फरवरी, १९५९ में चालू किया जायेगा।

(ख) स्वर्गीय मौलाना साहब की यादगार में कोई दूसरा स्थायी स्मारक बनाने की कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सीमा घटनायें

†*१२३३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी:**
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री वोडयार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूंच के टटरीनोट गांव में २४ सितम्बर, १९५८ को कुछ पाकिस्तानी युद्ध-विराम रेखा को लांघ कर आ गये एवं गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न किया तथा क्षेत्र वासियों से झगड़ा किया ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुये ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनायें न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां, श्रीमान् । २४ सितम्बर, १९५८ को लगभग २०० पाकिस्तानी-काश्मीरी व्यक्तियों ने युद्ध-विराम रेखा की हमारी ओर भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा फसल काटे जाने में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया ;

(ख) हमारी ओर दो पुलिस के सिपाहियों तथा छः नागरिकों को चोट आई । पाकिस्तानी काश्मीर के आक्रमणकारियों में दो मारे गये तथा पांच घायल हुये ।

(ग) सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त कार्यवाही करते हुये, सरकार इस बात पर ज़ोर देती रहेगी कि युद्ध-विराम रेखा तथा युद्ध-विराम करार का पाकिस्तानी प्राधिकारी पूर्ण पालन करें। क्योंकि इनके उल्लंघन से ही ये घटनायें होती हैं ।

सूती कपड़ा प्रतिनिधि मंडल

†*१२३४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् का एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल पूर्वी अफरीका भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वी अफरीका तथा अन्य स्थानों के भारतीय व्यापारियों ने शिकायत की है कि निर्यात के भारतीय ढंग सर्वथा प्राचीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोआ में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सैनिक अड्डे

†१२३५. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ में उत्तर एटलांटिक-संधि संगठन के सैनिक अड्डों की कोई जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) तथा (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार गोआ उत्तर एटलांटिक-संधि संगठन के कार्य-क्षेत्र में नहीं है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१२३६. **श्री घोषाल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न संस्थापनों को कहा गया है कि वे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा निर्मित मशीनें खरीदें ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान्। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के उत्पादन-कार्यक्रम पर निरन्तर विचार हो रहा है समय समय पर मांग के अनुकूल बनाया जाता है।

मनीपुर हथकरघा-उत्पादन एम्पोरियम

†*१२३७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मनीपुर के हथकरघा तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों का कोई एम्पोरियम खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अखबारी कागज का वितरण

†*१२३८. { **श्री तंगामणि** :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे अखबारों की सहायता की योजना कार्यान्वित हो गई है ;

(ख) मार्च १९५९ में समाप्त होने वाले छः मासों के लिये विभिन्न अखबारों को कितने अखबारी कागज का कोटा दिया गया ;

(ग) क्या दैनिक समाचारपत्रों ने अधिक अखबारी कागज की प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो उन अखबारों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक की कितनी आवश्यकता है ?

†**वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) क्योंकि वास्तविक उपभोक्ता अर्थात्, अखबार, ३१ दिसम्बर, १९५८ तक प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं. चालू लाइसेंस काल में दी गई मात्रा बताना असम्भव है।

(ग) तथा (घ). प्राप्त प्रार्थनापत्रों में प्रायः सभी ही दैनिक समाचारपत्रों ने १९५८ की बिक्री के आधार पर अधिक अखबारी कागज की मांग की है।

अगरतला, त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों की मांगें

†*१२३९. **श्री बांगशी ठाकुर : क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पुनर्वास मंत्री की त्रिपुरा यात्रा के समय अगरतला, त्रिपुरा स्थित पुनर्वास निदेशालय के सामने कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने किन मांगों की पूर्ति के लिये भूख हड़ताल की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ये मांगें पूर्णरूपेण या आंशिक रूप में पूरी हो गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना) :** (क) उत्तर देवेन्द्रनगर की ग्रामीण बस्ती के सुपरवाइज़र के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप लगाये गये थे तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई थी ।

(ख) तथा (ग). एक विभाग अधिकारी द्वारा जांच की गई है । जांचकर्ता की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

चाय बागान

†*१२४०. **श्री वारियर :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पौंड पूंजी[1] के कुछ चाय बागानों के मालिक अपने भारतीय बागानों में पुनः पौदे नहीं लगा रहे हैं ; और

(ख) क्या वे अमरीका तथा अन्य स्थानों में अपने चाय बागान बढ़ा रहे हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** (क) सरकार को विशिष्ट रूप से पौंड समवायों द्वारा पुनः पौदे लगाने में उपेक्षा करने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) यदि माननीय सदस्य का कथन है कि पौंड-समवाय भारत में पुनः पौदे लगाने का काम न करके अमरीका तथा अन्य स्थानों में अपने बागानों को बढ़ा रहे, हैं तो ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिये सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

भूमि सुधार

†*१२४१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासित राज्य क्षेत्रों में भूमि सुधार विधान, विशेषकर विद्यमान भूमियों का अधिकतम निर्धारण विधान, लागू हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां तक लागू हो गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२४]

बम्बई राज्य में सूती कपड़े की मिलों का बंद होना

†*१२४२. **श्री सोनावाने :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी, १९५९ से बम्बई राज्य में बरसी की "राजन सूती कपड़ा मिल" पूर्णतया बन्द हो जायेगा तथा मिल मालिक ने मिल कर्मचारियों को इसकी सूचना दे दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sterling Capital,

(ख) क्या बरसी के जयशंकर और लोकमान्य सूती कपड़े की मिलों के मालिकों ने तीसरी पारी बन्द करने की सूचनायें दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन तथा मजदूरों के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) बरसी की 'राजन सूती कपड़े की मिल' ने १-१-१६५६ से बन्द होने की सूचना दी है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) 'राजन सूती कपड़े की मिल' के बन्द होने तथा अन्य दो मिलों के आंशिक रूप से बन्द होने के कारण लगभग १७५३ मज़दूर बेकार हो जायेंगे । प्रति मास लगभग ५२६ बेल सूत तथा ४८२ बेल कपड़े के उत्पादन की हानि होगी ।

आर्थिक विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय तालिका

†*१२४३. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता द्वारा नियुक्त आर्थिक विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय तालिका ने चाय, काफी तथा तम्बाकू पर शुल्कों तथा आन्तरिक करों में कमी करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता के संविदाकारी पक्षों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ तालिका ने जो सिफारिश की थी उसका तत्संबंधी उद्धरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

काफी, चाय और तम्बाकू जैसी प्रमुख खाद्य वस्तुओं पर, जिन पर पश्चिमी योरोप के औद्योगिक देशों में राजस्व शुल्क लगता है, कर का स्तर काफी ऊंचा प्रतीत होता है । जिससे इन वस्तुओं के उपभोग तथा आयात मांग में अत्यधिक रुकावट आती है ।

गैर-प्रतियोगी आयात-वस्तुओं पर 'विशेष आन्तरिक करों के रूप में कर का मुख्य बोझ डालने में राजकोषीय प्रथाओं के अतिरिक्त कोई और औचित्य नहीं है, क्योंकि इन पर वह संपणन प्रक्रिया लागू नहीं होती जो व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के अधीन अन्य साधारण बहिःशुल्कों पर लागू होती है । जब तक यह स्थिति कायम है, तब तक राजस्व शुल्कों के परक्रामण के लिये 'हवाना चार्टर' के नियम व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते की परक्रामण प्रक्रियाओं पर भी लागू किये जाने चाहिये ।

(ख) जैसा कि उपरोक्त से प्रतीत होता है, सिफारिशों पर कार्यवाही मुख्य रूप से विकसित देशों को करनी है । व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता के १३वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधि-मंडल को विशेषज्ञों के विचार का समर्थन करने के लिए कहा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

होजरी उद्योग[1]

†*१२४४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में होजरी उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) देश में इस उद्योग के मुख्य मुख्य केन्द्र कहां हैं ;

(ग) क्या कच्चे सामान की कमी के कारण इस उद्योग को किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) अनुमान है कि इस समय देश के होजरी का सामान तैयार करने वाले कुल ३५०० छोटे पैमाने के केन्द्र हैं । उन में कुल ४४,००० कर्मचारी काम कर रहे हैं । उन पर कुल ६.५ करोड़ का धन विनियोग किया गया है और उन में प्रतिवर्ष लगभग १५.५ करोड़ रुपयों की कीमत की वस्तुओं का निर्माण होता है ।

(ख) होजरी उद्योग अधिकतर पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई और मद्रास के राज्यों में चल रहा है ।

(ग) सूती और उनी होजरी उद्योग को कच्चे सामान के अभाव के कारण किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है । पर हां, रेशमी होजरी उद्योग को आर्ट सिल्क यार्न के अभाव के कारण कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

(घ) होजरी तथा अन्य सहायक उद्योगों की वितरण योजना के अधीन व्यापारियों को दिये जाने वाले कोटे में से ६ प्रतिशत कोटा काट कर स्वदेशी रेयन के धागे के संभरण का प्रबन्ध कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त होजरी उद्योग को रेयन की वस्तुओं के निर्यात के बदले रेयन धागा मंगवाने की भी अनुमति दी गयी है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये होस्टल

†*१२४५. { श्री राम कृष्ण
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बहादुर सिंह : }

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी अविवाहित कर्मचारियों के लिये दिल्ली में दो होस्टल बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hosiery Goods Industry.

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा । ?

†निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) योजनाओं को अन्तिम रूप देने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

नई दिल्ली के विजय चौक को सुन्दर बनाना

*१२४६ { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १९ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजय चौक से इण्डिया गेट की ओर जाने वाली सड़क के इर्द गिर्द फव्वारों तथा जलपान गृहों के निर्माण के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उन में से प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) वह कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क) २ जल-प्रवाहों तथा उनके नीचे जलपान घरों के बनाने का काम पूरा हो चुका है । सड़कों पर रोशनी, फ्लड लाइट तथा रंग परिवर्तकों को लगाने का काम चालू है ।

(ख) अब तक हर एक जल-प्रवाह पर लगभग २.५९ लाख रूपया खर्च हुआ है ।

(ग) इस महीने के अन्त तक ।

युद्ध सामग्री कारखाने

†*१२४७. श्री उ० चं० पटनायक : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने देश में उत्पादन को कोई सुचारू रूप देने के लिये (१) असैनिक आवश्यकताओं और (२) सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के प्रयोग की वस्तुओं के निर्माण के लिये युद्धसामग्री कारखानों के उपयोग के प्रश्न पर विचार किया है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ला० ना० मिश्र) : यद्यपि असैनिक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये युद्धास्त्र कारखानों की क्षमता का उपयोग करने के लिये कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गयी थी, फिर भी औद्योगिक योजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जाता रहा है ताकि वे बता सकें कि युद्ध सामग्री कारखाने असैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कितनी सहायता कर सकते हैं और कुछ एक उद्योगों, जैसे कि मशीन उपकरणों, मट्टी हटाने के उपकरण, रेडियो के वाल्व, रेलों के इंजन डिब्बों आदि की उत्पादन क्षमता के आयोजन में किसी सीमा तक समन्वय उत्पन्न हो गया है । विशेष रूप से इस बात की जानकारी प्राप्त की गयी है कि इस्पात उद्योग के उत्पादन कार्यक्रम की दृष्टि से ये युद्ध सामग्री कारखाने पुनर्वर्जन उद्योग को कितनी छड़ें संभरित कर सकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल में भारतीय

†*१२४८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल की शिक्षा संस्थाओं में जो भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं, उन से यह कहा गया है कि वे उस काम को जारी रखने के लिये नेपाल सरकार से अनुमति प्राप्त करें ;

(ख) यदि हां, तो नेपाल सरकार के इस संबंध में जारी किये गये नियमों का निश्चित रूप क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने नेपाल की शिक्षा संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों से यह कहा है कि वे अपनी संस्थाओं में किसी भी भारतीय नागरिक को नियुक्त न करें ; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं; जब कि भारत में नेपाली नागरिकों को वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (घ). जी, नहीं। पर हां, अक्तूबर, १९५७ में नेपाल सरकार ने (नेपाली स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में) आदेश जारी किये थे जिस में अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया था कि नेपाल के सभी स्कूलों के शिक्षकों के पास नेपाल की नागरिकता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र के न होने पर शिक्षकों से यह कहा गया है कि वे छः मास के अन्दर अन्दर नेपाल सरकार के शिक्षा मंत्रालय से इस के लिये अनुमति प्राप्त करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि गैर-नेपाली व्यक्ति नेपाल सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही नियुक्त किये जा सकेंगे। अक्तूबर, १९५७ के ये आदेश केवल मात्र भारतीयों पर ही लागू नहीं होते, अपितु सभी गैर-नेपाली व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

नेपाल स्थित हमारे राजदूतावास ने इस सम्बन्ध में नेपाली सरकार से बात की थी और नेपाल सरकार ने पहले इसकी अवधि बढ़ा दी थी। अब नेपाल सरकार ने हमारे राजदूतावास को सूचित किया है कि ये आदेश भारतीय शिक्षकों पर लागू नहीं होंगे।

आकाशवाणी समाचार बुलेटिन

†*१२४९. { **श्री तंगामणि** :
श्री पाणिग्रही :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में संसद् की कार्यवाही सम्मिलित होती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति दिन कितना समय दिया जाता है; और

(ग) क्या २७ नवम्बर १९५८ को सदन की कार्यवाही का समाचार-पाठ सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तथा (ख). संसद् की कार्यवाही समाचार बुलेटिनों में नियमित रूप से सम्मिलित होती है। कोई विशिष्ट समय निर्धारित नहीं किया

---

†मूल अंग्रेजी में

जाता न ही ऐसा करना सम्भव है। किसी भी दिन का समाचार विषय के महत्व तथा जनसाधारण की दृष्टि में उसके समाचार-महत्व पर निर्भर होता है।

(ग) २७ नवम्बर की लोक-सभा की कार्यवाही संबंधी समाचार-बुलेटिन सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२५]**

पाकिस्तान को निर्यात

†२१३२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए १९५८–५९ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) तथा (ख). पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार भारत–पाकिस्तान व्यापार करार (१९५७–६०) के अनुसार होता है। पाकिस्तान को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए वर्तमान वातावरण अनुकूल प्रतीत नहीं होता।

भूमि सुधार

†२१३३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई राज्य है जिस ने अभी तक भूमि सुधार विधान लागू नहीं किया है; यदि हां, तो उसका नाम क्या है ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) भूमि सुधार के कई पहलू हैं। सभी राज्यों ने किसी न किसी पहलू पर विधान बनाया है। प्रत्येक राज्य में हुई प्रगति का वर्णन समय समय पर सभा-पटल पर रखे गये विवरणों में दिया गया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२६]**

मिचेलिन टायर[1]

†२१३४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १ अप्रैल से ३१ अक्टूबर १९५८ तक के काल में आटो सप्लाई कम्पनी क्वीनिस् रोड, दिल्ली को ठेलों तथा बसों के लिए मिचेलिन टायरों के आयात का कितना कोटा दिया गया, और

(ख) वस्तुतः कितनी वस्तुयें आयात हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) तथा (ख). दिल्ली के मैसर्स आटो सप्लाई कम्पनी ने अपने पिछले आयात के आधार पर ३,०९,६०१ रु० के टायरों तथा

†मूल अंग्रेजी में

[1]Michelin Tyres

ट्यबों का कोटा नियत कर लिया है। यह क्रम संख्या ४१(२)/५ के अन्तर्गत आता है एवं उन्हें नीति के अनुसार निम्न कोटा लाइसेन्स दिये गये हैं :

जनवरी--जून १९५७	१,१६,१०१ रु०
जुलाई--सितम्बर, १९५७	शून्य
अक्टूबर १९५७--मार्च १९५८	१,१६,१०१ ०
अप्रैल--सितम्बर १९५८.	१,१६,१०१ रु०
अक्टूबर १९५८--मार्च १९५९ (३१ अक्तूबर १९५८ तक)	शून्य

इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि फर्म ने अपने लाइसेन्सों का कहां तक प्रयोग किया है।

यह और कहा जा सकता है कि अस्थायी कमी की पूर्ति के लिये कम्पनी को दो निम्न तदर्थ लाइसेन्स दिये गये :

जनवरी--जून १९५७	४,००,००० रु० तदर्थ लाइसेन्स
अक्तूबर १९५७--मार्च १९५८	२९,०२५ रु० साइकिलों तथा साइकिल-रिक्शा के टायरों के लि अनुपूरक लाइसेन्स ।

अम्बर चर्खा

†२१३५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य-क्षेत्र में अब तक अम्बर चर्खा कार्यक्रम पर कुल कितना न व्यय किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किया जायेगा ; और

(ख) अब तक कुल कितने बुनाई तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं तथा कथित काल में खोले जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) १९५६-५७ से ३० सितम्बर १९५८ तक खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग ने दिल्ली राज्य-क्षे में अम्बर चर्खा कार्यक्रम लागू करने के लिए २.०६ रु० का अनुदान तथा २.९७ लाख रु० का ऋण दिया है। यह बताना असम्भव है कि चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में कितना न व्यय किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में आयोग ने १.१७ ० का अनुदान तथा ३.६५ रु० का ऋण देना आस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया है।

(ख) दिल्ली राज्य-क्षेत्र में ३० सितम्बर १९५८ तक २० शिक्षण केन्द्र तथा ३ बुनाई केन्द्र खोले गये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

ओखला औद्योगिक बस्ती

†२१३६. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री क० च० जैना :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला बस्ती में अब तक कैसी प्रगति हुई है ;

(ख) कैसे नये उद्योग खोले गये हैं ;

(ग) क्या ओखला औद्योगिक बस्ती के लिए सरकार ने नया विस्तार कार्यक्रम बनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (घ). क विवरण निम्न है ।

विवरण

(क) ४० एकड़ भूमि पर ३५ कारखानों तथा अन्य सहायक इमारतों का, जिन में प्रशासकीय ब्लाक भी सम्मिलित हैं, निर्माण फरवरी १९५८ में पूर्ण हो गया था । सारे ३५ कारखाने विभिन्न छोटी औद्योगिक इकाइयों को नियत हो गये हैं । उनमें से २९ कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

(ख) नई इकाइयों द्वारा स्थापित किये गये उद्योगों में रबर से ढकी हुई वस्तुओं 'स्नैप फास्नर' और टिच-बटन, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, भारी मशीनों के उठाने की जल चालित मशीनें[1] छिद्रण मशीनें, दाढ़ी बनाने के ब्लेड, ढके हुए तार तथा सूती पट्टी आदि का निर्माण होता है ।

(ग) तथा (घ). हां, श्रीमान । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ओर से निर्माण करेगा । विस्तार योजना के अन्तर्गत लगभग ६९.९ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में निम्न आकारों के ४१ कारखाने बनाने का विचार है । जिनकी अनुमानित लागत ४४,२०,००० रु० होगी :

क प्रकार ५००० वर्ग फुट के क्षेत्र के	१२ कारखाने ।
ख प्रकार ४००० वर्ग फुट ढके क्षेत्र के	१६ कारखाने ।
ग प्रकार ३००० वर्ग फुट ढके क्षेत्र के	९ कारखाने ।
घ प्रकार २००० वर्ग फुट ढके क्षेत्र के	४ कारखाने ।

प्रवीण तथा अप्रवीण मजदूर

†२१३७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ के बाद प्रतिवर्ष नियोजन संस्थानों में कितने प्रवीण तथा अप्रवीण मजदूरों ने नाम लिखवाये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Mechanical Hydraulic Jacks.

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : इन वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या, जो रोज़गार प्राप्ति में सहायता चाहते थे, प्रत्येक वर्ष के अन्त में निम्नानुकूल थी :

वर्ष	प्रवीण तथा अर्ध-प्रवीण	अप्रीण
१	२	३
१९५६	५९,९९९	३,८८,४२३
१९५७	७१,५०८	४,६०,६३९
१९५८ (अक्टूबर)	८७,६०६	६,००,६५३

पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तर

†२१३८. **श्री राम कृष्ण**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल पंजाब के काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में लिखित बेकार स्नातकों, इंटरमिडेटों और मैट्रीकुलेटों की संख्या क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जानकारी निम्न है :

वर्ग	३० सितम्बर, १९५८ को चालू रजिस्टरों में लिखित संख्या
१	२
स्नातक	२,०८२
इंटरमिडेट	१,३४९
मैट्रीकुलेट	१७,४५४
कुल	२०,८८५

बिजली के पंखे

†२१३९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी–सितम्बर १९५८ में बने बिजली के पंखों की संख्या क्या थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : विकास विंग की सूची में सम्मिलित फर्मों द्वारा जनवरी–सितम्बर १९५८ में ४६६,८७९ बिजली के पंखों का निर्माण हुआ।

रेडियो

†२१४०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी–सितम्बर १९५८ में कितने रेडियो बने ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : विकास विंग की सूची में सम्मिलित फर्मों ने जनवरी–सितम्बर १९५८ में १४,७३,००० रेडियो बनाये ।

आयात व्यापार

†२१४१. श्री पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन मासों में भारत के आयात व्यापार की क्या स्थिति है ; और

(ख) उस काल में हुए आयात का कुल मुल्य क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). पिछले तीन मासों का उपलब्ध व्यापार-अन्तर जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर १९५८ का है और नीचे दिया जाता है :

मूल्य लाख रुपयों में.

मास	आयात	निर्यात पुनः निर्यात सहित	व्यापार अन्तर
जुलाई १९५८ .	६७८८	५४३१	—१३५७
अगस्त १९५८ .	५६५८	४९९१	—६६७
सितम्बर १९५८	५८६०	५९०१	४१

राजघाट पर "दान-पेटी"

†२१४२. श्री कुम्भार : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में राजघाट पर गांधीजी की समाधि पर रखी हुई 'दान-पेटी' से अब तक प्रत्येक वर्ष कितना धन प्राप्त हुआ है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष धन किन-किन मदों पर व्यय किया गया ; और

(ग) उसकी तफसील क्या है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क)

	रु०	आ०	पाई
१९५१–५२	५,५१२	५	६
१९५२–५३	८,१५१	२	०
१९५३–५४	८,३४७	५	३
१९५४–५५	५,१४०	१	०
१९५५–५६	१२,१२८	३	०
१९५६–५७	११,८९३	२	६
१९५७–५८	९,१३०	३२ नये पैसे	
(अप्रैल १९५८ से १५ नवम्बर १९५८ तक)	८,९७८	२५ नये पैसे	

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत गठित राजघाट समाधि समिति ने जो समाधि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है, धन-पेटी से प्राप्त धन हरिजनों के उद्धार-कार्य के लिए हरिजन सेवक संघ को देने का निर्णय किया तथा सरकार ने इसका अनुमोदन किया। तदनुसार, समिति ने निम्न विवरणानुसार संघ को धन भेजा :

	रु०
१९५५–५६	२५,०००
१९५६–५७	१२,०००
१९५७–५८	२३,२९९·०३
(अप्रल १९५८ से अगस्त १९५८ तक)	६,२९१·३५

इसके अतिरिक्त, १९५२–५३ में ३ ० ८ आने हारों तथा सवारी पर व्यय किये गये।

विटामिन 'ए' के उत्पादन की योजना

†२१४३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलन के लिए तत्कालीन ट्रावनकोर-कोचीन सरकार से आगिया घास तेल से विटामिन 'ए' आदि के उत्पादन की योजना प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां तो क्या योजना आयोग ने राज्य सरकार से कहा था कि वह भारत सरकार और कुछ स्विस हितों के बीच सहयोग संबंधी बातचीत की समाप्ति तक आगे कार्यवाही न करे ;

(ग) क्या अन्त में विटामिन 'ए' के उत्पादन की योजनाओं की अनुमति मिल गई थी तथा मैसर्स वाल्टम्स और मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज़ को लाइसेन्स दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय तत्कालीन त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने आगिया घास तेल से 'आई ओनीन' तथा अन्य सुरभि वर्ग के निर्माण के लिये एक निजी फर्म के साथ मिलकर एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। योजना कई दृष्टियों से अपूर्ण थी। फिर इस योजना के देते समय आगिया घास तेल से 'आई ओनीन' तथा बिटामिन 'ए' के उत्पादन के लिए देश में एक कारखाना स्थापित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग तथा स्विटजरलैंड के मैसर्स हाफमैन ला ऐचे के बीच बातचीत हो रही थी। यह बातचीत केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ किये जाने के कारण इस बातचीत को पूरा करना उचित समझा गया एवं यह भी उचित समझा गया कि उचित रूप से इसके उत्पादन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार पर ही छोड़ दी जाये। इन परिस्थितियों में योजना आयोग ने राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया।

आरम्भ में भारत सरकार की इच्छा यह थी वह भारत में आगिया घास तेल से विटामिन 'ए' का निर्माण मैसर्स हाफमैन ला ऐचे के सहयोग से करे। परन्तु बाद में मैसर्स हाफमैन ला ऐचे लि० के एकमात्र एजेन्ट मैसर्स वाल्टम्स लि० ने इस निर्माण–कार्य में भाग लेने का प्रस्ताव किया तथा भारत सरकार ने इस योजना पर विचार किया और मैसर्स ऐचे प्रोडक्टस प्राइवेट लि० नामक एक नया कारखाना स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा

† मूल अंग्रेजी में

विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेन्स दिया। इस मद के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की दृष्टि से मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज इण्डिया लि० को, जिन्होंने एक वैसी ही योजना प्रस्तुत की थी, लाइसेन्स दिया गया।

आजकल देश में प्रति वर्ष १००–१५० लाख एम० यू० विटामिन 'ए' की अनुमानित मांग है तथा इन दो फर्मों में से प्रत्येक की वार्षिक लाइसेन्स प्राप्त क्षमता १०० लाख एम० यू० विटामिन 'ए' है।

हिमाचल प्रदेश में श्रम अधिनियम

†२१४४. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा अन्य श्रम विधियां लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन अधिनियमों के अधीन नियम बनाये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) हां।

(ख) (१) हां, कारखाना अधिनियम १९४८, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ तथा बागान मजदूर अधिनियम, १९५१ के अधीन नियम बनाये हैं।

(२) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ और मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ के अधीन नियम बनाये जा रहे थे कि कार्यालय के रिकार्ड आग में नष्ट हो गये। ये फिर बनाये जा रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही सूचनार्थ प्रकाशित किये जायेंगे।

(३) अन्य श्रम विधियों के अधीन नियम आवश्यकता होने पर बनाये जायेंगे।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फिल्म संस्था तथा फिल्म उत्पादन ब्यूरो की स्थापना

†२१४५. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म संस्था तथा फिल्म उत्पादन ब्यूरो की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : आगामी वित्त वर्ष के आरम्भ तक ये संस्थायें खोलने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सीमा घटनायें

†२१४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ११ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ अक्तूबर १९५७ को भारत में रजाकारों के घुस आने के बारे में पाकिस्तान सरकार को जो पत्र भेजा गया था क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) तथा (ख). पाकिस्तान सरकार का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रव्रजन प्रमाणपत्र

†२१४७. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढाका में उप-उच्चायुक्त के कार्यालय में १ सितम्बर १९५८ के बाद प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के लि कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये ";

(ख) तब से इन प्रार्थियों में से कितनों को प्रव्रजन प्रमाणपत्र दे दिये गये हैं; और

(ग) यदि प्रार्थनापत्र एक मास से अधिक समय से अनिश्चित पड़े हैं; तो क्यों ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) से (ग). १ सितम्बर से ३१ अक्तूबर १९५८ तक की जानकारी उपलब्ध " और वह निम्न है :

(१) दिये गये प्रमाणपत्र	८३
(२) रद्द किये गये प्रार्थनापत्र	१४
(३) एक मास से अधिक समय से अनिश्चित पड़े प्रार्थनापत्र	१३९
(४) एक मास से कम समय से अनिश्चित पड़े प्रार्थनापव	१४९
कुल	३८५

इन प्रार्थनापत्रों को निबटाने में बिलम्ब होने के मुख्य कारण हैं (१) भेंट के लिए प्रार्थियों का न आना, (२) मांगे गये कागजों/प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति; और

(३) प्रार्थनापत्र-फार्मों का गलत और अधूरा भरा जाना जिसके फलस्वरूप आगे पत्र व्यवहार करना पड़ा।

नागा विद्रोही

†२१४८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर १९५८ में कितने नागा विद्रोहियों ने आत्म-समर्पण किया;

(ख) उपरोक्त काल में कितने नागा बंदी छोड़े गये हैं; और

(ग) उनसे कितने शस्त्र प्राप्त हुए हैं ?

† मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :**

	सितम्बर १९५८	अक्तूबर १९५८	नवम्बर १९५८
(क)	८२	५२	५२
(ख)	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	१९	३६	३०

राष्ट्रपति टीटो की भारत यात्रा

†२१४९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि योगोस्लेविया के राष्ट्रपति टीटो १९५८ में भारत आयेंगे; और

(ख) यदि हां, तो वह भारत संभवतः किस तारीख को आयेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) तथा (ख). आशा है कि योगोस्लेविया के राष्ट्रपति टीटो १३ से २० जनवरी, १९५९ तक भारत की यात्रा करेंगे ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

†२१५०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
श्री विमल घोष :
श्री जाधव :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सूपकार :

क्या **योजना** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के बारे में अब तक और कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** और अधिक कार्यकारी दलों की स्थापना की जा रही है एवं मूलभूत नीतियों तथा संशोधनों को गतिशील बनाने संबंधी प्रश्नों की जांच की जा रही है।

नमूने के तौर पर जनगणना

†**२१५१. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष मार्च और अप्रैल के बीच १९५९ के आरम्भ से देश में जनसंख्या की बढ़ती और प्रव्रजन का निश्चय करने के लिये नमूने के तौर पर जनगणना करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९ में सर्वेक्ष करने के लिये कौन-कौन से स्थान चु े गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). (१) इस प्रस्ताव पर हाल ही में भारत के महा पंजीयक द्वारा राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के निदेशकों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के प्राधिकारियों तथा कैबिनेट के अवैतनिक सांख्यिकी परामर्शदाता से चर्चा की गई थी किन्तु इस बारे में अभी तक कोई दृढ़ निर्णय नहीं किया गया है ।

(२) नमूने के ौर पर वार्षिक जनगणना के प्रस्ताव के अलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने जून, १९५८ से जून, १९५९ तक १४वीं बार अपनी प्रमुख तालिका के अंग के रूप में १९५६—५८ तक जनसंख्या, जन्म और मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन किया है। इससे यह पता लगेगा कि इस तरीके के द्वारा जनसंख्या में वृद्धि का अनुमान किस प्रकार बताया जा सकता है । ये आंक े सम्पूर्ण भारत से चुने गये २,४०० गांवों में से एकत्र किये जायेंगे ।

कच्चे रबड़ का आयात और निर्यात

२१५२. **श्री पद्म देव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत प्रति वर्ष कितने कच्चे रबड़ का आयात करता है और कितना निर्यात करता है;

(ख) प्रतिवर्ष कितनी कीमत की रबड़ से बनी वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती हैं तथा कितने की बाहर भेजी जाती हैं ; और

(ग) इस आयात को पूर्णतः बन्द करने के लिये भारत ने क्या उपाय किये हैं तथा इसमें कब तक सफलता प्राप्त हो जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (ग). एक विवरण साथ नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२७]**.

महंगाई भत्ता

†**२१५३. श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता मिला देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी हां। द्वितीय पंच वर्षीय योजना ने इस मामले पर पूर्णरूप से विचार करने के लिये कुछ पूछताछ करने की सिफारिश की है इस सिफारिश के अनुसार निम्न जांच—पड़ताल प्रगति पर हैं :—

(१) मजूरी संबंधी आंकड़े ।

(२) उपभोक्ता मूल्य देशनांक के संकलन के लिये पारिवारिक आय-व्ययक जांच पड़ताल ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

†२१५४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९५८ में हुये श्रम मंत्रियों के पन्द्रहवें सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकाले गये उनकी जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) इनमें से वे निर्णय जो राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, नियोजकों तथा मजूरों के संगठनों द्वारा लागू किये जाने हैं उन्हें कार्यवाही करने हेतु उनके पास भेज दिये गये हैं।

'औद्योगिक संबंधों' के अधीन मुख्य निर्णय न्यायाधिकरणों के पंचाट का विश्लेषण करने के लिये उपयुक्त स्तर, शिकायत संबंधी प्रक्रिया, मूल्यांकन कार्य तथा अधिक प्रभावी ढंग आदि से कार्यान्वित करने के बारे में हैं। नमूने की शिकायत संबंधी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है तथा सभी संबंधित पक्षों को भेज दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने योजना के अधीन पहले से ही प्रसूति लाभ की दर बढ़ाने का निश्चय किया है। इस योजना के अधीन चिकित्सा संबंधी लाभ बिहार, मैसूर, राजस्थान, पंजाब और आसाम के कुछ क्षेत्रों के परिवारों के लिये भी बढ़ा दिये गये हैं।

राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अधीन नियोजकों के लिये ऋण की मात्रा ३७$^1/_2$ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रति शत कर देने की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। अन्य सिफारिशों के बारे में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आवंटन संबंधी नियमों में उदारता बरतने संबंधी सिफारिशें, उन नियोजकों को आय कर में कुछ सहायता देने जो मकान आदि बनवा रहे हैं, विचाराधीन हैं।

पंजाब और मद्रास राज्यों के लिये छोटे पैमाने के उद्योग

†२१५५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पंजाब और मद्रास राज्यों के लिये जिस अत्यावश्यक कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसके आयात के संबंध में कोटा में उदारता बरतने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रतिबन्ध हटाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैदराबाद में नाभिकीय गवेषणा संस्था

†२१५६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद साइन्स सोसाइटी के पास से हैदराबाद में एक नाभिकीय गवेषणा संस्था की स्थापना करने की योजना पर सहमति देने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना पर सहमति दे दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) अणुशक्ति विभाग प्रस्तावित संस्था को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगा यदि वह उस्मानिया विश्वविद्यालय से मिला दी जाये । उस्मानिया विश्वविद्यालय से इस प्रकार के एक आश्वासन की प्रतीक्षा की जा रही है।

बकरी के बाल

†२१५७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात की वस्तुओं में बकरी के बालों का काफी अच्छा स्थान है और उसकी बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्यात में वृद्धि करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गई है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी मात्रा में बालों का निर्यात किया गया; और

(घ) किन-किन देशों में उसका निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) विदेशों में बकरी के बालों की मांग में धीरे-धीरे कमी दिखाई दे रही है।

(ख) एक विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण

(१) निर्यात के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व बकरी के बालों का अनिवार्य रूप से वर्गीकरण करने की योजना ।

(२) बकरी के बालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये जिस कार्यवाही की आवश्यकता है उसका ब्यौरा चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(३) विदेशों में हुई सभी प्रदर्शनियों तथा उन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में जिनमें भारत भाग लेता है, बकरी के बालों का प्रदर्शन किया जाता है।

(४) यह वस्तु अनेक देशों से किये गये व्यापार करारों की निर्यात अनुसूची में शामिल कर दी गई है।

(५) कालीन उद्योग तथा कालीनों के निर्यात को सहायता और बढ़ावा देने के लिये एक अन्तः राज्यीय संयुक्त कालीन उद्योग मंत्रणा बोर्ड की स्थापना की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अप्रैल १६५८ से सितम्बर, १६५८ में १२,६३,६७२ पाउण्ड बकरी के बालों का निर्यात किया गया ।

(घ) ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैण्ड्स, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, क्वात, सीरिया, जापान, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया ।

वस्त्र निर्यात

†२१५८. **श्री विमल घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने स्थानीय मुद्रा में भुगतान स्वीकार करके अविकसित देशों के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक योजना ढूंढ़ निकाली है; और

(ख) इस योजना के चालू हो जाने से हमारे वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) सरकार को ऐसी किसी योजना के बारे में पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मशीनी औजार

†२१५६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध में मशीनी औज़ार के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) जी हां ।

(ख) १६५७ में छः मास के औसत उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध में मशीन औजार के उत्पादन में लगभग ६० प्रतिशत वृद्धि हुई है अर्थात् यह राशि १·२४ करोड़ रुपये से बढ़ाकर १·६४ करोड़ रुपये हो गई है।

सीमेंट उत्पादन

†२१६०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) १६५७ के प्रथमार्द्ध में २६,७६,१६५ टन कुल उत्पादन की तुलना में इस वर्ष उसी काल में ३२,२६,८६५ टन उत्पादन हुआ है। इस प्रकार कुल वृद्धि ५,५०,६७० टन हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांधी के सिद्धान्तों का प्रसार

२१६१. श्री विभूति मिश्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांधी जी द्वारा समय-समय पर बताये गये सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक सिद्धान्तों के प्रसार के लिये कोई उपयुक्त योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). इस प्रकार की कोई सर्व साधारण योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। सरकार द्वारा गांधी जी के सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिये उठाये गये कदमों का एक विवरण लोक-सभा की मेज़ पर रखा जा रहा है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२८**].

कच्चे क्रोम का निर्यात

†**२१६२. श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने चीन को कच्चे क्रोम का निर्यात किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने क्रोम का निर्यात किया गया है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) ६,५२३ टन।

लौह अयस्क का निर्यात

†**२१६३. श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम का विचार १९५८ में इटली को १,९०,००० टन लौह अयस्क निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हा, तो अब तक इटली को कितना निर्यात किया गया है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अगस्त, १९५७ से १५ मार्च, १९५९ तक राज्य व्यापार निगम ने इटली को १,६०,;००० टन लौह अयस्क बेचा है। खरीदने वालों को ३०,००० टन मात्रा बढ़ा देने का विकल्प प्राप्त था जो अभी तक लाग नहीं किया गया है।

(ख) १,४३,००० टन पहले ही जहाज से भेजा जा चुका है तथा शेष के लिये जहाज से भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिमला में खाली सरकारी इमारतें

†२१६४. **श्री चुन्नी लाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में कितनी और कुल कितने मूल्य की सरकारी इमारतें खाली पड़ी हुई है; और

(ख) क्या इन खाली इमारतों के सर्वोत्तम उपयोग के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) ६६ रहने वाले एककों के अलावा जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवंटित करने का विचार है, जिनके लिये इस समय कोई मांग नहीं है शिमला में केन्द्रीय सरकार की कार्यालय अथवा रहने वाली कोई भी इमारत खाली नहीं पड़ी है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार ६६ खाली एककों का पुस्त मूल्य, जो शिमला में दूर की बस्तियों में स्थापित क्वार्टर हैं, लगभग ४२,००० रुपये है ।

(ख) यथासम्भव उन्हें अधिक से अधिक भरने का प्रयत्न किया जा रहा है । शेष एककों का उपयोग उन कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये करने का जो राज्य सरकार के कार्यालय चंडीगढ़ स्थानान्तरित करने से शिमला भेजे जायेंगे तथा कार्यालयों की जो जगह खाली होगी वह भी उन्हें दे दी जायेगी ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†२१६५. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) १ जनवरी, से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक २,४२,२७० की वृद्धि हुई है ।

त्रिपुरा में "संविदा डिवीजन"

†२१६६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९५७ में त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये "संविदा डिवीजन" नाम की कोई योजना आरम्भ की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि आवंटित की गई थी और कितनी राशि व्यय की गई तथा जुलाई, १९५८ तक कितने विस्थापित लोगों को पूरा काम मिला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) १०·७६ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। ३·६५ लाख रुपये व्यय किये गये। कितने विस्थापित व्यक्तियों को काम मिला यह संख्या समय-समय पर बदलती रहती है।

लोदी गार्डेन, नई दिल्ली में नकली झील

†२१६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी गार्डेन, नई दिल्ली में कोई नकली झील बनवाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितनी लागत लगेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) दिल्ली में २०-२१ जुलाई, १९५८ को हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण तथा कुछ इमारतों में बाढ़ आ जाने और उन्हें हानि पहुंचने के कारण प्रधान मंत्री द्वारा दिल्ली में इसी प्रकार के संकटों से बचने के उपायों की योजना बनाने के लिये एक समिति बनाई गई है। समिति की एक बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि लोदी गार्डेन में एक नकली झील बना दी जाये। प्रमुख समिति द्वारा बनाई गई एक उपसमिति ने इस सुझाव की जांच की और उसे संभव नहीं बताया क्योंकि आशंका यह थी कि नकली झील से भूमिगत जल और ऊपर उठ जायेगा तथा हो सकता है कि गर्मियों में पर्याप्त जल न मिल सके।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सुन्दरबन क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†२१६८. **श्री हेम बरूआ** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुन्दर वन क्षेत्र का भूमि विकास हो जाये तो उसमें अब जो पश्चिमी बंगाल के शिविरों में पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्ति रहते हैं, उन्हें बसाने की सम्भाव्यता पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं तो इस प्रकार की योजना को प्रभावी बनाने के मार्ग में कौन से कारक बाधक हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सुन्दरवन क्षेत्र का उपयोग करने की सम्भाव्यता पर विचार किया गया है। इस कार्य के लिये हेरोभंगा वन खण्ड में पुन: प्राप्त की गई भूमि पर प्रयोगात्मक योजना की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में रेजिन व तारपीन का उद्योग

२१६९. श्री भक्त दर्शन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रेजिन व तारपीन के उद्योग के और विकास के लिये, जो उसके द्वारा गत कई वर्षों से चलाया जा रहा है, कुछ योजनायें बनायीं हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या उन योजनाओं के व्यौरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इस सम्बध में अनुदान अथवा ऋण देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग) : एक विवरण नीचे दिया गया ।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार न उस राज्य में रेज़िन और तारपीन के उद्योग के विकास के लिय कोई योजना नहीं बनायी है । लेकिन दि इंडियन टरपैन्टाइन एण्ड रेजिन कं० लि०, पो० आ० क्लटरवकगंज, बरेली, जिसमें राज्य सरकार के ८२ प्रतिशत हिस्से हैं, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की सोच रही है जिस पर ११ लाख रू० लागत आने का अनुमान है । ओलियो रेजिन तैयार करने की कारखाने की वर्त्तमान क्षमता २,७०,००० मन वार्षिक है और उसका विस्तार होने के बाद यह बढ़कर लगभग ५,४०,००० मन प्रति वर्ष हो जायगी । अभी तक इस कम्पनी ने राज्य सरकार से यह विस्तार कार्य करन के लिये ऋण या अनुदान देने को नहीं कहा है ।

जमशेदपुर की कोखा खानों में यूरेनियम निक्षेप

†**२१७०. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है जमशदपुर के निकट कोरवा खान में बुदागड़ा गांव में यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जमशेदपुर के निकट कारवा खान में बुदागड़ा गांव के नाम के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । उत्तर क्षेत्र में माटीगाड़ा नामक एक गांव है जिसमें कच्चे यूरेनियम के निक्षेप का पता लगाया गया है ।

जामसर जिप्सम कम्पनी, बीकानेर

२१७१. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जामसर जिप्सम खान बीकानेर में मशीनों द्वारा खनन कार्य होने के परिणामस्वरूप कई मज़दूर वहां से निकाल दिये गये हैं ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो पिछले ५ वर्षों में कम्पनी में कितने मज़दूर नौकर थे और अब कितने काम कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले पांच वर्षों में नियुक्त मजदूरों की औसत संख्या :—

१९५३	१०९९
१९५४ . .	१०१६
१९५५ . .	१०८३
१९५६ .	१०७४
१९५७	१२३७

इस समय जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी औसत संख्या :—

३०-९-५८ तक (हड़ताल के पहले) . .	१२४
१२-१२-५८	९४१

श्रीगंगानगर में भूमि का आवंटन

२१७२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राजस्थान राज्य सरकार से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर तहसील में कई हजार एकड़ भूमि खरीदी थी और वह भूमि बहावलपुर तथा काश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों को दी गयी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से व्यक्तियों को अभी तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है; और

(ग) कितने व्यक्तियों की भूमि अब भी अनधिकृत व्यक्तियों के अधिकार में है जिस पर वे गैर-कानूनी तौर से काश्त कर रहे हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। राजस्थान में सर्वजा डिस्ट्रीब्यूट्री गंगा नहर को ठीक करने के लिये भारत सरकार ने सन् १९५१ में राज्य सरकार को १.५० लाख रुपये कर्ज दिये थे। यह फैसला हुआ था कि राज्य सरकार इस के बदले में इस नहर से सींची जाने वाली अपनी १०,००० एकड़ जमीन काश्मीर तथा सिन्ध के शरणार्थी परिवारों और हरिजन शरणार्थियों को बसाने के लिये देगी।

(ख) सब परिवारों को जिन्हें कि जमीनें एलाट हुई थीं, एलाटमेंट के समय कब्जे दिये गये थे।

(ग) उन परिवारों में से १०४ परिवार जिन्हें कि जमीनें एलाट हुई थीं, अपनी जमीनें छोड़ कर चले गये। ७८ परिवारों को दी गयी जमीनें नाजायज तौर पर कब्जा करने वाले लोगों के पास हैं। राज्य सरकार ने इन नाजायज तौर पर कब्जा करने वाले लोगों को निकालने के लिये नोटिस दे रखे हैं। इन नोटिसों की अवधि के खत्म होने के बाद राज्य सरकार आगे कार्यवाही करेगी।

निष्क्रान्त सम्पत्ति का आवंटन

†२१७३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी निष्क्रांत सम्पत्ति के आवंटन के बारे में क्या प्रक्रिया है जिनके बारे में वैकल्पिक आवास देने के लिये न्यायिक वादे किये गये हैं ; और

(ख) ऐसे कितने मामले अभी लम्बित हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जहां तक हमें पता है, वैकल्पिक आवास के लिये कोई भी न्यायिक वादा नहीं किया गया है। यदि कोई मामला विशेष हमें बताया जाय तो हम उसकी जांच करेंगे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थानीय विकास निर्माण कार्य

†२१७४. **श्री ल० अचौ सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७-५८ में मनीपुर को स्थानीय विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये ७५ लाख रुपये की आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) मनीपुर प्रशासन को स्थानीय निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये १९५७-५८ में ७५ लाख रुपये नहीं अपितु ७६,००० रुपये की राशि आवंटित की गई थी। उस आवंटन में से मनीपुर प्रशासन ने ४०,६७७ रुपये व्यय करने का समाचार दिया है।

(ख) उपयुक्त स्थानीय सहयोग देने में लोगों की असमर्थता।

सुगंधि वाले तेल तथा इत्र उद्योग

†२१७५. **श्री गणपति राम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के सुगंधि वाले तेल तथा इत्र उद्योग के विकास के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सुगंधि और सुगंधियुक्त तेलों में प्रयोग करने का कोई विचार है और यदि ऐसा है तो ऐसे प्रयोगों के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग) एक विवरण नीचे दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस राज्य में सार भूत तेल उद्योग की विकास सम्बन्धी योजना के लिए १९५६–५७ और १९५७–५८ के क्रमशः १२,३२५ रुपये और १५,००० रुपये की राशि मंजूर की है. जिसमें जमशेदपुर केन्द्र भी शामिल है। उद्योग अधिनियम विनियमों को राज्य सहायता के अन्तर्गत छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों में वितरण के लिये ७४.५० लाख रुपये की एकम राशि के अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार को १९५६–५७ और १९५७-५८ में क्रमशः १९.६६ लाख पये की राशि मंजूर की गई थी। वितरण का व्योरा भारत सरकार को पता नहीं है।

(ग) जौनपुर में चंबेली के पौदों को उपयक्ता खाद दी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार की खाद जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपरफासफेट, पोटाश नाइट्रेट और नीम की खली का उपयोग कई उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है और फूलों की पैदावार पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिये आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। कुछ पक्षों ने सुगंधीवाले नये पौदों जैसे पाल्मारोसा, लेमनग्रास और राम्रोस उमेससीना की खेती विशेष रूप से प्रयोग के रूप में आरम्भ की है। प्रशिक्षण कक्षायें आरम्भ कर दी गई हैं तथा छात्रों को सारभूत तेल बनाने और सत निकालने में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कृषि के लिय मशीनें

†२१७६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया में क ेसी मशीन का आविष्कार किया गया है जिसे से कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष सितम्बर में आस्ट्रेलिया के इंजीनियर श्री जैक जी० बील के साथ इस मशीन के बारे में बात चीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में इस मशीन के प्रयोग की संभावनायें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख) हाल ही में जब श्री बील भारत आये थे तब उन्होंने स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण का भारत में निर्माण करने के लिये आस्ट्रेलिया की दो फर्मों से जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा था। इस सम्बन्ध में एक भारतीय फर्म से प्रस्थापना प्राप्त हुई है और सरकार उसका परीक्षण कर रही है।

(ग) यह उपकरण उन क्षेत्रों के लिये विशेष रूप से उपयोगी है जहां पानी की कमी हो, जहां जमीन ऊंची नीची हो और मिट्टी नरम हो।

बकाया किराये की वसूली

†२१७७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बकाया किराये को वसूल करने के लिये १९५७ में एस्टेट आफिस में एरियर रेंट ग्रुप नियुक्त किये गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९५१ से १९५८ तक प्रत्येक वर्ष उन्होंने कितना कार्य किया ; और

(ग) १९५१ में सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों की बकाया किराये की कुल राशि कितनी थी और १९५८ में कितनी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) १–४–५१ को बकाया किराया ३०.४५ लाख रुपये था । बाद के वर्षों में निर्धारित किये गये किराये और वसूल किये गये किराये की राशियों को छोड़ कर, प्रत्येक वर्ष जो वसूली हुई वह नीचे बताई गई है :—

वर्ष	राशि
	लाख रुपये
१९५१–५२	१५.४५
१९५२–५३	६.३६
१९५३–५४	१.८९
१९५४–५५	१.२१
१९५५–५६	१.०८
१९५६–५७	.८७
१९५७–५८	.७०
१–४–५८ से ३०–९–५८ तक	.४४
कुल :	२८.००

अभी लगभग २.४५ लाख रुपये बकाया हैं ।

(ग) अप्रैल, १९५१ को किराये की कुल ३०.४५ लाख रुपये की बकाया राशि का वर्गानुसार व्योरा उपलब्ध नहीं है । १ अक्तूबर, १९५८ को जो राशि बकाया थी उसका व्योरा यह है :—

	लाख रुपये
सरकारी कर्मचारी	२९.८३
सरकारी विभाग	३.८२
गैर-सरकारी व्यक्ति/ संस्थायें	५.००
अन्य अर्थात् विदेशी मिशन, संसद् सदस्य अनधिकृत रूप से रहने वाले	४.८०
	४३.५४

†मूल अंग्रेजी में

किराया बकाया रहने, जो कि अधिकतर कागजाती ही है, के कारण और उनकी वसूली के लिये की गई विशेष कार्यवाही १६ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३७ के उत्तर में बताई गई है।

आंध्र प्रदेश में नये औद्योगिक एकक

†२१७८. **श्री रामी रेड्डी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में नये औद्योगिक एककों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की ; और

(ख) इस योजना अवधि में जो औद्योगिक एकक स्थापित किये जायेंगे उनके नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पैनों की निबों के लिये आयात लाइसेंस

२१७९. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, १९५७ से मार्च, १९५८ के दौरान में विदेशों से पैनों की गोल्ड प्लेटेड निबों को मंगाने के लिये कितने व्यक्तियों ने आयात लाइसेंसों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ; और

(ख) कितने प्रार्थियों को लाइसेंस दिये गये और कितने व्यक्तियों को नहीं दिये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) २० व्यक्तियों ने।

(ख) ७ प्रार्थियों को लाइसेंस दिये गये और १३ को नहीं दिये गये।

त्रिपुरा में अरुंधती नगर कैम्प में डकैती

†२१८०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५८ में जब अरुंधती नगर स्थायी दायित्व शरणार्थी कैम्प के लोगों को धन का भुगतान किया जा रहा था उस समय डकैतों ने कितना धन लूट लिया ;

(ख) अब तक कितने डकैत गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) अब तक कितनी राशि बरामद की गई है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने आगे और क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ४,८८७ रुपये ३६ न० प

(ख) अब तक सात व्यक्ति गिरफतार किये गये हैं।

(ग) २,६०० रुपये।

(घ) पुलिस जांच कर रही है।

प्याज का निर्यात

†२१८१. श्री तंगामणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम से मलाया भेजे गये प्याज का व्योरा कब एकत्र किया जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि प्याज़ का निर्यात नेगापटम के छोटे बन्दरगाह से किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को मद्रास राज्य में दक्षिणी जिलों के निर्यात कर्ताओं से इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि मद्रास राज्य के बाहर के निर्यातकर्ता भी इसी बन्दरगाह से माल भेजते हैं ; और

(घ) जहाजों में अधिक स्थान उपलब्ध करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) विशाखापटनम से प्याज़ निर्यात करने की कोई सूचना नहीं मिली है और इस बन्दरगाह से मलाया और सिंगापुर को प्याज़ का निर्यात करने के लिये कोई स्टीमर नहीं चलता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) मद्रास और नेगापटम से मलाया और सिंगापुर जाने वाले दो स्टीमरों में प्याज भजा जाता है। नियमित रूप से भारत से मलाया जाने वाले अन्य माल वाहन विमानों में प्याज के लिये स्थान प्राप्त करने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है।

पंजाब में मध्यम औद्योगिक बस्ती

†२१८२. श्री दलजीत सिंह: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में कोई मध्यम औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां बनाई जायेंगी और उनका व्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार द्वितीय योजना काल में सात औद्योगिक बस्तियां बनाना चाहती है। इन बस्तियों का स्थान और लागत का प्राक्कलन नीचे बताया गया है । बटाला, पटियाला और पानीपत की बस्तियां मध्यम आकार की होंगी :—

स्थान	लागत
	(लाख रुपये)
लुधियाना	३७.००
बटाला	१०.००
मलेरकोटला	८.००
पटियाला	१०.००
पानीपत	१०.००
सोनीपत (सामुदायिक विकास खंड)	३.००
नीलोखेड़ी	३.००
कुल	८१.००

पंचायती रेडियो सेट

†२१८३. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री तंगामणि :
श्री रा० च० शर्मा : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजसहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दिये गये पंचायती रेडियो सेटों पर कितनी लागत आई ;

(ख) सेटों की लागत किस प्रकार वसूल की जाती है ;

(ग) इन सेटों की देख रेख के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) ऐसे रेडियो सेटों की सप्लाई के लिये राज्य सरकारों से कितनी मांग आई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) १९५८–५९ में आकस्मिक प्रभारों में अतिरिक्त पंचायती रेडियो सेटों का अन्य आवश्यक सामान (एरियल, लाउडस्पीकर और ड्राई बैटरी) का जो मूल्य चुकाया गया वह नीचे बताया जाता है :—

ए सी मेन एम डबल्यू एस डबल्यू सेट	ड्राई बैटरी एम डबल्यू सेट	ड्राई बैटरी एम डबल्यू एस डबल्यू सेट
२४० रुपये	२२५ रुपये	२५६ रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अन्य सामान, रेल भाड़े और बीमा प्रभारों समेत रेडियो सेट का मूल्य का ५० प्रतिशत देती है जो १२५ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। राज्य सरकारों को कम से कम २५ प्रतिशत ग्राम वासियों से वसूल करना पड़ता है ।

(ग) पंचायती रेडियो सेटों की देख रेख राज्य सरकारों को ही करनी होती है। देख रेख और मरम्मत आदि के खर्च में केन्द्रीय सरकार कोई अशंदान नहीं देती।

(घ) १९५८-५९ के लिये राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से १०,८५० सेटों की मांग आई है और उनकी सप्लाई का प्रबन्ध कर दिया गया है।

कुमारी अनिता बोस

†२१८४. **श्री राम कृष्ण : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुभाष चन्द्र बोस की सुपुत्री कुमारी अनिता बोस ने भारत में रहने की इच्छा प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिलसिले में उसे किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जहां तक सरकार को मालूम है कुमारी अनिता बोस ने भारत में स्थायी तौर से बसने की इच्छा प्रकट नहीं की है। कई बार उन्हों ने कुछ समय के लिये भारत आने की इच्छा प्रकट की है। सरकार ने यह सहमति प्रकट की है कि जब कभी वह भारत आना चाहें उन्हें यात्रा के लिये आवश्यक दस्तावेज भेज दिये जायेंगे ।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुमारी अनिता बोस के लिये एक न्यास निधि की स्थापना कर दी है। इस निधि का ब्याज उन्हें ५०० रुपये मासिक के हिसाब से भेज दिया जाता है।

ईटुमन्नूर (केरल) में वर्कशाप

†२१८५. **श्री मणियंगाडन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेकारों की अग्रिम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित कितने व्यक्ति केरल राज्य में ईटुमन्नूर की वर्कशाप में नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है ;

(ग) क्या उन्हें कोई भत्ता अथवा अन्य सुविधायें दी गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ङ) उन्हें प्रति दिन कितने घंटे काम करना पड़ता है और दोपहर के समय मध्याह्न काल कितना होता है ;

(च) क्या वर्कशाप में वे सब सुविधायें दी जाती हैं जो कारखाना अधिनियम में उल्लिखित हैं ;

(छ) यदि नहीं, तो कौन सी सुविधायें नहीं दी गई हैं ; और

(ज) इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ज). एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

(क) प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा कर लेने के बाद ८५ प्रशिक्षणार्थी ईदटामन्नूर वर्कशाप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ४५ रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्हें नियमित स्थानों पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा रहा है जहां उन्हें अधिक मजूरी मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य भत्ता भी दिया जायेगा।

(ग) और (घ). छात्रवृत्ति के इस समय उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाता है क्यों कि अभी व प्रशिक्षणार्थी ही हैं। जब कभी उन्हें केरल राज्य में अन्य कर्मशालाओं में भेजा जाता हैं तब उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(ङ) उन्हें ८ बजे प्रातः से ५–३० बजे सायंकाल तक काम करना पड़ता है और १२ से १ बजे तक खाना खाने के लिये छुट्टी दी जाती है परन्तु शनिवार को काम का समय ८ बजे से २–३० बजे तक होता है और १२ से १ बजे तक खाना खाने के लिये छुट्टी रहती है।

(च) से (ज). वह केन्द्र कारखाना अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक बस्ती में स्थित है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वर्कशाप में सुविधायें दी जा रही हैं।

फ्रांस के साथ व्यापारिक करार

†२१८६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस हाल में भारत के साथ व्यापारिक करार करने के बारे में विचार करने के लिये तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). भारत और फ्रांस में व्यापारिक करार करने के बारे में दोनों देशों की सरकारें विचार कर रही हैं परन्तु अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

दिल्ली में भूमि का अर्जन

†२१८७. **श्री च० कृ० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६४८ के पश्चात् सरकार ने दिल्ली में विभिन्न प्रयोजनों से, प्रत्येक प्रयोजन के लिये अलग-अलग, कितनी भूमि अर्जित की ;

(ख) अब तक प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी गई है और कितनी बकाया है ; और

(ग) यमुना बांध के लिये अर्जित की गई भूमि का प्रतिकर चुकाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** :(क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२९**]

(ग) जो लोग भुगतान लेने आये हैं उन सब को प्रतिकर चुका दिया गया है। जो लोग नहीं आये उनकी राशि सरकारी कोष अथवा राजस्व निक्षेप में जमा कर दी गई है। विवादपूर्ण मामलों में राशियां न्यायालयों में जमा कर दी गई हैं।

पंजाब में उद्योग

†२१८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भाखड़ा बांध से बिजली की सप्लाई शु होने से पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग आरम्भ करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और उद्योग कहां-कहां आरम्भ किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). माननीय सदस्य को मालूम होगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की योजनायें सरकार के पास आती रहती हैं और उन के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किये जाते हैं।

विद्युत संभरण अथवा अन्य संसाधनों का पुर्वानुमान लगा कर साधारणतः योजनायें प्राप्त नहीं की जाती हैं।

पत्र-पत्रिकायें

†२१८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा विभिन्न भाषाओं में कितने पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं ;

(ख) १९५८ में, अब तक, नके प्रकाशन पर वेतनों समेत कुल कितनी लागत आई ; और

(ग) इसी अवधि में पत्र और पत्रिकाओं के विक्रय से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) पांच :

अंग्रेजी

१. जर्नल आफ डस्ट्री एण्ड ट्रेड . . .	मासिक
२. मीट्रिक मैजर्ज . . .	द्वै-मासिक
३. इंडियन ट्रेड जर्नल	साप्ताहिक

हिन्दी

१. उद्योग व्यापार पत्रिका	मासिक
२. मीट्रिक मापतोल . . .	साप्ताहिक

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अप्रैल से नवम्बर, १९५८ तक कागज, छपाई, वेतन आदि पर हुए कुल खर्च के लगभग आंकड़े ये हैं :--

	रुपये
१. जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड	१,२५,०००
२. उद्योग व्यापार पत्रिका	३४,०००
३. मीट्रिक मैज़र्ज } ४. मीट्रिक मापतोल	५१,०००
५. इंडियन ट्रेड जर्नल	४,३०,०००

(ग) अप्रैल से नवम्बर, १९५८ तक विक्रय तथा विज्ञापनों से हुई आय के आंकड़े मोटे तौर पर ये हैं :--

	रुपये
१. जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड	५६,०००
२. उद्योग व्यापार प[ ]का	१२,०००
३. मीट्रिक मैज़र्ज } ४. मीट्रिक मापतोल	३४,०००
५. इंडीयन ट्रेड जर्नल	१,७५,०००

बड़े-बड़े नेताओं के भाषणों के अभिलेख रखना

†२१९०. { **श्री पाणिग्रही :** **श्री तंगामणि :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े-बड़े भारतीय नेताओं के भाषणों के अभिलेख रखती है ;

(ख) यदि हां, तो कितने नेताओं के भाषणों के अभिलेख तैयार किये गये हैं और उन नेताओं के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या केवल उन्हीं नेताओं के भाषणों के अभिलेख [त]यार कि[ये] जाते हैं जो अब जीवित नहीं हैं या कि उनके भी जो जीवित हैं ;

(घ) नेताओं के ऐसे कितने अभिलेख आकाशवाणी के अभिलेखागार में रखे गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क), (ख) और (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट अनुबन्ध ४, संख्या १३०]**

(ग) आकाशवाणी में क्षमता सीमित होने के कारण केवल अत्यन्त आवश्यक अभिलेखों को ही लेखाबद्ध किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी

†२१९१. { **श्री तंगामणि :**
श्री पाणिग्रही :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चलचित्र विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रलेखीय चित्रों को, आकाशवाणी में उन्हीं विषयों सम्बन्धी पूरे कथा चित्र तैयार करने में, प्रयुक्त करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कथाओं के कितने चित्र तैयार किये जा चुके हैं ;

(ग) इन कथाओं के नाम और ब्योरा क्या हैं ; और

(घ) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक हो तो इस प्रस्थापना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). आकाशवाणी ने पूर्ण कथा चल चित्र तैयार करने में प्रयोग किये गय प्रलेखीय चित्रों का ब्योरा बताने वाला विवरण नीचे दिया जाता है :--

विवरण

क्रम संख्या	प्रलेखीय चित्र का नाम	ब्योरा	प्रसारण की तिथि
१	रिपोर्ट फ्राम हाई लैंड्स	आदिम जाति क्षेत्रों के जीवन तथा वहां किये गये विकास कार्यों का अंकन ।	२९-५-५८
२	नेपा	नेपा के रहने वालों और वहां के विकास कार्य का वर्णन ।	२२-७-५८
३	कोंकन	कोंकन का इतिहास, वहां का जीवन और विकास कार्य	२६-७-५८
४	भाखड़ा नंगल	नदी घाटी परियोजना के निर्माण का इतिहास और उसका महत्व ।	२३-९-५८
५	बनारस	भारत के इस प्राचीन नगर का जीवन, उसका महत्व तथा पवि स्थान ।	२८-१०-५८
६	गोदावरी	राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्य में दक्षिण की इस महान नदी की उपयोगिता का अवलोकन ।	२५-११-५८

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

चश्मों के फ्रेमों का आयात

†२१६२. श्री बहादुर सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चश्मों के फ्रेमों के आयात को दो वर्गों (१) धातु फ्रेम और (२) प्लास्टिक फ्रेम में बांटा गया है ;

(ख) क्या धातु तथा प्लास्टिक दोनों से बने फ्रेमों को सरकार की आयात व्यापार नियंत्रण नीति में परिभाषित, वर्गीकृत तथा उल्लिखित किया गया है ;

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिकारी इन मिश्रित फ्रेमों का किसी वर्ग में वर्गीकरण करते हैं ;

(घ) यदि हां, तो किस में ;

(ङ) क्या इन मिश्रित फ्रेमों का आयात करने वालों पर कुछ जुर्माना किया गया था तथा उनकी वस्तुओं को अनधिकृत आयात घोषित किया गया था ;

(च) क्या कुछ आयातकर्ताओं को 'काली सूची' में रख दिया गया था ; और

(छ) क्या मिश्रित फ्रेमों के आयात का विनियमन करने तथा किसी वर्ग में रखने का कोई प्रस्ताव सरकर के विचाराधीन है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । परन्तु नवम्बर १९५४ में अनुज्ञप्ति तथा सीमा शुल्क अधिकारियों ने आदेश जारी किए थे कि प्लास्टिक की लम्बाई तथा राशि न देखते हुए इन मिश्रित फ्रेमों को प्लास्टिक फ्रेम आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के क्रमांक ९४(क) (२)/५ के अधीन तथा धातु के फ्रेम जिनमें धातु के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हो उस अनुसूची के क्रमांक ९४(ख) के अधीन वर्गीकृत घोषित करें ।

(ग) और (घ). चश्मों के सभी फ्रेम, चाहे वे लास्टिक के बने हों अथवा धातु के, केवल उनको छोड़कर जिन पर सोने अथवा चांदी का पानी चढ़ा हो तथा मिश्रित फ्रेम भारतीय सीमा शुल्क अनुसूची के क्रमांक ७७ (६) के अधीन आते हैं । सोने अथवा चांदी के बने चश्मे के फ्रेम भारतीय सीमा शुल्क अनुसूची के क्रमांक ६१(४), ६१(६) अथवा ६१(८) के अधीन आते हैं ।

(ङ) जी हां ।

(च) जी नहीं ।

(छ) जी नहीं । चश्मों के फ्रेमों का आयात जुलाई १९५७ से बन्द कर दिया गया है ।

नई दिल्ली में बौद्ध यात्रियों का विश्राम-गृह

†२१९३. श्री राम कृष्ण : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ३,००,००० रुपये की लागत का बौद्ध यात्रियों के लिए एक विश्राम-गृह दिल्ली में बनाने जा रही है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या भारतीय सरकार कोई सहायता देने जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) लंका सरकार नई दिल्ली में बौद्ध यात्रियों के लिए एक विश्राम गृह बना रही है । प्रस्तावित भवन का प्राक्कलित व्यय मालूम नहीं है ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने १ रुपया वार्षिक किराये पर तीस वर्ष के लिए भारत में लंका के उच्चायुक्त को नई दिल्ली में ०.५१ एकड़ भूमि का प्लौट पट्टे पर दिया है ।

भारत-स्वीडन व्यापार अनुसूचियां

†२१९४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-स्वीडन व्यापार अनुसूचियों को और आगे बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये ;

(ग) क्या कोई नई आयात तथा निर्यात वस्तुएं इसमें शामिल की गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या क्या ; और

(ङ) निर्यात तथा आयात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). जी हां । अनुसूचियों की मान्यता अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ तक के लिए बढ़ा दी गई है । इस सम्बन्ध में २९ नवम्बर, १९५८ को किए गए पत्र व्यवहार को संलग्न किया जाता है । उनके अनुसार भारत से स्वीड़न को निर्यात होने वाली वस्तुओं की सूची में दस वस्तुएं और शामिल की गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३१]**

(ङ) यह वस्तु अनुसूचियों में केवल वस्तुओं के नाम बताये हैं । यह जरूरी नहीं है कि इनका निर्यात होता ही हो । इनके विस्तार तथा रूपभेद से प्रत्येक देश को मदों में निर्यात के बढ़ने की संभावना रहती है और उससे आयात पर असर पड़ता है ।

पश्चिम बंगाल में नारियल जटा उद्योग

†२१९५. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण व उत्पादन एकक आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या नारियल जटा बोर्ड बनने के पश्चात् पश्चिम बंगाल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). जी हां । पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में नारियल जटा उद्योग के दो प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है । राज्य सरकार योजना लागू करेगी तथा १९५८–५९ में योजना का कुल व्यय का प्राक्कलन १,३७,००० रुपये है । भारत सरकार ने उपरिलिखित योजना की प्रविधिक स्वीकृति दे दी है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने योजना अवधि में, हावड़ा जिले के उलुबेरिया में १·९९ लाख रुपये की लागत की नारियल जटा उद्योग की शाखा गवेषणा संस्था तथा नमूना कारखाना बनाने की अनुमति दे दी है । नारियल जटा बोर्ड इस योजना को लागू कर रहा है ।

कोटा प्रमाणपत्र

†२१९६. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या तथा में से हटाये गये मदों के लिए कोटा प्रमाण पत्रों की गणना के लिए मूल वर्षों में १९५०–५१ तथा १९५१–५२ वर्षों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह नीति बना ली गई है कि भविष्य में मूल वर्ष १९५२–५३ माना जायेगा। इससे पहले के वर्षों को सम्मिलित करने के विशेष कारण होने चाहिए ।

उड़नशील तेल[1]

†२१९७. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग में काम में आने वाली कुछ उड़नशील तेलों के सम्बन्ध में कोटा प्रमाण पत्र निश्चित करने के लिए १९५६–५७ वर्षों को अलग रखने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मूल अवधि को १९५६–५७ तक बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

आयात अनुज्ञप्तियां

†२१९८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में आयात को मुख्य निर्देशक द्वारा दिए गए आदेशों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों में भारत सरकार के विरुद्ध उपयुक्त लेख[2] जारी करने के लिए कई आवेदन पत्र दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने लेख लम्बित हैं ; और

(ग) इन लेखों पर अब तक (क) फीस तथा अन्य व्यय (ख) लागत के सम्बन्ध में कितना व्यय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Essential Oils.

[2]Units.

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी हां ।

(ख)	पंजाब उच्चन्यायालय	७
	कलकत्ता उच्चन्यायालय	८
	मद्रास उच्चन्यायालय	१५
	बम्बई उच्चन्यायालय	२
	जोड़	२८

(ग) ८४,६६२ रुपये । फीस, अन्य व्यय तथा लागत आदि की जानकारी नहीं है क्योंकि मुकदमे के निलम्बन के समय सामान्यतः इनका भुगतान नहीं होता ै तथा इन लेख-याचिकाओं के समाप्त हो जाने के पश्चात् तथा व्यय आदि निश्चित होने पर इनका पता लगता है ।

हथकरघे की वस्तुयें

†२१६६. श्री का० च० जैना : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८ के आरंभ में कितने मूल्य की हथकरघे की वस्तुओं का निर्यात हुआ ;

(ख) क्या हाथ से कते तथा हाथ से बुने कुछ कपड़े का भी निर्यात किया गया है ; और

(ग) गत दो वर्षों में भारत के किन राज्यों ने अधिकतम तथा किन राज्यों ने न्यूनतम हथकरघे की वस्तुयें बनाई हैं ;

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जनवरी से अगस्त १६५८ तक ३०८.६ लाख रुपये ।

(ख) विदेशी ग्राहकों की ओर से कभी कभी विदेशों में थोड़ी मात्रा में खादी भेजी गई ।

(ग) राज्यवार हथकरघे के कपड़े के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु जम्मू तथा काश्मीर, दिल्ली, मनीपुर, तथा हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों से, सरकारी क्षेत्र में हथकरघे के कपड़े के उत्पादन के सम्बन्ध में रिपोर्ट मिली हैं । इन से यह ेखा जा सकता है कि १६५७-५८ में मद्रास राज्य में अधिकतम मात्रा में तथा त्रिपुरा में न्यूनतम मात्रा में हथकरघे का कपड़ा बनाया गया है ।

चाय परिषदें

†२२००. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में अब तक कितनी चाय परिषदें बनाई गई और

(ख) किन देशों में नकी स्थापना हो चुकी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) पांच ।

(ख) अमरीका, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड तथा आयरलैंड

कांच के कारखाने

†२२०१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कांच के कारखाने स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कांच के कारखाने स्थापित करने के लिए सामग्री की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). दुर्गापुर में दर्शन यंत्रों तथा चश्मों के शीशे बनाने के संयंत्र के अतिरिक्त, सरकार का विचार अन्य कोई कांच का कारखाना स्थापित करने का नहीं है । उपयुक्त स्थान के चुनाव के पश्चात् गैर सरकारी उद्योगपति कांच के कारखाने स्थापित करेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में योजना का प्रचार

†२२०३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि ;

(क) १९५८-५९ में अब तक हिमाचल प्रदेश में योजना प्रचार के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ; और

(ख) उपरिलिखित अवधि में हिमाचल प्रदेश के योजना प्रचार विभाग ने कौन से प्रकाशन निकाले हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) १९५८-५९ वर्ष में हिमाचल प्रदेश में योजना प्रचार के लिए कुल २,३७,४४० रुपये स्वीकार किए गए हैं जिनमें पोस्टरों तथा पुस्तिकाओं के प्रकाशन की ९,००० रुपये की राशि शामिल है । हिमाचल प्रदेश प्रशासन समय समय पर आवंटन में से स्वीकृति देता है । 'जन सम्पर्क विभाग' ने 'भीरटिक प्रणाली' की एक पुस्तिका हिन्दी में निकाली है ।

दमदम में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

†२२०४. **श्री हाल्दर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्तूबर १९५८ में एयरोनौटिकल सर्विसिज लिमिटेड दमदम से सम्बद्ध प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) प्रशिक्षण केन्द्र का व्यापार विभाग १ अक्तूबर १९५८ से बन्द कर दिया गया है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) व्यापार विभाग में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष थी । ऐसा अनुभव हुआ है कि एक वर्ष के व्यापार पाठ्यक्रम से प्रशिक्षणार्थियों को पूरा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है तथा इसलिए पुनर्वास तथा नियुक्ति प्रशिक्षण योजना के महानिदेशालय के अधीन अधिक अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किए व्यक्तियों से वह नियुक्ति के समय प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं । इसलिए एक वर्ष का पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया है राज्य सरकार के परामर्श से उसी स्थान पर दो वर्ष का प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की जा रही है ।

तिब्बती सीमा क्षेत्र

२२०५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के विशेष पदाधिकारी श्री पी० एन० कौल ने कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र का भ्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों ने अपनी कौन-कौन सी कठिनाइयां उन्हें बताई थीं और कौन-कौन सी मांगें उनके समक्ष प्रस्तुत की थीं ; और

(ग) उन कठिनाइयों व मांगों में से प्रत्येक के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । विदेश मंत्रालय के सीमान्त-क्षेत्र विशेषाधिकारी, श्री पी० एन० कौल ने अगस्त-सितम्बर १९५८ में गढ़वाल जिले के ऊंचाई पर बसे हुए इलाकों का दौरा किया था ।

(ख) जिन कठिनाइयों की रिपोर्ट उनसे की गई, वे ये थीं । आम गरीबी, तिब्बत के साथ व्यापार में कमी, सिंचाई की अच्छी सुविधाओं का अभाव, गमसाली स्कूल को जूनियर हाई स्कूल बना देने और उसमें नवीं कक्षा तथा विज्ञान के विषयों की पढ़ाई शुरू करने की जरूरत, शिक्षा संबंधी स्कालरशिप और बढ़ाने की जरूरत, संचार-साधनों में सुधार की जरूरत, तारघर खोले जाने और वर्तमान डाकघरों में सेविंग बैंक सुविधाएं देने की जरूरत, जिला परिषदों और राज्य विधान सभा में स्थान सुरक्षित करने की जरूरत, ऊंचाई पर बसे इलाकों में गर्मी के महीनों में सस्ती दर पर अनाज बेचने के लिये गल्ले की दुकानें खोले जाने की जरूरत ।

(ग) जो बातें उठाई गई थीं, उन सब पर कार्रवाई तभी की जा सकती है, जब राज्य सरकार उन पर उचित विचार कर ले और योजना बना ले ।

इसलिए, सीमान्त क्षेत्र-विशेषाधिकारी ने इन कठिनाइयों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और गृह-सचिव के साथ बातचीत की और इस मामले में जल्दी और ठोस कार्रवाई करने की जरूरत की तरफ राज्य सरकार का विशेष रूप से ध्यान दिलाया ।

द्वितीय योजना काल के १९५९-६० साल की आर्थिक सहायता के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की मांगों पर विचार करते हुए योजना कमीशन ने, अभी हाल में, इस बात पर खास जोर दिया कि सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की इन तकलीफों को दूर किया जाय । उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना कमीशन को विश्वास दिलाया है कि उत्तर प्रदेश के ऊंचाई पर बसे इलाकों में रहने वालों की तकलीफों पर शीघ्र ही उचित ध्यान दिया जाएगा ।

आनन्द पर्वत एस्टेट में केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२२०६. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द पर्वत एस्टेट नई दिल्ली, में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पानी संभरण के लिए ४ रुपये मासिक लिये जाते हैं जबकि पंचकुई रोड, नई दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से केवल ०.७५ रुपये मासिक लिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आनन्द पर्वत एस्टेट में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रत्येक परिवार द्वारा औसतन कितनी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी नहीं । आनन्द पर्वत एस्टेट अथवा अन्य किसी स्थान पर रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पानी के भार निम्न दरों पर लिए जाते हैं :—

१. दफ्तरियों के क्वार्टर	२/१२/– रुपये मासिक
२. चपरासियों के क्वार्टर . .	१/४/– रुपये मासिक

इन दरों पर पर्याप्त सहायता दी जाती है । आनन्द पर्वत पर प्रति परिवार ४ रुपये मासिक का पानी उपयोग में लाया जाता है क्योंकि पानी का दबाव बढ़ाने के लिए बूस्टर पम्प लगाना पड़ता है परन्तु जो उनसे लिया जाता है वह ऊपर बताया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) क्योंकि क्वार्टरों में अलग मीटर नहीं लगाये जाते हैं इसीलिए जानकारी प्राप्त नहीं है ।

नेफा

२२०७. { **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री यादव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री जगदीश अवस्थी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा जाने के लिये पार-पत्र की आवश्यकता होती है ; और

(ख) यदि हां, तो पार-पत्र जारी करने की क्या व्यवस्था है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) विदेश मंत्रालय और उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी के राजनीतिक अधिकारीगण (पोलिटिकल आफिसर्स) परमिट जारी करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगलौर में वाणिज्य मंडलों (चेम्बर्स आफ कामर्स) की बैठक

†२२०८. **श्री आचार** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर, मद्रास, आन्ध्र तथा केरल के वाणिज्य मडलों (चेम्बर्स आफ कामर्स) के प्रादेशिक सम्मेलन, जो सितम्बर १९५८ में बंगलौर में हुआ था, में पास किए गए संकल्प तथा कार्यवाहियां भारत सरकार को मिल गए हैं तथा उसने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). यह संकल्प सम्बन्धित मंत्रालयों को विचारार्थ कार्य के लिए भेज दिए गए हैं ।

मेत्तूर (सैलम) में अल्युमिनियम संयंत्र

†२२०९. **श्री तंगामणि** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १७ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के मेत्तूर (सैलम) में अल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक इटेलियन सार्थ के साथ मिल कर एक संस्था ने अल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए सुझाव भेजे हैं । मामले की जांच की जा रही है । ऐसा पता लगा है कि इटली के साथ के कुछ प्रतिनिधियों ने स्थानीय दशा देखने के लिए स्थान का हाल में ही दौरा किया है ।

सूडान मिस्री कपास का आयात

†२२१०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्थापित सूती वस्त्र परामर्श दाता बोर्ड की उपसमिति ने यह सिफारिश की है कि सूडान मिस्री कपास को शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त मात्रा में आयात किया जाये ;

(ख) कुल कितनी कपास आयात करने की अनुमति दी गयी है ;

(ग) प्रोत्साहन योजना के अधीन मिलों को देने के लिये कितनी कपास रक्षित रखी जायेगी ; और

(घ) इस समय विदेशी कपास का कितना स्टाक है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जहां तक १ सितम्बर, १९५८ से प्रारम्भ होने वाले चालू कपास के मौसम का सम्बन्ध है, उसके लिये सरकार ने विदेशी कपास की कुल ३२१,००० गांठें मंगवाने की अनुमति दी है। उनमें से १४५,५०० गांठे निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन मिलों को मंगवाने की अनुमति दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) ३१ अक्तूबर, १९५८ को मिलों तथा व्यापारियों के पास कुल लगभग १.०५ लाख गांठ विदेशी कपास थी ।

चाय उद्योग सम्बन्धी सम्मेलन

†२२११. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि शीघ्र ही शिलांग में सरकारी पदाधिकारियों, भारत के राज्य बैंक और भारत के रक्षित बैंक के प्रतिनिधियों, चाये बागान मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) : आसाम सरकार ने यह इच्छा प्रकट की थी कि खण्डों के लिये चाय उद्योग की आवश्यकता और फसल से प्राप्त होने वाली राशि के बारे में विचार करने के लिये शिलांग में एक सम्मेलन किया जाये । क्योंकि बैंकिंग प्राधिकारियों के परामर्श से इस समस्या की गहनता पर मौटे तौर पर विचार करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, इसलिये अभी इस प्रकार का सम्मेलन नहीं बुलाया जा रहा है । बाद में यदि आवश्यकता हुई, तो सम्मेलन बुला लिया जायेगा ।

अफ्रीका-एशिया आर्थिक सम्मेलन

†२२१२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न भारतीय उद्योगों के लगभग ५० प्रतिनिधियों के व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल ने अफ्रीका-एशिया आर्थिक सम्मेलन में भाग लेना था;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिनिधियों को वास्तव में उसमें भाग लेने की अनुमति दी गयी थी ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) किन-किन उद्योगों और कितने प्रतिनिधियों को उसमें भाग लेने के लिये भेजा जायेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) भारतीय वाणिज्य था उद्योग मंडल संघ ने पहले १८ व्यक्तियों का नाम निर्देशित किया था ।

(ख) और (ग). संघ को यह सुझाव दिया गया था कि विदेशी मुद्रा को कम से कम सीमा तक खर्च करने के लिये यही बेहतर होगा कि कोई छोटा सा प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाये । संघ ने फिर बाद में अन्तिम रूप से ५ व्यक्तियों को इस कार्य के लिये नियुक्त किया है ।

(घ) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है कि प्रतिनिधि मण्डल के लिये प्रतिनिधि चुनते समय किन-किन उद्योगों को ध्यान में रखा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब-पाकिस्तान की सीमा पर ढोरों की चोरी

†२२१३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९५८ को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में पंजाब—पाकिस्तान की सीमा पर प्रतिवर्ष तस्कर व्यापार और ढोरों की चोरी के कुल कितने मामले पकड़े गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) :** अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

	१-९-५६ से ३१-८-५७	१-९-५७ से ३१-८-५८
(१) पाकिस्तानियों द्वारा ले जाये गये ढोर	५९	८८
(२) तस्कर व्यापार के पकड़े गये मामले	७३८	४२०

पंजाब में औद्योगिक एकक

†२२१४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पंजाब राज्य में कौन-कौन से नये औद्योगिक एकक स्थापित किये गये थे और उनकी अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उनके लिये सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गयी थी और उसमें से अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जोतो की उच्चतम सीमा

†२२१५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि जोतो की उच्चतम सीमा निर्धारित कर देने से खाद्य के उत्पादन पर क्या-क्या असर पड़ेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार कब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी ; और

(ग) क्या उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) से (ग). कृषि उत्पादन को पूर्णरूपेण ध्यान में रखते हुए ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जोतो की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की नीति की सिफारिश की गयी है । एक प्रगतिशील ग्राम्य अर्थ व्यवस्था बनाने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि भूमि के स्वामित्व में जो भारी अन्तर है उसे कम किया जाये और इस दृष्टि से कि उत्पादन में

†मूल अंग्रेजी में

कमी न हो, यह सिफारिश की गयी है कि उन व्यवस्थित फार्मों में उच्चतम सीमा निर्धारित न की जाये जो कि किन्हीं विशेष शर्तों को पूरा करते हैं और जिनके टुकड़े होने पर उत्पादन में कमी हो जाने का खतरा है ।

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन

†२२१६. **श्री वें० प० नायर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५१–५२ और १९५७–५८ के वर्षों में प्रत्येक राज्य में कुल कितनी कीमत के खाद्यान्नों, व्यापारिक फसलों तथा अन्य कृषि वस्तुओं का उत्पादन किया गया था ; और

(ख) उक्त दोनों वर्षों में प्रत्येक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादित की गयी कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की कितनी कीमत है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). राज्यवार अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार की जानकारी तो राष्ट्रीय आय प्राक्कलनों के रूप में प्रतिवर्ष सम्पूर्ण भारत के लिये संकलित की जाती है ।

लंका में भारतीय

†२२१७. **श्री तंगामणि :** क्या प्रधान मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का विनिश्चय कर लिया गया है कि लंका में दंगों के कारण कितने भारतीयों की मृत्यु हो गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) :** (क) जी हां ।

(ख) दंगों में तीन भारतीय मारे गये थे । आहत लोगों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हुई है ।

चलचित्र विवाचन बोर्ड

†२२१८. **श्री तंगामणि :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों के निर्वाचन के लिये कोई अलग बोर्ड स्थापित किया गया है ;

(ख) बोर्ड में प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाताओं को कैसा प्रतिनिधित्व प्राप्त है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के नाम निर्देशित व्यक्तियों को स्वीकार करती है ; और

(घ) क्या मद्रास राज्य ने वतमान प्रणाली का विरोध किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क). और (ख). प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों के विवाचन के लिये कोई अलग बोर्ड नहीं है । फिल्मों का परीक्षण करने वाले बोर्ड में कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो कि प्रादेशिक भाषाओं को भी जानते हैं ।

(ग) सिनमेटोग्रोफ एक्ट, १९५२ में अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों में इस प्रकार का कोई भी उपबन्ध नहीं कि राज्य सरकार अपने नामजद व्यक्तियों को भेज सके ।

(घ) जी, नहीं ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : जो स्थगन प्रस्ताव मैं ने दिया था, उसके सम्बन्ध में आपने लिखा है कि यह विधि और व्यवस्था का मामला है । मेरा निवेदन है कि राजस्थान के भगवाड़ा नामक स्थान पर जो सत्याग्रह हो रहा था, उसे दबाने के लिये सेना बुलायी गयी थी और जब सेना बुलायी गई थी, तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव को मैंने इस कारण गृहीत नहीं किया कि यह मामला विधि और व्यवस्था का है । राजस्थान में किसी जगह सत्याग्रहियों के ऊपर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी और बाद में स्थिति न संभलने पर सेना को बुलाना पड़ा । दंड प्रक्रिया संहिता में यह उपवस्था है कि एक स्थानीय अधिकारी स्थिति पर काबू न पा सकें तो वे सेना की मदद मांग सकते हैं और यह मदद उनको देनी पड़ती है । यह हमारे कानून में है । इसके अलावा हम जानते हैं कि राजस्थान में भी एक विधान-सभा है । अतः इस मामले को उठाना वहां की विधान-सभा तथा उसके सदस्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा, जो कि हमें नहीं करना चाहिये ।

†श्री ब्रजराज सिंह : ठीक है, किन्तु मेरा तो यह निवेदन है कि जब वहां पर सत्याग्रह शांतिपूर्वक हो रहा था तो सेना बुलाने की क्या आवश्यकता थी ?

†अध्यक्ष महोदय : संसद् द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार यदि कोई राज्य सेना की मांग करता है तो सेना भेजनी पड़ती है । हम लोग इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते । इन परिस्थितियों के अधीन मैं स्थगन प्रस्ताव को गृहीत नहीं कर सकता ।

जानकारी का प्रश्न

(संसद्-भवन के बाहर सुरक्षा-व्यवस्था)

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : अध्यक्ष महोदय, संसद्-भवन के बाहर रात भर २ हजार सत्याग्रही सत्याग्रह करते रहे हैं । मेरा निवेदन है कि आपको जाकर उनसे बात करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं । कल भी यह मामला उठाया गया था । किसी भी सत्याग्रही को संसद्-भवन के अहाते में नहीं घुसने दिया जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ** : यह एक गम्भीर मामला है और आपको, गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री को उनसे जाकर बात करनी चाहिये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : मेरा निवेदन है कि सभा के एक सदस्य को भी संसद् के परिषद् में घुसने से रोका गया ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि पुलिस की गाड़ियों को आपकी अनुमति से भवन के परिसर के भीतर लाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सभा के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी माननीय सदस्य को सभा के परिसर में आने से रोका गया, तो वह मुझसे इस बात की शिकायत कर सकते हैं और जहां तक संसद् के परिसर का सम्बन्ध है प्रक्रिया नियमों में कहा गया है कि इसमें सभा-कक्ष, लाबियां, गैलरियां तथा अन्य ऐसे स्थान सम्मिलित होंगे, जिन का निदेश अध्यक्ष करे । अतः बाहर का सारा क्षेत्र संसद् की सीमा में नहीं आता, जब तक कि मैं ऐसा निदेश न दूं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मुझे सभा में आने से रोका गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसा था तो माननीय सदस्य लिखित रूप में मुझे से शिकायत कर सकते हैं और मैं उसकी जांच करवाऊंगा । मेरे लिये यह सम्भव नहीं कि मैं सभा की बैठक स्थगित कर के वहां जाऊं और जांच करूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११४८/५८]

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५६-५७ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत विनियोग लेखे (असैनिक), १९५६–५७ (दर्शनार्थ वाणिज्यिक लेखे सहित) और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११४९/५८]

†मूल अंग्रेजी में

नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसकी समीक्षा

†**सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री हाथी)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) ९ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिये नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का लेखा-परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन ।

(२) उक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११५०/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३९ में प्रकाशित सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (निर्धारित दरें) नियम, १९५८ ।

(२) दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४० में प्रकाशित सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (ब्रैंड दरें) नियम, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११५२/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्मलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल-पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ११४१, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८, जिसमें सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (निर्धारित दरें) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ११४२, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८, जिसमें सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (ब्रैंड दरें) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(३) जी० एस० आर० संख्या ११४३, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ ।

(४) जी० एस० आर० संख्या ११४४, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११५३/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११५४/५८]

तारांकित प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं जेन के लड़ाकू जहाजों के बारे में श्री उमाचरण पटनायक के तारांकित प्रश्न संख्या १५५० के २४ सितम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर को स्पष्ट करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ११५५/५८]

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा निदेश

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या १२५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है कि राज्य-सभा ने अपनी १८ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९५८ को पारित आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

अधीनस्थ विधान-सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिन्डा) : मैं अधीनस्थ विधान-सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं रेलवे मंत्रालय—वाणिज्यिक मामलों सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (प्रथम लोक-सभा) के छब्बीसवें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सदस्य द्वारा क्षमा याचना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे संसद् सदस्य, श्री लीलाधर कटकी का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने सभा की और विशेषाधिकार समिति की अनुमति लिये बिना आसाम विधान सभा की आसाम पंचायत विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के सामने साक्ष्य देने और एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए क्षमा याचना की है । श्री कटकी ने कहा है कि उन्हें सभा के विशेषाधिकार सम्बन्धी नियमों के बारे में ज्ञान नहीं था इसलिए उनसे यह गलती हो गई थी जिसके लिए उन्हें अत्यधिक खेद है ।

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १८ दिसम्बर, १९५८ को डा० केसकर द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि चलचित्र अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : यह तय हुआ था कि विचार प्रस्ताव के लिये २½ घंटे का समय दिया जायेगा और द्वितीय तथा तृतीय वाचन के लिये आधे घंटे का समय ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : चूंकि कल के बाद सभा की बैठक नहीं हो रही है अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभा को बता दें, कि कार्यावलि की विभिन्न मदों के लिये जो समय आवंटित है, उसका ठीक ठीक पालन किया जाये । कल कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं । यदि समय का ठीक ध्यान नहीं रखा गया तो उनके सम्बन्ध में गड़बड़ी हो जाने की आशंका है । यही मेरा निवेदन है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : कल की कार्यावलि में कामगर प्रतिकर संशोधन विधेयक भी है, जो राज्य-सभा द्वारा पारित हो चुका है। उसे कार्यावलि के अन्त में रखा गया है । मेरा निवेदन है कि कार्यावलि में परिवर्तन कर के उसे पहले रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इन सुझावों पर विचार करें । अब हम चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे । श्री साधन गुप्त ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता पूर्व) : यह विधेयक विवाचन के सम्बन्ध में है । वैसे विवाचन का मामला बहुत महत्वपूर्ण है । पर विवाचन ठीक प्रकार से होना चाहिए । स्वतंत्रता के बाद विवाचन बोर्ड ने '४२' नामक फिल्म को, जिसमें १९४२ के आन्दोलन का चित्रण था, बहुत काट-छांट के बाद प्रदर्शित करने की अनुमति दी । इसी प्रकार एक अन्य बंगाली फिल्म 'भुलीनाई' को काफी काट-छांट के बाद प्रदर्शित करने की अनुमति दी गयी । क्रान्तिकारी तथा आन्दोलन का चित्रण करने वाली फिल्मों पर रोक लगा दी जाती है पर अपराध, यौन उत्तेजक तथा अन्य प्रकार की गुंडागर्दी की फिल्में लगातार विवाचन बोर्ड द्वारा पास होती जा रही हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

यद्यपि मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि अपराध तथा यौन संबंधी बातों का चित्रण किया जाये पर मैं इसका विरोधी हूं कि इन बातों का चित्रण बहुत गंदे रूप में किया जा रहा है। और विवाचन बोर्ड उन्हें प्रदर्शित करने की अनुमति दे रही है।

श्री महन्ती ने जो कुछ भी कहा उसको स्वीकार करते हुये मेरा मत है कि सभी अमरीकी फिल्में खराब नहीं होतीं। पर प्रायः अमरीका तथा ब्रिटेन की फिल्में ऐसी होती हैं, जो हमारे समाज पर बुरा प्रभाव डालती हैं। मेरा निवेदन है कि विवाचन बोर्ड इन फिल्मों का अच्छी प्रकार परीक्षण करने के बाद उन्हें प्रदर्शित करने की अनुमति दे।

आज हमारे देश में जो फिल्में बन रही हैं उनमें भी अमरीकी फिल्मों की नकल की जाती है। इस नकल का परिणाम यह है कि हमारे देश में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो हमारी अन्तर्भावनाओं के क्षुद्र तत्वों को उभारती हैं। अतः सामाजिक स्वस्थता को सुरक्षित रखने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति न दी जाये।

ऐसी स्थिति में हम यह आशा नहीं कर सकते कि हमारा समाज—हमारे समाज के बच्चे—इन फिल्मों के कुप्रभाव से बच पायेंगे। माननीय मंत्री ने बताया कि विवाचन के लिए कोई सिद्धान्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि कुछ-न-कुछ तो सिद्धान्त होना ही चाहिए ताकि समाज विरोधी तत्वों का प्रचार न होने पाये। आशा है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में इस बात का उत्तर अवश्य देंगे।

आज इस बात की भी आवश्यकता है कि अच्छी फिल्मों के निर्माताओं को काफी प्रोत्साहन दिया जाये। समाज को अच्छे स्तर पर ले जाने वाली फिल्में बहुत कम बन रही हैं। वासनात्मक व अपराध उत्तेजक फिल्में आज खूब लोकप्रिय हो रही हैं। अतः आवश्यक है कि अच्छी फिल्मों के बनाने वालों को, जिनकी फिल्में लोकप्रिय न हो सकने के कारण अच्छे पैसे नहीं कमा पातीं, कुछ राजकीय प्रोत्साहन दिया जाये।

अंत में मैं भी निवदन करूंगा, अन्य लोगों की भांति, कि बच्चों की अच्छी-अच्छी फिल्में बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाये। हम जानते हैं कि रूस में बच्चों की अच्छी फिल्में बहुत संख्या में बन चुकी हैं। हमें भी बच्चों की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : सब से पहले हमें यह बात देखनी चाहिए कि हमारे फिल्म निर्माता और कलाकार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। सच पूछा जाये तो ये लोग बहुत अच्छा जीवन नहीं व्यतीत करते। मैंने हालीवुड में भी देखा है कि लोगों का जीवन पवित्र नहीं है। विवाचक नियुक्त करने से पूर्व भी हमें देख लेना चाहिये कि जिस व्यक्ति को हम नियुक्त कर रहे हैं, उसका जीवन कैसा है।

दूसरी बात यह है कि फिल्मों में सच्ची बातों तथा वास्तविक बातों का चित्रण किया जाना चाहिए न कि भूली व काल्पनिक बातों का। हम देखते हैं कि कभी कभी राम

†मूल अंग्रेजी में

और कृष्ण के जीवन का चित्रण फिल्मों में किया जाता है। कृष्ण और राधा के वासनात्मक प्रेम का चित्रण समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है।

हमारे देश में अच्छे व्यक्तियों की कमी नहीं है। उन्हें फिल्मों का विवाचक नियुक्त किया जाना चाहिए। सरकारी पदाधिकारियों को इन पदों पर रखना समुचित नहीं है। आज समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यदि हम समाज में सदाचार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सदाचारी लोगों का सहारा लेना होगा। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे संसद् सदस्य भी भ्रष्टाचारी कार्य न करें। हम सारे देश के लिए कानून बनाते हैं यदि हम भ्रष्टाचारी बन जायेंगे तो हमारे बनाये कानूनों को कौन मानेगा ?

अन्त में, मेरा निवदन है कि हमें अपनी सभी शक्तियों को संगठित करके काम करना चाहिए और देश की नैतिकता को बढ़ाना चाहिए। हमारी प्रगति ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी को कष्ट न हो।

†**श्री राधा रमण** (चान्दनी चौक) : इस विधेयक का छोटा सा उद्देश्य है। पुराने विधेयक में चल चित्र विवाचन बोर्ड के बारे में चलचित्रों के विवाचन के सिद्धांतों का कोई उल्लेख नहीं था यह विधेयक इस कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। चलचित्रों का विवाचन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक चलचित्र बनते हैं। हमारा सिनेमा उद्योग बड़ा बढ़ा चढ़ा उद्योग है। चलचित्रों का देश के सभी प्रकार के व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी दशा में उन के विवाचन के मार्गदर्शक सिद्धान्तों की अनुपस्थिति में पूर्ण न्याय कर सकना बड़ा कठिन है। विवाचन बोर्ड को मूल भूत अधिकारों की प्रतिष्ठा बनाये रखते हुए चलचित्रों के स्तर को ऊंचा करने का दुसह कार्य करना पड़ता है। इसके लिये अभी तक वह कार्यपालिका द्वारा बनाये गये सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करता रहा है। किन्तु अब उनके वैधानिक रूप से स्पष्ट करना बड़ा आवश्यक हो गया है।

इस दिशा में हमारे माननीय मंत्री महोदय के अनथक प्रयत्नों से हमने बड़ी सफलता भी पाई है। किन्तु अभी इस में सुधार करने की बड़ी गुंजाइश व आवश्यकता है।

चलचित्रों का स्तर ऊंचा करने के लिये विवाचन बोर्ड के सदस्यों को भत्तों आदि संबंधी विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिएँ। उनको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिये कि किस आधार पर उन्हें कोई फिल्म पास करनी चाहिये तथा किस फिल्म को कैसा प्रमाण पत्र देना चाहिये।

बच्चों के लिये फिल्में तैयार कराने के लिये सरकार को विशेष दिलचस्पी लेनी चाहिये। इस के लिये सरकार ने एक फिल्म सोसाइटी बना रखी है जो प्रति वर्ष केवल दो चलचित्र तैयार किये जाते हैं। इतने बड़े देश के लिये वर्ष में केवल दो बाल चित्र नितान्त अपर्याप्त हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह साल में कम से कम १२ बाल चलचित्र तैयार कराने की व्यवस्था करें और इन चलचित्रों को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी तैयार करवाया जाये ताकि सभी बच्चे उन्हें भली भांति समझ सकें।

चलचित्रों के निर्माण का केन्द्रीयकरण करना बड़ा जरूरी है। हमारे देश में काफी फिल्म निर्माता हैं मगर उनका ठीक मार्ग दर्शन करने की बड़ी आवश्यकता है। सरकार को देश में ठीक प्रकार की फिल्मों का निर्माण करने के लिये एक मशीनरी बनानी चाहिये जो सभी निजी निर्माताओं का मार्गदर्शन करे और ऐसी फिल्में बनायें जिन से कि जनता का नैतिक स्तर ऊंचा उठ सके। इस पहलू की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधा रमण]

बच्चों की फिल्मों के सम्बन्ध में मैं सरकार को दो सुझाव देना चाहता हूं। एक यह कि इनका एक विशेष प्रकार से वर्गीकरण किया जाये जिससे पता चल सके कि कोई फिल्म किस किस्म की है यह वैज्ञानिक, शिक्षा संबंधी अथवा व्यंग्य इत्यादि किस प्रकार का चित्र है। दूसरी बात यह कि ऐसी फिल्में बहुत कम मूल्य पर दिखाई जानी चाहियें। संसार के सभी देशों में बच्चों की फिल्में दिखाने की विशेष व्यवस्था है। यहां के सिनेमा घरों में भी ऐसी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये अथवा बच्चों के लिये विशेष सिनेमा घर बनाये जाने चाहियें।

अन्त में मैं एक सुझाव और दूंगा। जिसके बारे में चलचित्र जांच समिति भी सिफारिश कर चुकी है। हमें अपने देश में चलचित्रों के निर्माण के लिये एक राष्ट्रीय परिषद् बनानी चाहिये जो कि सिनेमा उद्योग का उचित दिशा में मार्गदर्शन कर सके तथा सेन्सर बोर्ड में केवल सिनेमा उद्योग के ही व्यक्ति नहीं लेने चाहियें बल्कि उन विषयों के विशेषज्ञ सदस्य लेने चाहियें जिसके बारे में कोई फिल्म हो। श्रीमान् इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को इसके लिये बधाई देता हूं।

†श्री च० का० भट्टाचार्य (पश्चिम दीनाजपुर) : श्रीमान् हम पहली बार चलचित्रों के लये विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र देने के सिद्धांतों का निश्चय कर रहे हैं। इस के लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। किन्तु मैं 'ए फिलमस' अर्थात् केवल वयस्कों के लिये पास की जाने वाली फिल्मों के सम्बन्ध में यह शब्द कहना चाहता हूं। इन को पास करने की प्रक्रिया बड़ी अनिश्चित सी है। कुछ पता नहीं चलता कि यह प्रमाण पत्र किस आधार पर दिया जाता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि 'यू फिल्मस्' अर्थात् सर्व सामान्य के लिये दिखाये जाने वाले चल चित्र 'ए फिल्मों' से भी घटिया स्तर के होते हैं। फिर दूसरे 'ए फिल्मों को भी नाबालिग़ की एक भारी संख्या किसी न किसी भांति देखने का प्रबंध कर लेती है। हम प्रतिदिन सिनेमा घरों पर देख सकते हैं कि ऐसी फिल्मों को देखने के लिये स्कूल व कालेजों के लड़के व लड़कियां कितने उत्सुक व प्रयत्नशील रहते हैं।

मैं समझता हूं कि हमें 'ए' और 'यू' का यह भेद मिटा देना चाहिये। जो चीज हम बच्चों व अव्यस्कों को नहीं दिखा सकते उस से हमें प्रौढ़ व्यक्तियों के मनों को विषाक्त बनाने का क्या अधिकार है? १८, १९ वर्ष के बच्चों को कामुकता, व हत्याओं व भयावने दृश्यों से भरे ऐसे चित्र दिखाने से उन के मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रायः वे अपने जीवन में उन्हीं अवास्तविक घटनाओं को चित्रित करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे चित्रों की बड़े बड़े लोगों ने भर्त्सना की है। इस से पुलिस के सामने भी अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। इस लिये इस प्रकार के चित्रों का दिखाया जाना बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिये।

विवाचक बोर्ड के सदस्यों को ऐसे चित्रों का विवाचन करने के लिये और अधिक अधिकार दिये जाने चाहियें। और केवल इतना ही नहीं बल्कि उनको इस प्रकार के चल चित्रों की प्रचार सामग्री निर्वाचन व निरीक्षण का अधिकार होना चाहिये जिस से इन चित्रों के गंदे गंदे दृश्य जनता के सामने स्थायी रूप से न प्रदर्शित किये जा सकें जिनका कि चलचित्र से भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विवाचक बोर्ड को चलचित्रों के वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटरों) पर भी नियंत्रण रखने के अधिकार दिये जाने चाहिये।

†सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं माननीय सदस्यों को इस रोचक वाद-विवाद के लिये धन्यवाद देता हूं। मैंने विभिन्न बातों को बड़े ध्यान से सुना है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इन सब बातों पर विचार किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह विधेयक कोई ऐसा विधेयक नहीं था जिसके द्वारा सम्पूर्ण चलचित्र उद्योग की पुनर्व्यवस्था की जा रही हो। मैंने पहले ही यह बात कही थी कि यह विधेयक प्रक्रियात्मक है तथा चलचित्रों के प्रदर्शन और विवाचन से उसका सम्बन्ध है। यह ठीक है कि एक व्यापक विधेयक जो उद्योग को और ठोस आधार पर रख दे, वांछनीय होगा किन्तु वर्तमान विधेयक में यह बात नहीं है। अतः माननीय सदस्यों के सुझाव इस विधेयक में क्रियान्वित नहीं हो सकते।

मुझे उद्योग की समस्याओं का पूरा-पूरा ध्यान है। माननीय सदस्यों ने संकेत किया है कि सरकार ने चलचित्र उद्योग की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं पहले उनका उत्तर दूंगा। पहले भी मैंने इन बातों का उल्लेख किया है किन्तु मैं यहां उन्हें फिर दोहराऊंगा। मैंने पहले भी बताया था कि चलचित्र जांच समिति के प्रतिवेदन पर हम क्या कार्यवाही कर सके थे और क्या नहीं कर सके थ। चलचित्र जांच समिति की कुछ रचनात्मक और महत्वपूर्ण सिफारिशों को हमने लिया है। मैं उनमें से दो तीन का उल्लेख करूंगा।

पहले तो चलचित्र संस्था (फ़िल्म इंस्टीट्यूट) है, दूसरे उत्पादन ब्यूरो या पूर्व-विवाचन ब्यूरो (प्रीसेन्सरशिप ब्यूरो) है और तीसरे है चलचित्र वित्त निगम। चलचित्र संस्था सम्बन्धी आरम्भिक कार्य समाप्त हो चुका है। पूर्व-विवाचक ब्यूरो के सम्बन्ध में भी यही बात है। यदि हमें वित्तीय कठिनाइयां न होतीं तो यह काम भी पूरा कभी का हो गया होता। चलचित्र वित्त निगम के सम्बन्ध में भी यही बात है। हमें जो कठिनाइयां रही हैं वह सारी की सारी वित्तीय रही हैं। इसके होते हुये भी हम पहले कुछ मामूली स्तर पर एक वित्तीय निगम स्थापित करने वाले हैं। अधिक धन उपलब्ध होने पर हम सारी कठिनाइयों को दूर कर लेंगे।

यह सच है कि यह उद्योग अत्यधिक महत्वपूर्ण है किन्तु इसका स्वरूप हमारे अन्य उद्योगों के स्वरूप से पूर्णतया भिन्न है। इस उद्योग के एककों में समानता नहीं है विभिन्नता है। इनके उत्पादन भी निर्माताओं की योग्यतानुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं और एककों की वित्तीय स्थिति भी विभिन्न प्रकार की है।

इस उद्योग में विभिन्न व्यापारिक संगठन हैं। इसमें एक अखिल भारतीय संगठन भी है, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि यह वैसा ही सुसंगठित उद्योग है जैसे कि कपड़ा उद्योग इत्यादि है। इसलिये सब से पहला काम उद्योग को एक सुव्यवस्थित संगठन के रूप में स्थापित करना होना चाहिये। इस दिशा में पर्याप्त बाधायें हैं। इसके पश्चात् ही हम इस उद्योग को एक उद्योग के रूप में संगठित कर सकते हैं। इस समय मैं विवाचन के प्रश्न पर नहीं बोल रहा हूं।

इसके पश्चात् चलचित्र उद्योग में एक चलचित्र परिषद् बनाने का भी प्रश्न था। इस सम्बन्ध में अप्रैल में मैंने बताया था कि जांच समिति की सिफारिश के अनुसार किस आधार पर इसे स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि वैसा किया जाय तो सारा वित्तीय प्रभार सरकार पर ही आ पड़ेगा। फिर उसके गठनानुसार सरकार का इस पर कोई नियंत्रण न होगा और सरकार की यह इच्छा भी थी कि वह इस सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ले।

श्री महन्ती ने इस विधेयक के आधार को ही चुनौती दी है। मैंने उनके भाषण को ध्यान से सुना है और मैं समझता हूं कि उनके द्वारा कही गई बातें वर्तमान विधेयक से कोई अधिक सम्बन्ध नहीं रखती। उन्होंने प्रश्न यह उठाया है कि सरकार की ओर से विवाचन होना चाहिये या नहीं। इस मामले पर इस सभा में एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार चर्चा हो चुकी है और जनता तथा संसद के अधिकतर सदस्यों की यही राय है कि चलचित्रों का विवाचन होना चाहिये।

[डा० केसकर]

श्री महन्ती ने अमेरिका तथा इंग्लैण्ड का उल्लेख किया है। हमें प्रत्येक बार प्रत्येक वस्तु में इन्हीं देशों का अनुसरण नहीं करना चाहिये। यह ठीक है कि हमें हर देश से अच्छी चीजें ले लेनी चाहियें किन्तु हर बात में उनका अनुसरण करना कोई ज़रूरी नहीं। संविधान में भी विवाचन को इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है। समाज के हित के लिये इन पर पर्याप्त नियंत्रण लगा देने की व्यवस्था को संविधान भी मान्यता प्रदान करता है।

इसके अलावा जनमत भी इसके पक्ष में है। यही नहीं, बल्कि दोनों सभाओं में सदस्यों ने इस बात की बड़ी आलोचना की है कि सरकार ने विवाचन को तनिक ढीला कर दिया है और वे कठोर विवाचन पर आग्रह करते हैं। अतः मैं इस सम्बन्ध में श्री महन्ती से सहमत नहीं हूं।

इसके पश्चात् श्री महन्ती तथा हेम बरुआ ने नैतिकता तथा शिष्टता का प्रश्न उठाया। कोई स्पष्ट परिभाषा का निर्धारण करना तो सरल काम नहीं है। इस पर अनेक बार चर्चा की जा चुकी है। १९५३–५४ के आयव्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद में भी इस बात पर चर्चा हुई थी। नैतिकता और शिष्टता सामाजिक धारणायें हैं और वास्तव में वे किसी समाज द्वारा व्यवहार के मान्य स्तर होते हैं। यद्यपि मुख्य सिद्धान्त निर्धारित किये जा सकते हैं किन्तु अमुक चीज़ नैतिकता के स्तर के अनुकूल है अथवा नहीं, इस बात पर लोगों में सदा मतभेद रहेगा। चाहे परिभाषा कितनी ही व्यापक क्यों न बना ली जाये मतभेद तो सदैव ही रहेगा। यदि विशिष्ट मामलों में अन्तर रहेगा तो अन्ततः विधि ही इसका निराकरण करेगी। हम तो केवल इस विषय में मुख्य सिद्धान्त ही रख सकते हैं। इससे आगे नहीं जाया जा सकता।

श्री महन्ती ने विधेयक को परिचालित करने का सुझाव दिया है कि इसमें सिद्धान्त सम्मिलित हैं। सिद्धान्त तो होंगे ही और इसका कारण यह है कि भविष्य में परिवर्तन करने वाले लोग इन सिद्धान्तों से ही आगे बढ़ें और किसी बात से नहीं। यदि वह वर्तमान खण्डों के स्पष्टीकरण के भी विरुद्ध है तो भी उनके द्वारा बताये गये कारण सन्तोषप्रद नहीं हैं। उनका कथन है कि संविहित विवाचन ही बन्द कर देना चाहिये। इन सब बातों पर किसी और समय चर्चा कर सकते हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में अब इसके पक्ष में लोगों की इतनी राय है तो इस प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं होगा।

बच्चों के चलचित्रों के सम्बन्ध में पर्याप्त उल्लेख किया गया। यह महत्वपूर्ण विषय है और इन चित्रों की अत्यावश्यकता है। किन्तु बच्चों के लिये चलचित्र बनाना इतना आसान काम नहीं हैं। इनके लिये विशेषज्ञ ज्ञान की और बाल मनोविज्ञान जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यह काम स्वतः विकास से होते हैं न कि किसी प्रकार के आदेशों से होने संभव हैं। जब हमने इस समस्या को हल करने की सोची तो हमें विशेषज्ञ मिलने कठिन हो गये। अतः सरकार ने सोचा कि आरम्भ में वह स्वतः समस्या का हल न करे बल्कि किसी संस्था को दे दे और इसी कारण बालोपयोगी चलचित्र संस्था की स्थापना हुई। संस्था स्थापित होने के बाद हमने सोचा कि यह सारे देश में कार्य करेगी। हमें आशा थी कि यह समिति क्षेत्रीय बालोपयोगी चलचित्र संस्था स्थापित करेगी जो कि अत्यावश्यक कार्य है। संस्था का आरम्भिक काम बड़ा कठिन रहा है और वह पर्याप्त कठिनाइयों के पश्चात् ही काम शुरू कर सकी है।

मैं चाहता हूं कि संस्था अधिक संख्या में और अधिक अच्छी बालोपयोगी चलचित्रों का निर्माण करे किन्तु मैं सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे संस्था की कठिनाइयों को समझें तथा इसकी सहायता करें।

इसका यह अर्थ नहीं कि केन्द्र किसी राज्य को ऐसी संस्था नहीं बनाने देगा बल्कि हमने तो राज्यों को ऐसा करने के लिये कहा है। हमने यह भी कहा है कि संस्था क्षेत्रीय संस्थायें बनाने में राज्यों की हर प्रकार से सहायता करेगी।

आरम्भ में इसने एक दो चलचित्र बनाये। आगामी वर्षों में वह अधिक चित्र बना सकती है। किन्तु पहले पहल अच्छे चित्र वह नहीं बना सकेगी। अब वह शाखायें खोलने का प्रयत्न कर रही है जो कि राज्य बालोपयोगी चलचित्र संस्थायें कही जायेंगी। इन से न केवल वह अपने चित्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में परिणत करा सकेगी वरन् उन भाषाओं में विशेष चित्र भी तैयार करा सकेगी।

मैं मानता हूं कि प्रगति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समस्या भी बड़ी उलझनों वाली ही है। अतः हमें संस्था के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये। इसमें प्रतिष्ठित लोग हैं जो बच्चों के विकास में अत्यधिक रुचि रखते हैं। यद्यपि सदस्यों के पास रचनात्मक सुझाव हों तो हम उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि हम उन्हें क्रियान्वित करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। हमें भी बच्चों के लिये चलचित्र तैयार करने की पूरी उत्सुकता है।

इस सम्बन्ध में रूस तथा अन्य देशों में बनने वाले चलचित्रों का भी उल्लेख किया गया है।

†**श्री तंगामणि** : यहां कितने चलचित्र बने हैं ?

†**डा० केसकर** : यहां दो बड़े चलचित्र बने हैं और तीन चार छोटे चलचित्र भी निर्मित हुये हैं। यह संख्या मैं आपको बाद में दे दूंगा। यदि आपको कोई सुझाव देने हैं तो मैं चर्चा करने के लिये पूर्णतया तैयार हूं।

श्री ईश्वर अय्यर ने इन चलचित्रों को सभी भाषाओं में परिणत करने के बारे में आलोचना की। इन्हें परिणत किया जा रहा है और इसमें दक्षिण भारत की भाषाओं को पूर्ववर्तिता दी जायेगी। संभवतया उसने तामिल से आरम्भ किया है मैं मलयालम के बारे में भी कुछ कहूंगा।

वास्तव में भविष्य में केन्द्रीय संस्था तथा राज्य संगठन मिल कर काम किया करेंगे और एक भाषा के चलचित्रों को दूसरी भाषा के चलचित्रों में परिणत किया जाया करेगा। यह आरम्भिक कठिनाइयां हैं; आशा है माननीय सदस्य इनकी गम्भीर आलोचना न करेंगे।

विवाचन बोर्ड के कार्यों की भी आलोचना हुई है। यह कोई सरल विषय नहीं है। विवाचन तो एक नकारात्मक कार्य है; विवाचन बोर्ड को देखना होता है कि कोई चीज आपत्तिजनक तो नहीं है। वह काम भी उन्हें आदेशों तथा हिदायतों के अधीन रह कर करना होता है। यदि विवाचक किसी चित्र को अश्लील समझें भी तो भी वर्तमान विधि के अनुसार वह दूसरे चित्र पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। वह उसके किसी खास हिस्से पर आपत्ति उठा सकते हैं। हमें विवाचकों की आलोचना करने से पहले यह देख लेना चाहिये कि उनको कितनी सीमाओं में रह कर कार्य करना पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक मामले में विवाचक ठीक ही कहते हैं। वह गलती कर सकते हैं लेकिन गलती तो सब लोगों से हो सकती है।

यदि किसी व्यक्ति को कभी कोई शिकायत हो तो उसकी सुनवाई भी हो सकती है। यही बात हम तो कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं बोर्ड के प्रत्येक निर्णय का समर्थन करता हूं बल्कि मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि उनका काम बहुत ही कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कसकर]

हमारी शक्तियां बहुत ही कम हैं। यदि यह सभा सहमत हो जाय और हमें पूरी शक्तियां दें तो निस्संदेह बोर्ड कुछ कार्यवाही कर सकता है अन्यथा हम ऐसी अवांछनीय फिल्मों पर क्या कार्यवाही कर सकते हैं जिनकी ओर श्री साधन गुप्त ने उल्लेख किया है। इस मामले में हम निस्सहाय हैं। हमें तो निर्धारित परिधि ही में रहना है। यदि श्री अय्यर ही हमें कोई अन्य सुझाव दें तो हम निस्संदेह उस पर विचार करेंगे।

दूसरा पहलू है रचनात्मक, जिस पर माननीय सदस्यों ने जोर दिया है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि चलचित्र सुधार नकारात्मक ढंग से नहीं हो सकता। किन्तु यह विधेयक तो विवाचन के सुधार के लिये है। चलचित्रों का सुधार पृथक विधेयक से हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि चलचित्रों का स्तर सुधारा जाय, किन्तु इस काम के लिये अतुल धन की आवश्यकता है क्योंकि चलचित्रों के निर्माणार्थ बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी फिल्मों के बनाने के लिये हमें या तो रुपया लगाना पड़ेगा या सहायता देनी पड़ेगी। उदाहरणार्थ बंगाल सरकार ने "पथेर पांचाली" नामक चलचित्र बनाया। इन पर धन तो व्यय होता ही है। यदि माननीय सदस्य धन व्यय करने की आजादी दें तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। किन्तु वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुये मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं है कि हम इतना धन इधर व्यय करें। जब हमारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी तब यह प्रश्न ले लिया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावित चलचित्र वित्तीय निगम इस दिशा में कार्यवाही कर सकेगा।

श्री भट्टाचार्य तथा श्री बरुआ ने "ए" तथा "यू" चित्रों के बारे में कहा। मैं जानता हूं कि "ए" चित्रों के बारे में नियमों का पालन कड़े ढंग से नहीं होता। किन्तु इसके लिये मंत्रालय की आलोचना करना लाभदायक नहीं है। मैं बता चुका हूं कि थियेटरों में प्रवेश के नियमों को पुलिस वाले लागू करते हैं। इसका हमारे साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यह केन्द्रीय विषय नहीं है। हम तो प्रदर्शन के सामान्य नियम निर्धारित करते हैं और उन्हें लागू करना राज्यों के गृह विभागों का कर्तव्य है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में मैंने विभिन्न राज्यों में पुलिस का ध्यान इस ओर दिलाया है ताकि वह अधिक सक्रिय ढंग से उस ओर प्रयास करें। किन्तु श्री भट्टाचार्य कहते हैं कि चूंकि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता इस कारण इनको खत्म कर दिया जाये। किन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। कुछ चित्रों से वयस्कों पर प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु बच्चों पर पड़ता है। यह तो सैद्धान्तिक प्रश्न है जिस पर हम पर्याप्त चर्चा कर सकते हैं।

यदि माननीय सदस्य वयस्कता की आयु पर विवाद करते हैं तो हम राज्य सरकारों से मंत्रणा करके आयु को २१ वर्ष तक निर्धारित कर सकते हैं। । अतः इस प्रकार चलचित्रों के वर्ग बनाना वांछनीय है। लागू करने का प्रश्न दूसरा है। इसे लागू तो पुलिस ही को करना है।

इसी के साथ सम्बन्धित दूसरा विषय इश्तहारों का है। इनके सम्बन्ध में हमने अनेक बार विभिन्न राज्यों के गृह विभागों का ध्यान आकर्षित कराया है। इस सम्बन्ध में कई बार परिपत्र भी जारी किये गये हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे चित्रों वाले इश्तहार छापेगा या लगायेगा जो कि विवाचकों ने फिल्मों में से काट दिये हों तो निस्संदेह उन लोगों के विरुद्ध वैध कार्यवाही की जायेगी। लेकिन यह कार्यवाही मेरे मंत्रालय द्वारा या विवाचन बोर्ड द्वारा नहीं की जा सकती, इसे राज्य सरकारें ही कर सकती हैं।

संविधान के अनुसार हम विवाचकों को भी यह अधिकार नहीं दे सकते। विवाचक विज्ञापन पर नियंत्रण नहीं रख सकते।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके सुझावों को ध्यान में रखूंगा तथा उन पर विचार करूंगा ।

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : मैं विधेयक को परिचालित करने के बारे में अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"चलचित्र अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे । प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३ (धारा २ का संशोधन)

†श्री सम्पत (नामक्कल) : मैं अपना संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करता हूं ।

जब तक हम "सार्वजनिक प्रदर्शन" शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा नहीं करते तब तक गुंजाइश है कि इसका दुरुपयोग किया जाये । आज बहुत से राजनैतिक सम्मेलनों के चित्र लिये जाते हैं अतः यह न्यायोचित नहीं कि १०० या २०० फीट लम्बे चित्रों का भी विवाचन हो ।

†डा० केसकर : मैं श्री सम्पत से सहमत नहीं हूं । ये शब्द आरम्भ से ही इस विधेयक में हैं । प्रदर्शन का अर्थ यहां वही लिया जायेगा जो साधारणतया लिया जाता है । हमने यहां प्रदर्शन शब्द न रख कर "सार्वजनिक प्रदर्शन" रखा है । विद्यमान विधि में इस सम्बन्ध के निर्णय वर्तमान हैं । यदि हम चलचित्र की उनकी परिभाषा को मानें तो यह युक्तियुक्त नहीं है । इस शब्द के बारे में कोई सन्देह नहीं है । विधि न्यायालय स्पष्टीकरण कर ही सकते हैं । हम कोई नवीन बात तो कर ही नहीं रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ (धारा ३, ४, ५ तथा ६ के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना)

†श्री सम्पत : मैं अपना संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री ईश्वर अय्यर : मैं संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** (गढ़वाल) : मैं अपने संशोधन संख्या १ से १४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं अपने संशोधन संख्या २२ तथा २३ प्रस्तुत करती हूं ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** (सागर) : मैं अपने संशोधन संख्या १८, १९, २० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : उपाध्यक्ष महोदय, जिन संशोधनों की सूचना मने दी है और उनमें जो बातें मैं ने कहनी हैं उनको दो तीन मोटी-मोटी श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय मित्र श्री च० का० भट्टाचार्य जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने भाषण में माननीय मंत्री महोदय को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि यह जो यू० और ए० प्रमाणपत्र के बीच अन्तर किया जा रहा है, यह अनावश्यक ही नहीं है वल्कि हानिकारक भी है। सन् १९५६ की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म सेंसर बोर्ड ने ३,२३९ फिल्मों की जांच की थी, उनमें से ३,१९७ को प्रमाण पत्र दिये गये थे। उनमें से ३,१०१ को यू० टाइप का यानी अनरेस्ट्रिक्टेड करार दिया गया और ९६ को ए० टाइप का प्रमाणपत्र दिया गया था जिसका मतलब यह है कि वे केवल बालिगों के लिए या एडलट्स के लिए थे। मैं समझता हूं कि जैसे कि श्री महंती जी तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि डिसेंसी और मारेलिटी की क्या परिभाषा हो और माननीय मंत्री जी की तरफ से थोड़ा बहुत समझाने का भी प्रयत्न किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी कसौटी मेरी नजर में आ सकती है वह यह हो सकती है कि वही चलचित्र देखे जाने के काबिल हैं या उन्हीं चलचित्रों को प्रमाणित किया जाना चाहिये जिनको कि हम अपनी मां बहनों और अपने बाल बच्चों के साथ देख सकें। अगर हम कुछ वर्ग के चलचित्रों को किसी खास वर्ग के लिए ही प्रमाणित करते हैं तो यह मेरी समझ में नहीं आता है। वह जो वर्ग है वह ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है और वह पुस्तकों के द्वारा भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो कि वह चित्रों के द्वारा प्राप्त करता है। पुनः हमें उन्हीं चित्रों का प्रदर्शन करने की आज्ञा देनी चाहिये जिनको कि सभी श्रेणियों के और सभी उम्र के लोग देख सकें। इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि यू० और ए० टाइप में जो अन्तर किया जा रहा है, इसको वास्तव में समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर यह सुझाव रखा जाता कि १८ वर्ष के बदले २१ वर्ष की आयु कर दी जाए तो शायद उस पर वह विचार करते। अभी तो कोई इस प्रकार का संशोधन नहीं रखा गया है। अतः मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह संशोधन अपनी तरफ से यहां पर रखने की कृपा करेंगे कि ताकि कम से कम यह प्रतिबन्ध कुछ ऊपर तो बढ़ सके और अगर वह इसके लिए तैयार हैं तो मैं समझता हूं कि सदन के जो नियम हैं उनको कुछ ढीला किया जा सकता है और इसकी उपाध्यक्ष महोदय, आप अनुमति भी दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में ज्यादा अड़चन नहीं आनी चाहिये क्योंकि हमारे संविधान के अन्दर भी जो मत का अधिकार दिया गया है वह २१ वर्ष के ऊपर के लोगों को ही दिया गया है। कम से कम इस संशोधन को अगर यहां रखा जाए और सदन इसको स्वीकार कर ले तो बहुत कुछ हमारी जो कठिनाई है वह दूर हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से यह जो दो वर्गों के सर्टिफिकेट दिये जाते हैं इनका दुरुपयोग हो रहा है।

अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक समाचारपत्र में पढ़ा था कि इलाहाबाद के विद्यालयों के प्रिंसिपल साहिबान और अध्यापकों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने दो बातों की माँग की थी। एक तो उन्होंने यह मांग की थी कि ए० टाइप के सर्टिफिकेट के फिल्मों को प्रदर्शित करने की आज्ञा न दी जाए क्योंकि लड़के लड़कियां ज्यादातर उन्हीं को देखने के लिए जाते हैं। दूसरी मांग उन्होंने यह की थी कि जिस समय क्लास लगती है उस समय कम से कम सिनेमा न हो क्योंकि क्लासिस खाली हो जाती हैं और विद्यार्थी वर्ग क्लासिस छोड़ कर चला जाता है। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

अब मैं अपने संशोधन संख्या ११ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो कि धारा ६ (२) से सम्बन्ध रखता है। ६ (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया जा रहा है कि वह अपने आप भी जहां तक प्रमाणित फिल्मों का ताल्लुक है, उन पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। इसमें मैंने यह संशोधन रखा है और माननीय श्रीमती इला पालचौधरी ने भी इसी आशय का संशोधन दिया है और वह इस प्रकार है :—

"अपनी ओर से अथवा किसी नागरिक या संस्था द्वारा ध्यान आकर्षित करने से।"

जब यह चीज मूल अधिनियम में स्पष्ट शब्दों में कही गई थी तो क्यों इसको इस बिल में उठाया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। ऐसा हो सकता है कि स्वयं शासन के ध्यान में कोई गलती न आए और देश के किसी नागरिक या किसी संस्था के ध्यान में आ जाए और वह उसे सरकार के ध्यान में लाये या कोई संस्था आवेदन पत्र सरकार के पास भेजे और गवर्नमेंट फिर जांच पड़ताल करे और प्रतिबन्ध लगाये तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इसमें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

डा० केसकर : जो बात आप कह रहे हैं वह तो हो रही है और यह आगे भी होती रहेगी। कोई भी नागरिक अगर शिकायत करे तो उसकी हम जांच करते हैं। लेकिन इसको कानून में डालने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं देती है।

श्री भक्त दर्शन : मेरा दूसरा संशोधन संख्या १२ है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई फिल्म देश के एक भाग के लिए गलत है तो वह देश के दूसरे भाग के लिए कैसे सही हो सकती है। कुछ अर्सा पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बरसात फिल्म पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और लोग इस फिल्म को देखने के इतने उत्सुक थे कि वे दिल्ली, अम्बाला तक इसको देखने के लिए गये क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रतिबन्ध नहीं लगाया था। अलग अलग प्रान्तों में यह अन्तर करना, मैं समझता हूं, जायज नहीं है। जो प्रतिबन्ध लगाया जाता है वह सार्वदेशिक रूप से लगना चाहिये और यह नहीं कि एक प्रदेश में लगे, दूसरे प्रदेश में न लगे जैसी की व्यवस्था की जा रही है। अब देश के एक खंड में वह लगेगा और दूसरे खंड में नहीं लगेगा, इस प्रकार की व्यवस्था करना मैं ठीक नहीं समझता हूं। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): हमारा देश बहुत बड़ा है। तीन स्थानों पर इस समय चलचित्रों का निर्माण होता है। इस कारण एक ही विवाचक बोर्ड इतने बड़े देश के लिये पर्याप्त नहीं है। काम के आधिक्य के कारण वह अप काम से न्याय नहीं कर सकते। कम से कम तीन विवाचक बोर्ड हमारे यहां होने चाहियें। काम तभी ठीक ढंग से चल सकता है।

विवाचक बोर्ड में भी ऐसे व्यक्ति रखे जाने चाहिये जिनके पास पर्याप्त समय हो। जिनके पास समय ही न हो उन्हें विवाचक नहीं बनाना चाहिये।

जहां तक "ए" तथा "यू०" चलचित्रों का संबंध है वह भी वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। चलचित्रों को चार भागों में बांटना चाहिये। एक तो बच्चों के लिये हो और दूसरी फिल्में निरक्षर लोगों के लिये हों ताकि उन्हें शिक्षा मिल सके। पुलिस नियमों को कठोरता से कभी लागू नहीं कर सकती।

चलचित्रों की अनुज्ञप्ति की अवधि भी घटा दी जाये। दस वर्ष की अवधि लम्बी है।

खण्ड ५ ख में संविधान के निदेशक तत्वों का कोई उल्लेख नहीं है। यह होना चाहिये था। कोई भी चित्र जो वैधानिकता का उल्लंघन करती हो उसके प्रदर्शन की आज्ञा नहीं होनी चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि देश में आयात होने वाली गन्दी फिल्मों पर भी मंत्रालय पूरी निगरानी रखेगा।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो चार संशोधन दिये हैं उनमें से संशोधन नं० १८ में मैं यह चाहता हूं कि "सिक्योरिटी" शब्द के बाद "ऐंड प्राग्रेस" शब्द जोड़ दिये जायें। यह ठीक है कि हम को अपनी राष्ट्रीय सिक्योरिटी वांछनीय है। हमें ऐसी फिल्म्स नहीं बनाने देनी चाहियें जो हमारी सिक्योरिटी में बाधक हों, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि वे हमारी उन्नति में भी वाधक न हों। इस बात का ख्याल रक्खा जाय। इस क्लाज के अन्दर मैं कहीं यह लफ्ज नहीं देखता हूं जिससे यह व्यक्त हो कि हम ऐसी फिल्म्स को रोक सकेंगे या हमारा सेन्सर बोर्ड ऐसी फिल्मों में रुकावट करेगा जो हमारी प्रगति के मार्ग में बाधक होंगी। स्टैग्नेशन राष्ट्र के लिये अवांछनीय वस्तु है। भले ही सिक्योरिटी हमारी रहे, लेकिन जिस स्थिति में हम आज हैं केवल उसमें ही सुरक्षित रहें तो मैं समझता हूं कि वह राष्ट्र के लिये घातक वस्तु होगी। तो हमारी फिल्में सिक्योरिटी के साथ साथ प्रोग्रेस के मार्ग में भी वाधक न हों, इस प्रकार का नियंत्रण मैं चित्रों पर रखना चाहूंगा।

संशोधन नं० १९ में मैंने अपीलों के सम्बन्ध में कहा है। मान लीजिये कोई अपील होती है, कोई फिल्म निर्माता बोर्ड के फैसले से असन्तुष्ट होता है वह शासन के सामने अपील करता है। उस अपील को कौन सुनेगा, इसके वास्ते कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मेरा सुझाव है कि आवश्यकता पड़ने पर शासन एक्स्पर्टस का एक हाई पावर्ड ट्राइब्यूनल ऐप्वाइंट करे। मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा फैसला होता है जिससे कि फिल्म निर्माता सन्तुष्ट नहीं होता है, तो वह अपील करता है। लेकिन उसकी अपील पर आखिर मंत्री विचार करने वाले हैं या

†मूल अंग्रेजी में

सेक्रेटरी विचार करने वाले हैं, इसका फैसला आखिर कौन दे ? इसलिये मेरा सुझाव है कि सेन्सर बोर्ड के ऊपर एक कमेटी आफ एक्स्पर्टस रहे जो ऐसी अपीलों को सुने और आखिरी फैसला दे।

मैंने यह देखा कि रिवीजनल पावर्स जो हैं उनको शासन ने पूरी तौर से अपने हाथ में रक्खा है। बोर्ड की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बोर्ड कोई फैसला अभी नहीं कर सका है, लेकिन शासन कभी भी उन प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो बोर्ड हम निर्मित करते हैं उस पर हमारा इतना अविश्वास क्यों है। उसका फैसला हम उसके ऊपर रहने दें। एक हाथ से हम उसको अधिकार दें और दूसरे हाथ से हम उनके अधिकारों को छीन लें यह मुझे विवेक के अनुकूल नहीं जचता। यदि हम बोर्ड पर विश्वास करते हैं, यदि हम ऐसे आदमियों को नियुक्त करते हैं जो उचित फैसला करने का माद्दा रखते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जब उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो हम उनमें कोई व्याघात क्यों उत्पन्न करें। यदि उनके फैसले वांछनीय न हों, वे हमें अंगीकार्य न हों, तो हम ट्राइब्यूनल्स के द्वारा उन पर फिर विचार कर सकते हैं।

चौथे संशोधन के द्वारा मैं शासन के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि आप चेअरमैन को या कमेटी के किसी भी सदस्य को जो मन चाहे अधिकार दे देना चाहते हैं सारे के सारे अधिकार दे देना चाहते हैं, उनको मेरा विवेक अंगीकार नहीं करता है। अगर बोर्ड की सारी की सारी शक्ति किसी इस या उस व्यक्ति में केन्द्रित कर दी जाय तो बोर्ड को बनाने का आखिर अर्थ ही क्या हुआ? मैं किसी एक शख्स में, चाहे वह बोर्ड का चेअरमैन ही क्यों न हो, सारी शक्ति का केन्द्रीयकरण वाँछनीय नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि नियमों के अन्तर्गत बोर्ड को अपनी कार्रवाई करने का पूरा-पूरा हक है और उसके माफिक वह अपना काम करे।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मैं केवल विवाचक बोर्ड के सम्बन्ध में ही कुछेक बातें कहूंगा। मैं मानता हूं कि मानव गलती कर देता है किन्तु हमने भी जो सिद्धान्त रखे हैं वह सामान्य से शब्दों में रखे हैं। वास्तव में विवाचकों के लिये हमें सिद्धान्तों का प्रतिपादन तो करना ही चाहिये था। यदि हम सिद्धान्त नहीं रखते तो हमारे ऊपर मतभेद या पक्षपात करने का आरोप लग सकता है।

जहां तक सलाहकार बोर्डों का संबंध है उस संबंध में मेरे संशोधन का अभिप्राय है कि हम इन बोर्डों में ऐसे विशेषज्ञों को रखें जो कि उन क्षेत्रों के रीति रिवाजों से भली प्रकार परिचित हों जिनमें चलचित्र दिखाये जाते हैं। ठीक व्यक्ति केवल राज्य सरकार की सलाह से ही चुना जा सकता है। मेरा यह अभिप्राय नहीं कि हम सारी शक्ति ही राज्य सरकारों को दे दें वरन मैं तो केवल यही चाहता हूं कि राज्यों से परामर्श किया जाये। अतः मैंने यह संशोधन रख दिया है :

†**डा० केसकर** : सबसे पहले मैं श्री ईश्वर अय्यर के संशोधन को लूंगा। राज्य सरकारों से राय लेने के सिद्धान्त पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा विरोध तो यह है कि राज्य सरकारों से राय लेने के लिए कोई संविहित जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। पर मैं यह मानता हूं कि जब हम तालिका बनायें तो राज्य सरकारों से भी उपयुक्त व्यक्तियों के नाम ले लें और मैं यह कर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

मैं एक अन्य बात की ओर भी माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय केन्द्र हर राज्य में नहीं हैं। केवल तीन क्षेत्रीय केन्द्र हैं, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। यदि हम केवल उस राज्य की राय लें, जिसमें क्षेत्रीय केन्द्र हैं, तो यह भी उचित न होगा। आज भी तालिका में जो लोग है, उन्हें इस आधार पर लिया जाता है कि वे विभिन्न भाषायें जानने वाले हों, अतः यदि राज्य सरकारों से हम राय लेंगे तो हमें और भी सुविधा मिलेगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इसे संविहित जिम्मेदारी बना दिया जाये पर मैं कोशिश करूंगा कि राज्य सरकारों से भी इस संबंध में राय ली जाये।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मैं इस आश्वासन से संतुष्ट हूँ।

†**डा० केसकर** : दस वर्ष के कार्यकाल की जो सीमा है, उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि यह सीमा इसलिए रखी गयी है कि यदि हर पांचवे साल फिल्म का पुनरीक्षण होगा तो विवाचन बोर्ड पर तथा निर्माताओं पर बहुत बोझ पड़ जायेगा। अतः हमने १० वर्ष का निर्णय किया। यदि माननीय सदस्य मूल अधिनियम को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि यदि किसी फिल्म में किसी भी समय परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होगी, तो वह कर दी जायेगी। वैसे तो समान्यतया १० वर्ष की सीमा है पर आवश्यकता पड़ने के लिए असाधारण अधिकार भी है। अतः मैं नहीं समझता कि कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

अनेक संशोधन हैं। श्री भक्त दर्शन ने लगभग १५ संशोधन दिये हैं। इस खण्ड पर श्री सम्मत का भी एक संशोधन है जो संशोधन संख्या १७ के समान है। दोनों में बहुत ही थोड़ा अन्तर है। मैं बता चुका हूं कि मैं इससे क्यों सहमत नहीं हूं। चूंकि यह विधेयक सार्वजनिक प्रदर्शन के संबंध में है अतः मैं समझता हूँ कि इस उपबन्ध का होना आवश्यक है। अतः मैं नहीं समझता कि कोई अतिरिक्त परिभाषा देना आवश्यक है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): माननीय मंत्री ने कहा था कि वयस्कों की फिल्मों में १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्थान पर २१ वर्ष की आयु को निर्धारित करने की बात वह मान लेंगे। क्या वह विधि में तदनुकूल संशोधन कर लेंगे।

†**डा० केसकर** : इस समय मैं २१ वर्ष की सीमा की बात स्वीकार नहीं कर सकता। पर मैं इस पर विचार करके तथा राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद स्वीकार करने का वादा करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के विरुद्ध नहीं हूँ कि आयु सीमा बढ़ा दी जाये। पर इतने पर भी श्री भट्टाचार्य की आपत्ति दूर नहीं होती।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मेरी आपत्ति तो उपबन्ध के संबंध में है।

†**डा० केसकर** : मैं इस मामले पर विचार करूंगा और सभा के समक्ष दोबारा प्रस्थापना प्रस्तुत करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ५, ६, १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**डा० केसकर** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम्) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो १७ सिदम्बर, १९५८ का सभा के उपस्थापित किया किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो १७ दिसम्बर, १९५८ का सभा के उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

देश में भमि सुधार की प्रगति का अनुमान लगाने के लिए एक समिति के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा ५ दिसम्बर, १९५८ को श्री पाणिग्रही द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"यह सभा सिफ़ारिश करती है कि लोक सभा के १५ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये जो सारे देश में भूमि सुधारों के विषय में अब तक हुई प्रगति का अनुमान लगाये और उसके बारे में सभा को यथासंभव शीघ्र प्रतिवेदन दे ।"

श्री पाणिग्रही अपना भाषण जारी करें ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : इस संकल्प को प्रस्तुत करते हुये मुझे यह बात स्मरण आती है कि हम भूमि सुधार के सम्बन्ध में बातें बहुत करते हैं पर उसके लिये व्यवहारिक रूप में करते कुछ भी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

नहीं। हमारे प्रधान मंत्री, योजना आयोग तथा अखिल भारतीय कांग्रेस सभी इस विषय की बातें करते हैं पर वस्तुतः वे भूमि सुधार के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। १६४६ में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि भूमि की समस्या हल हो जाने के बाद हमारी कठिनाइयां कम हो जायेंगी और सभी समस्यायें स्वयं ही हल हो जायेंगी। इसी प्रकार १६५४ में उन्होंने कहा था कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये—तुरन्त निर्धारित की जानी चाहिये। अभी हमारे सहकार मंत्री चीन की यात्रा से लौटे हैं। उनका कहना है चीनी ढंग से धान की खेती करना बहुत लाभप्रद रहेगा। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के हैदराबाद अधिवेशन में भी भूमि सुधार की समस्या पर विचार करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की गयी थी।

योजना आयोग के सामने यह समस्या रही है और उसने कई कठिनाइयों का उल्लेख किया है, जैसे—(१) राज्य तथा कृषक के बीच से मध्यवर्तियों का समाप्त किया जाना; (२) लगान कम करने के लिये भूमि सुधार; (३) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना; (४) खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार और (५) कृषि का सहकारी संगठन। सितम्बर, १६५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति ने निश्चय किया कि राज्य सरकारों को निम्नलिखित सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिये।

(१) कृषकों को बेदखली के विरुद्ध संरक्षण दिया जाये; (२) भविष्य में भूमि अर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये और (३) कृषि भूमि की वर्तमान अधिकमत सीमा भी निर्धारित कर दी जाये।

योजना आयोग भी इस सम्बन्ध में बहुत आतुर है। उधर मई, १६५७ में प्रधान मंत्री ने सभा में कहा था कि भूमि सुधार की गति बहुत धीमी है और इसे तीव्र करना चाहिये। फिर मैं नहीं जनता कि क्या यह इसकी उप-समिति नियुक्त की गयी है।

भूस्वामित्व को निर्धारित करने के सम्बन्ध में बहुतेरे राज्यों में विधान बन चुके हैं। पर हैदराबाद में परीक्षण करके देखा गया तो पता लगा कि १६५१–५२ में संरक्षण प्राप्त कृषकों की संख्या २,११,४३६ थी जब कि १६५४–५५ में यह संख्या केवल ६०,२७६ रह गयी। स्पष्ट है कि बेदखली के बहुत से मामले हो गये हैं। अधिकांश मामलों में बात यह रही है कि किसान अपने जमीदारों से बिगाड़ नहीं करना चाहते। अतः उन्होंने जमीदारों के कहने पर तुरन्त उनके खेत खाली कर दिये।

यह भी पता लगा कि बेदखली के कुल मामलों में ७५ प्रतिशत मामले में नाजायज़ दबाव डाला गया। साथ ही यह भी पता लगा कि जमीदारों ने जितने लोगों को बेदखल करके जमीनें लीं, उनमें से केवल ५७ प्रति शत भूमि पर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कृषि शुरू की; शेष ३३ प्रतिशत भूमि को जमीदारों में फिर दूसरे किसानों को पट्टे पर दे दी है। बम्बई में भी यही दशा हुई है वहां भी १६४८ और १६५१ के बीच संरक्षण प्राप्त किसानों की संख्या १७ लाख से घट कर १३.६ लाख रह गयी। ऐसी ही स्थिति उड़ीसा तथा आन्ध्र में भी है।

भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि बम्बई में यह उपबन्ध है कि जमीदार अपनी व्यक्तिगत कृषि के लिये ५० एकड़ तक रख सकता है। सभी राज्यों में यह व्यवस्था है कि जमीदार अपनी व्यक्तिगत कृषि के लिये कुछ न कुछ भूमि अवश्य ले सकता है।

पर बेचारे किसानों के लिये कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है । इस प्रकार जमीदार बराबर अपने पुत्रों, दामादों तथा अन्य लोगों के नाम पर व्यक्तिगत कृषि के लिये भूमि की मांग करके किसानों को बेदखल कर रहे हैं । सभी राज्यों में यह हो रहा है । देहातों में किसान यह भी साबित नहीं कर पाता कि वह पिछले ६ या १२ वर्षों से भूमि पर काबिज है । इस प्रकार जमीदार उसे आसानी से बेदखल कर देता है । लगान की कमी की बात तो शायद कानून में ही सीमित है । किसान तो अभी भी पहले जितना ही लगान देता जा रहा है । मध्यवर्तियों की बात के सम्बन्ध में, यह बात उल्लेखनीय है कि गांव का सरपंच आज सबसे बड़ा मध्यवर्ती बन बैठा है । आज भी जमीदार किसानों से मनमाना लगाना लेता है ।

खेतिहर मजदूर की स्थिति बहुत ही खराब है । यदि भूमि उन्हें नहीं दी जायेगी तो कठिनाइयां और भी बढ़ेंगी । मुझे बताया गया है कि केरल में ७ लाख एकड़ बेकार पड़ी भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बांटी जा रही है । मैं पूछता हूं कि आज सरकार अन्य राज्यों से—बंगाल, बिहार और उड़ीसा—क्यों मांग नहीं करती कि वे भी बेकार पड़ी भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दें । लगभग ८० लाख एकड़ बेकार भूमि पड़ी हुई है । मेरा निवेदन है कि योजना मंत्री इस बात पर विचार करें और राज्य सरकारों को निदेश दें कि वे १९५९ तक इस भूमि सुधार कार्य को अवश्य कार्यान्वित कर लें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । प्रस्ताव पर कुछ संशोधन हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि "लोक-सभा" के बाद "और राज्य-सभा" शब्द जोड़े जायें और "यथा संभव शीघ्र" शब्दों के स्थान पर "३१ मार्च, १९५९" शब्द रखे जायें ।

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ......

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रस्ताव नियम विरुद्ध है ।

अब मूल प्रस्ताव तथा स्थानापन्न प्रस्ताव और संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : एक औचित्य प्रश्न । यह विषय राज्य सूची का है और यह संघ या केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार नहीं आता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत जो योजना आयोग है, वही इस विषय का प्रभारी है । स्थानापन्न प्रस्ताव में कहा गया है कि योजना आयोग से मांग की जाये कि वह इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का अनुमान लगाये ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : योजना आयोग देश के संसाधनों का सुयोजन कर सकता है और भूमि सुधार के लिये राज्य सरकारों को परामर्श दे सकता है । पर इस सभा को भूमि सुधार सम्बन्धी विधान बनाने या उसके बारे में राय देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव में यही कहा गया है कि अभी तक हुये भूमि सुधार का अनुमान लगाने के लिये संसद सदस्यों की एक सभा बनाई जाये । काश्तकारों की बेदखली के प्रश्न के बारे में श्री मू० चं० जैन का एक स्थानापन्न प्रस्ताव था, मैंने उसे नियम विरुद्ध घोषित कर दिया है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के औचित्य प्रश्न में कुछ बल नहीं है ।

†श्री विभूति मिश्र : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं जो कि इस प्रकार है :—

"यह सभा देश में अब तक हुये भूमि सुधारों के बारे में संतोष प्रगट करती है और सिफ़ारिश करती है कि शीघ्र ही विशेषज्ञों की एक उपसमिति बनाई जाये जो भूमि सुधारों की प्रगति में आई कठिनाइयों और कमियों की छान-बीन करे और शीघ्र से शीघ्र अपना प्रतिवेदन दे ।"

सरकार ने भूमि सुधार की दिशा में अब तक जो कुछ काम किया है वह बहुत ही सराहनीय काम है । सरकार ने ज़मींदारियां समाप्त कीं और भूमि सुधार की दिशा में यह एक बहुत बड़ा काम उसने किया । इसके लिए कांग्रेस ने सदा से अपने कराची कांग्रेस अधिवेशन से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति के समय तक बराबर इसके लिए ज़ोर दिया कि ज़मींदारी प्रथा को हटाना चाहिए । सरकार ने ज़मींदारी प्रथा को तो हटाया लेकिन जिन ज़मींदारों की ज़मींदारियां समाप्त की गई हैं, उन्हें अभी तक कोई मुआविज़ा नहीं दिया गया है । यह एक बहुत ज़बर्दस्त सवाल है और यदि सरकार मुआविज़ा देने की स्थिति में नहीं है जैसा कि मेरा ख्याल है तो सरकार को जो बड़े बड़े धनी आदमी हैं, उनकी दौलत और सम्पत्ति का उसको मूल्यांकन कराना चाहिए और अगर उनकी सम्पत्ति बहुत ज्यादा है तो सरकार को यह साफ़ साफ़ कह देना चाहिए कि वह उनको मुआविज़ा देने के लिए लाचार है । बहुत से ज़मींदार, राजे और महाराजा ऐसे हैं जिनके कि पास काफ़ी ज़मींदारियां थीं और जिनके कि पास आज भी काफ़ी ज़मीन है और मैं समझता हूं कि सरकार को उन्हें मुआविज़ा नहीं देना चाहिए क्योंकि जो मुआविज़े की रक़म है वह साढ़े ५ अरब रुपये हो जाती है और अकेले मेरे बिहार प्रान्त में मुआविज़े की रक़म कोई डेढ़ अरब के है और मैं नहीं समझता कि कोई भी स्टेट सरकार इतना मुआविज़ा देने को तैयार हो सकती है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि हमारे प्लानिंग कमीशन को हर एक राज्य सरकार को यह हिदायत देनी चाहिए कि ज़मीन की सीलिंग के साथ ही साथ शहरों में जिनके पास काफ़ी दौलत और जायदाद हों, उनकी भी सीलिंग की जाय । तभी यह चीज़ चल सकती है । मैं देखता हूं कि ज़मीन की सीलिंग तो आप करने जा रहे हैं लेकिन शहरों में जिनके पास काफ़ी सम्पत्ति है, बड़े बड़े मकान हैं और जो मोटी तनख्वाहें पाते हैं, उनकी सीलिंग आप नहीं कर रहे हैं । बड़े बड़े पूंजीपति जिनके कि शहरों में कारखाने चल रहे हैं, उनकी सीलिंग आप क्यों नहीं करते ? मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ऐसा सोचती तो है कि उनके ऊपर भी सीलिंग लगाई जाय लेकिन वह इसको बहुत धीरे धीरे करना चाहते हैं लेकिन मैं अपनी सरकार को गीता में भगवान् कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गये उस उपदेश की याद दिलाऊंगा जिसमें उन्होंने अर्जुन को ललकार कर कहा था कि वह शस्त्र उठाये और क्षत्रिय का कर्म करे और धर्मयुद्ध में अग्रसर हो । वैसे सब के दिमाग़ में यह चीज बैठ गई है कि आज के जनतान्त्रिक प्रजातन्त्री युग में किसी के पास बहुत अधिक सम्पत्ति नहीं रहने पायेगी । इसलिये मैं कहूंगा कि आप ज़मीन की

†मूल अंग्रेजी में

सीलिंग तो कीजिये लेकिन साथ ही उन लोगों के ऊपर भी यह सीलिंग लगाइये जो कि शहरों में रहते हैं, बहुत लम्बी लम्बी तनख्वाहें लेते हैं और जिनके कि पास बड़े बड़े मकान हैं और जिनके कि बड़े बड़े कारखाने आदि चलते हैं। जब आप दोनों पर सीलिंग लगायेंगे तभी आप न्याय करेंगे। अब इस देश के किसानों ने जिन्होंने कि इस देश को स्वाधीन कराने में महत्वपूर्ण भाग अदा किया और स्वाधीनता संग्राम में अनेक कठिनाइयां झेलीं, उनकी ज़मीनों की तो आप सीलिंग कर दें और शहर वालों की धनिकों और मोटे मोटे तनख्वाहदारों की न करें, तो यह आपका उनके साथ सरासर अन्याय होगा।

आपने ज़मींदारी प्रथा को तो हटाया लेकिन मैं चाहता हूं कि जिनको आपने मुआविज़ा नहीं दिया है, उनके सम्बन्ध में कोई एक नीति निर्धारित होनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कितने आदमी ऐसे हैं जिनको कि १ करोड़ या ५० लाख रुपये मुआविज़ा मिलने वाला है और साथ ही यह भी आप को ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या कोई भी स्टेट सरकार इतना मुआविज़ा दे सकेगी। प्लानिंग कमीशन को इस बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार प्लान करे और देश को आगे बढ़ाये।

मेरी समझ में इस समस्या को हल करने के लिए हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वह जो कि सरकार हमको दिखा रही है और दूसरा रास्ता श्री विनोबा भावे का है। अभी हमारे प्रधान मंत्री महोदय जब श्री विनोबा भावे से मिले तो उन्होंने इस पर भी और देश के सामने पेश अन्य सवालों पर उनसे विचार विनिमय किया। श्री विनोबा भावे और अन्य गांधीवादी लोगों का यह ख्याल है कि छोटी छोटी ज़मीनों में लार्ज स्केल फ़ार्मिंग की अपेक्षा अधिक पैदावार होती है। मैं भी इसमें उनके साथ सहमत हूं कि उस किसान के पास जिसके कि पास १ एकड़, आधा एकड़ या एक चौथाई एकड़ खेती है, उसके वहां लार्ज स्केल फ़ार्मिंग की अपेक्षा अधिक पैदावार होती है। मैं उन लोगों को जो कि लार्ज स्केल फार्मिंग के पक्ष में हैं, उनको चैलेंज करता हूं कि वह मेरे साथ गांव में चल कर खुद इस को आज़मा लें कि यह बात सही है कि नहीं।

दूसरी बात मैं इस सिलसले में यह कहना चाहता हूं कि यदि आप सारी ज़मीन को इकट्ठा करके लार्ज स्केल फ़ार्मिंग करेंगे तो देश में बेकारी बढ़ जायगी और देश के सामने एक ऐसी समस्या पैदा हो जायगी जिसका कि आप सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिये यह उचित है कि किसानों की आप हर तरह से मदद करें और उनको अधिक पैदावार करने के लिये प्रोत्साहन दें ताकि हमारा देश खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जाय।

हमारे बिहार प्रान्त में बटाईदारी कानून पास हो गया है। अभी ज़मीन की सीलिंग तय नहीं हुई है और नतीजा यह हो रहा है कि बहुत से गरीब काश्तकारों की ज़मीनें उनसे छीन कर उनको इजैक्ट कर दिया है। अब वे बेचारे उसके खिलाफ़ कचहरी में जाकर लड़ें तो कहां से लड़ें, मुकद्दमा वह लड़ नहीं सकते हैं और सबूत वगैरह दिखला नहीं सकते हैं और नतीजा यह हो रहा है कि बहुत से गरीब व्यक्ति बेज़मीन के हो गये हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार ज़मीन के बटाई कानून के साथ साथ ज़मीन की सीलिंग कर दे और ज़मीन की सीलिंग के साथ साथ यह जो बड़े बड़े राजे महाराजे और सम्पत्ति वाले हैं, उनकी भी सीलिंग कर दे।

जो ज़मीन है उसका रेंट अभी तक ठीक से तय नहीं हुआ है। कहीं १ रुपया बीघा रेंट है तो कहीं पर १० रुपये बीघा रेंट है तो कहीं ऐसी अनएकोनामिक होल्डिग है जिसमें कि किसान पैदावार करते और कमाते कमाते मर जाता है लेकिन उस ज़मीन का रेंट पूरा नहीं दे पाता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स का रेंट माफ़ कर देना चाहिए।

[श्री विभूती मिश्र]

इस सम्बन्ध में कांग्रेस के विभिन्न सेशंस में आवाज़ उठाई गई और फ़ैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स का रद्द कम होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त लैंड रिफ़ार्म्स के सिलसिले में इस चीज़ के ऊपर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि किसान लोग अत्यधिक कर्ज़ के भार से दबे हुए हैं और कर्ज का भार इतना अधिक है और वे इतने अधिक उसके नीचे दबे हुए हैं कि किसान लोग उसको दे नहीं पाते हैं। प्लानिंग कमीशन को इस सम्बन्ध में भी सोचना चाहिए कि आज की अवस्था में आखिर किसान यह कर्ज़ा देगा तो कहां से देगा। इसलिए सरकार को इस तरह का एक आदेश निकाल देना चाहिए और जो उनके ऊपर पहले के कर्ज लदे हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए तभी किसान कुछ चैन और राहत की सांस ले सकेंगे।

यह हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती रहती है और पूज्य बापू जी तो सदैव ही किसानों के लिये सोचते रहते थे और आज भी हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू किसानों के हित के लिए सोचते रहते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं और वह यह है कि कल ही एक प्रस्ताव आया था जिसमें गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग की गई थी और वह मांग उचित भी थी। अब १३ रुपये ६ आने तो चीनी के ऊपर केन्द्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लती हैं और १४ रुपये ९ आने किसानों को देते हैं। अब आप ही सोचिये कि इस १४ रुपये ९ आने में किसानों की कार्टेज और दूसरी चीजें भी शामिल रहती हैं जबकि ९ रुपये और कुछ आने वे पूंजीपति जो चीनी बनाते हैं वे गन्ने से लेते हैं, तो ऐसी हालत में किसानों की बेहतरी कैसे होगी। अब सरकार को किसानों की उपज से काफ़ी आमदनी होती है। केन्द्रीय सरकार को टी और जूट पर जो वह टैक्स लगाती है उससे काफ़ी इनकम होती है और इसलिए मेरा निवेदन है कि आप किसानों को इतना प्रोत्साहन और मदद दें जिससे कि वह अपनी ज़मीन का सुधार कर सकें।

अभी हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने अहमदाबाद में कहा कि ११ करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसका कि बंटवारा हो सकता है तो मैं कहूंगा कि इसमें हमारी सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। जितना कदम उठाया है सन्तोषप्रद है, लेकिन इतना कदम उठाने से काम नहीं चल सकता। इसलिये हमको शीघ्रता करनी चाहिये, श्री नन्दा जी तो गांधीवादी हैं, वे गांधी जी के साथ रहे हैं। गांधी जी रात दिन परिश्रम करते थे, कभी रात में दो घण्टे सोते थे कभी तीन घण्टे, और साढ़े तीन बजे से तो रोज उठ कर काम करना शुरू कर देते थे। यदि हम इतना परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिये प्लानिंग कमीशन को जरूरत है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए भूमि सुधार के लिए अच्छे खाद, अच्छे बीज, कर्जा और पानी का इन्तिजाम करे। इन सारी चीजों को किये बिना भूमि सुधार नहीं हो सकता। सरकार को अब इस काम को और आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा है कि इस काम को सन् १९५९ के अन्त तक खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके इम्पलीमेंटेशन में समय लगगा। असल झगड़ा तो इम्पलीमेंटेशन का ही है। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए और भूमि सुधार का ऐसा खाका दुनिया और हिन्दुस्तान के सामने रखना चाहिए जिसको लोग समझ सकें और काम में लायें।

†**श्री नागी रेड्डी (अनन्तपुर)** : यह संकल्प बहुत स्पष्ट है। मैं निवेदन करता हूं कि सरकारी दल को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। वस्तुतः हमारे देश में भूमि सुधारों का इतिहास बहुत निराशाजनक

---

†मूल अंग्रेजी में

रहा है। इन सुधारों के सम्बन्ध में जितनी अड़चनें आई हैं उतनी और किसी सुधार के सम्बन्ध में नहीं आई हैं। इसका कारण यह है कि पिछले दस वर्षों से सरकारी दल में जमींदारों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इस कारण वह भूमि सुधार सम्बन्धी नीति को प्रभावित करते रहते हैं। प्रथम और द्वितीय योजना दोनों में ही भूमि सुधारों के महत्व की घोषणा की गई। परन्तु इतने पर भी इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उत्पादन की उन्नति और समाजवादी ढांचे के समाज के निर्माण के लिये इन सुधारों का महत्व बिल्कुल स्पष्ट है। १९२९ में कराची कांग्रेस में ही यह घोषित किया गया था, कि यदि देश में उत्पादन की वृद्धि करनी है तो भूमि सुधार करना अनिवार्य है। तथापि इस सम्बन्ध में दो चार छोटे मोटे अधिनियम बनाने के अलावा और कुछ ठोस काम नहीं किया गया है। अतः हमें चाहिये कि हम स्थिति का पुनरीक्षण करें और देखें कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है। यदि प्रगति नहीं हो सकी तो उसका कारण क्या है और आगे हमें इस सम्बंध में क्या कार्यवाही करनी चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि देश में उत्पादन वृद्धि के लिये काश्तकारी अधिनियमों का पारित होना आवश्यक है। तथापि हमारे यहां काश्तकारी अधिनियम पारित होने का परिणाम यह हुआ कि अधिनियम पारित होते ही हजारों काश्तकारों को जमीनों से बेदखल कर दिया गया वस्तुतः जमीनें लेकर उन कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को दी जा रही हैं जो पहिले जेल गये थे। इस प्रकार का वितरण किया जा रहा है। एक ओर कहा जाता है कि हम काश्तकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि उनके हाथों से जमीनें लेकर कांग्रेसियों को दी जा रही हैं। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिये कि पिछले वर्षों में जमीन का किस प्रकार वितरण किया गया है। अब कांग्रेस दल में यह आवाज उठाई जाने लगी है कि जब शहरों की जायदाद का वितरण नहीं किया जा सकता है तो भूमि का ही वितरण क्यों किया जा रहा है, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिये कि औद्योगिक क्रान्ति होने के पूर्व भूमि सुधार होना आवश्यक है। जब तक भूमि सुधार नहीं होंगे तब तक हमारे कृषकों की विक्रय शक्ति में वृद्धि नहीं हो सकती है और न उनके जीवन में समाजवादी ढांचे का समाज आ सकता है अतः भूमि सुधार होने अनिवार्य हैं।

जहां तक केरल का प्रश्न है वहां सत्ता प्राप्त होने के एक वर्ष बाद ही भूमि सुधार कर दिये गये थे। वहां के प्रशासन ने सदैव काश्तकार का पक्ष लिया है और उनके हित में यथासम्भव कार्य किया है। वहां भूमि खेतीहर श्रमिकों को सत्ता प्राप्ति के एक वर्ष बाद ही वितरित कर दी गयी थी लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेसी सरकार है वहां दस वर्ष पश्चात् भी कोई ठोस सुधार नहीं हो सके हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस संकल्प को स्वीकार करें और भूमि सुधार के सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण करे। इस तरह हम समाजवादी ढांचे के समाज की ओर अग्रसर होंगे।

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवल्ला) : स्वतंत्रता प्राप्ति के दस वर्ष पश्चात् भी हम कठिनाइयों और समस्याओं से परेशान हैं। हमारी योजना संकटग्रस्त है और हमें खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं का मूल कारण यह है कि हमारे देश की प्रगति का सूत्राधार कृषि सुधार है और कृषि सुधार तब तक संभव नहीं हो सकते हैं जब तक कि तत्सम्बन्धी व्यापक विधान नहीं बनाये जायेंगे।

कांग्रेस की इस सम्बन्ध में बड़ी ढुलमुल नीति रही है। अभी हाल में ही हैदराबाद कांग्रेस में एक उपसमिति नियुक्त की गई है जो कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तार से विचार करेगी और यह निश्चय करेगी कि अधिकतम भूमि सीमा निश्चय की जाय या नहीं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन नायर]

कि सरकारी दल की नीति इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक नहीं है । तथापि यह प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने यह निश्चय कर लिया है कि देश में भूमि सुधार सम्बन्धी सुधार तथा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के कार्य इत्यादि ३१ दिसम्बर, १९५९ तक क्रियान्वित हो जाने चाहियें । जमींदार लोग इस निश्चय से सावधान हो गये हैं और वे इस अवधि के पूर्व ही भूमि को दूसरों के हाथ स्थानान्तरित कर देंगे । जिससे कि विधि के बनने के पूर्व वितरण करने के लिये भूमि बचेगी ही नहीं ।

योजना आयोग को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये और विधि मंत्रालय के परामर्श से इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधान बनाना चाहिये । अतः मैं मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि उन्हें उन राज्यों को यथाशक्ति समर्थन प्रदान करना चाहिये जो कि भूमि सुधारों सम्बन्धी विधान पारित कर रहे हैं । उदाहरणार्थ केरल विधान सभा ने जनमीकारम् विधेयक पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिये केन्द्र में भेजा था । आज एक वर्ष बाद भी उस पर सहमति नहीं दी गई है अपितु गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा जा रहा है कि उससे धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों पर आघात होगा । इसके पश्चात् केरल विधान सभा व्यापक भूमि सुधारों वाला एक विधेयक पारित करने का विचार कर रही है । लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई इन आपत्तियों से इस कार्य में विलम्ब होगा अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में दृढ़ और निश्चयात्मक रवैया अपनाये ।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : पिछले १०, १२ वर्षों से हम भूमि सुधारों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है । यदि हमारी जनता पढ़ी लिखी होती तो ऐसा पक्ष कभी चुनाव में विजयी नहीं होता जिसने अपने वचनों को पूरा नहीं किया ।

मैं स्वयं भूमिहीन श्रमिक वर्ग में से हूं और जानता हूं कि जमींदारों द्वारा उनका कितना शोषण किया जाता है । जमींदार लोगों के पास बहुत अधिक भूमि है वे स्वयं उसका उपयोग नहीं करते हैं कुछ पैसा लगा कर उसे दूसरों को दे देते हैं । परिणाम यह होता है कि उसनें अधिक उत्पादन नहीं होने पाता है लेकिन जब भूमि कृषक को दी जाती है तो वह उसमें पूरी दिलचस्पी लेता है और उससे उत्पादन में वृद्धि होती है ।

एक ओर हम समाजवादी प्रकार के समाज की बात करते हैं । दूसरी ओर बेकारी व गरीबी को दूर करने का कोई ठोस प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । अभी तक सरकार भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में भी दृढ़ नहीं है । अब यह कहा जा रहा है कि भविष्य में अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा निश्चित की जायेगी । वस्तुतः सत्य यह है कि भविष्य में अर्जित करने के लिये भूमि बचेगी ही नहीं । वास्तव में देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करनी आवश्यक है इसी से जनता में अधिक उत्पादन के लिये उत्साह प्राप्त हो सकता है ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी कहा जा रहा है जब आप पूंजिपतियों की आय में अधिकतम सीमा निश्चित नहीं करते हैं तो आप भूमि पर ही अधिकतम सीमा क्यों निश्चित कर रहे हैं ? यह बात सही नहीं है हम औद्योगिकों पर भी कई प्रकार के कर और प्रतिबन्ध लगा रहे हैं । अतः सरकार को चाहिये कि वह तत्काल भूमि सुधार सम्बन्धी विधान बनाये और उन्हें यथाशीघ्र क्रियान्वित करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मू० चं० जैन** : प्रस्तावक महोदय ने सभा का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है। मैं इसके लिये उनका कृतज्ञ हूं तथापि उन्होंने जो हल सुझाया है मैं उससे सहमत नहीं हूं । साथ ही श्री मिश्र ने जो स्थानापन्न संकल्प की सूचना दी है मैं उससे भी सहमत नहीं हूं । उन्होंने कहा है कि सभा इस सम्बन्ध में की गई प्रगति से संतुष्ट है । भला सभा इस सम्बन्ध में संतुष्ट कैसे हो सकती है जब कि स्वयं योजना आयोग और योजना मंत्री इस सम्बन्ध में हुई ढिलाई और अस्थिरता से असंतुष्ट हैं । अतः समस्या यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित नीति और लक्ष्य को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाय । इस सम्बन्ध में समस्या के प्रमुख पहलू दो हैं । पहिला बेदखल किसानों की समस्या और दूसरा भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना ।

पहिले मैं भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने सम्बन्धी प्रश्न लेता हूं । अभी हाल में इसके सम्बन्ध में कई शक्तिशाली आवाजें उठ रही हैं । वे इसका इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि जब अन्य क्षेत्रों में अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है तो केवल इसी क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है । हमें प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक उपसमिति ने यह निश्चय किया है कि अधिकतम सीमा अवश्य निश्चित की जानी चाहिये । निसंदेह हमें अन्य क्षेत्रों में भी साथ साथ आय और सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निश्चित करनी चाहिये । जब तक अन्य क्षेत्रों में भी यह सीमा निश्चित नहीं की जायेगी तब तक भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना भी कठिन होगा ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आदर्शों के प्रति सच्चा रहना चाहिये । और भूमि को किसान या खेतीहर को देने की नीति अपनानी चाहिये चाहे मार्ग में कितने ही हितों से संघर्ष करना पड़े । अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में दृढ़ नीति अपनाये और अपने आदर्शों के प्रति सच्ची बनी रहे ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में जहां और अनेक प्रमुख समस्यायें हैं, वहां एक प्रमुख समस्या भूमि सम्बन्धी है । इस देश की लगभग नव्वे प्रतिशत जनसंख्या भूमि पर—खेती पर—ही निर्भर है । स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् कई राज्य सरकारों ने प्रयत्न किये कि भूमि सम्बन्धी कुछ कानून बनाये जायें और कुछ राज्यों ने कानून बनाये भी, लेकिन यह तथ्य है कि इस सम्बन्ध में जितनी सफलता मिलनी चाहिये थी, वह प्राप्त नहीं हुई । जब देश परतंत्र था, तब यह कहा जाता था कि इस देश में जब तक जमींदारी प्रथा कायम रहेगी, तब तक कभी भी भूमि का ठीक सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जमींदार लोग किसानों से अधिक लगान लेते हैं और उन की बेदखलियां करते हैं, इस लिये यह आवश्यक है कि जमींदारी प्रथा समाप्त की जाय । मैं उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं । उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है, लेकिन उस समय की प्रमुख समस्यायें, अर्थात् अत्यधिक लगान लेना और बेदखलियां करना, आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं । जब वहां जमींदारी प्रथा कायम थी, तो राज्य सरकार किसानों से सोलह करोड़ रुपये रेवेन्यू के लेती थी। जमींदारी समाप्त होने के बाद उन का लगान कम होना चाहिये था, लेकिन वह सोलह करोड़ से बढ़ कर बाइस करोड़ हो गया है, जिस का परिणाम यह है कि आज किसानों में भूमि-सुधार के प्रति कोई उत्साह शेष नहीं रह गया है और उन्हें उस में कोई आकर्षण नहीं नजर आता है । जहां तक बेदखलियों का सम्बन्ध है, उन में भी कोई कमी नहीं हुई है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब बेदखलियां जारी हैं और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगदीश अवस्थी]

अत्यधिक लगान लिया जा रहा है, तो फिर चाहे आप कोई भी कानून बनायें, उस से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी अस्सी प्रतिशत जोतें अलाभप्रद हैं। जब किसान को इस पेशे से कोई लाभ नहीं होता है, तो नैतिकता की दृष्टि से यह उचित नहीं है कि उन से मालगुजारी वसूल की जाय। जब उन को आमदनी ही नहीं होती है, तो फिर मालगुज़ारी किस चीज़ की? इसलिये मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार सिद्धान्त रूप से इस को स्वीकार करे कि जिन प्रदेशों में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है, जहां लगान के बदले मालगुज़ारी ली जाती है, वहां अलाभकर जोतों से मालगुज़ारी लेना समाप्त कर देना चाहिये। जैसा कि मैं ने अभी कहा है, उत्तर प्रदेश में अस्सी प्रतिशत जोतें अलाभकर हैं। यह कहा जा सकता है कि अगर मेरे सुझाव को क्रियान्वित किया गया, तो जो राजस्व इकट्ठा होता है, वह बहुत कम हो जायगा। कुछ करोड़ रुपये कम हो सकते हैं, लेकिन उस कमी को आप बड़े-बड़े लोगों से, शक्कर मिल-मालिकों से पूरा कर सकते हैं, जिन की तरफ़ करोड़ों रुपये बकाया पड़े हैं। अगर सरकार इस सुझाव पर अमल करेगी, तो इस से किसानों में चेतना प्राप्त होगी कि स्वराज्य मिलने से हम को सुख प्राप्त हुआ है।

इस के बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेदखलियों को रोका जाना चाहिये। अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश से भी सरकार ने इस आशय के कानून बनाये, लेकिन उस में सफलता नहीं मिल रही है। हम को देखना है कि वहां बेदखलियां होने का मूल कारण क्या है। जिन माननीय सदस्यों का गांवों के जीवन से सम्बन्ध है, वे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब से छोटा रेवेन्यू आफ़िसर--जिस को पहले पटवारी कहते थे और जिस को अब लेखपाल कहा जाता है--इन बेदखलियों की जड़ है। अगर बेदखलियां कराने के लिये कोई उत्तरदायी है, तो वह इन लेखपालों का भ्रष्टाचारी वर्ग है, जोकि गांव-गांव में मौजूद हैं। जिस ज़मीन को कोई किसान दस बीस साल से जोतता आया है, उस को दूसरे के नाम चढ़ा दिया जाता है और जब कोर्ट से सूचना मिलती है, तब ही किसान को मालूम होता है कि उस के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर किया गया है। उत्तर देश में जो भी किसान चाहे, वह आठ आने दे कर जिन्सवार खतौनी ले सकता है---जो ज़मीन वह जोतता है, उस का एबस्ट्रैक्ट रिकार्ड ले सकता है। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से राज्य सरकारों को यह आदेश दे दिया जाय कि लेखपाल अनिवार्य रूप से और निःशुल्क, वर्ष में दो बार हर एक किसान परिवार को उस की खतौनी दे, जिस से उस को मालूम हो जाय कि जो ज़मीन हम जोतते हैं, उस पर हमारा हक है और हमारा नाम चढ़ा हुआ है। अगर ऐसा किया जायगा, तो आज जो हज़ारों मुकदमे बेदखलियों के कचहरियों में चल रहे हैं, वे बन्द हो जायेंगे। आज तो स्थिति यह है कि किसान को मालूम भी नहीं पड़ता है और खेत दूसरे के नाम चढ़ जाता है। इसलिये राज्य सरकारों को इस तरह का आदेश दे देना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : किसान अब भी ले सकता है।

श्री जगदीश अवस्थी : वह वालन्टेरी है, अनिवार्य रूप से नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस को अनिवार्य कर दिया जाय, ताकि इस प्रकार की बेदखलियों से और मुकदमेबाज़ी से किसानों को छुटकारा मिल सके। जिस प्रकार कत्ल, डकैती और अन्य मुकदमों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्त तक---सुप्रीम कोर्ट तक---काम में आती है, उसी प्रकार पटवारी या लेखपाल झूठ सच जो कुछ भी अपने कागज़ों में लिख देता है, वही आखिर तक काम आता है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों को यह आदेश दिया जाय कि किसानों को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क खतौनी वर्ष में दो बार उपलब्ध की जाय, ताकि बेदखलियां कम हों।

आज भूमि की सब से बड़ी समस्या अधिकतम और न्यूनतम जोत कायम करने की है । अगर हम देश में सचमुच सच्चा और वास्तविक समाजवाद कायम करना चाहते हैं, तो हम को धन और धरती की अल्पतम और अधिकतम सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी । उत्तर प्रदेश के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि हर एक ऐसे किसान परिवार को कम से कम सवा छः एकड़ भूमि मिलनी चाहिये, जिस में पांच व्यक्ति हों । अधिकतम सीमा तीस एकड़ से अधिक न रखी जाये । इस तरह उन हजारों किसान परिवारों और खेतीहर मजदूरों को भूमि मिल सकेगी, जिन के पास कोई भूमि नहीं है । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिन के पास पहले ही हज़ारों एकड़ भूमि थी, उन्हों ने और एलाटमेंट करवा कर अपनी जमीन और बढ़ा ली है । बड़े-बड़े लोग सुरसा की तरह जमीन पर अपना कब्ज़ा बढ़ा रहे हैं। जब अल्पतम और अधिकतम जोत निश्चित कर दी जायगी, तब हम समझेंगे कि हमारे देश में सच्चा समाजवाद कायम हो सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि इन सुझावों को केन्द्र के मंत्री राज्य सरकारों के पास भेजें, जिस से कि हम भूमि सम्बन्धी सुधारों को कर सकें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): यदि किसी को सरकारी पक्ष की चतुरता का नमूना देखना हो तो उन्हें हमारे राज्य का भूमि सुधार विधान देखना चाहिये । जहां इस चतुराई से विधान बनाये गये हैं कि जमींदार लोग और उन की जमीनें साफ बच गई हैं । वही कांग्रेस सरकार जो पहिले कहती थी कि चार लाख एकड़ भूमि भूमिहीन कृषकों को वितरित की जायेगी अब कहती है कि १६,००० एकड़ भूमि से अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है ।

जमींदार लोगों को यह ज्ञात है कि भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित की जायेगी । इसलिये वह गैरकानूनी तरीके से भूमि का वितरण और हस्तांतरण कर रहे हैं । अपने परिवार, रिश्तेदार तथा दूर-दूर के नातेदारों के नाम भी भूमि पंजीयित कर दी है । इतना ही नहीं वे उस भूमि को भी जो सरकार को जाने वाली है शरणार्थियों को बेच कर उन से रुपये हड़प रहे हैं । और सरकार यह सब देख रही है ।

सहकारी समितियों तथा संयुक्त समितियों पर भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है। इस छूट का लाभ उठाकर वहां के जमींदार लोग अपने परिवार के सदस्यों के नाम से ही सहकारी समितियां बना रहे हैं। और उस छूट का लाभ उठा रहे हैं । उदाहरणार्थ पाल चौधरी एस्टेट ने एक दान प्रन्यास बना कर १००० बीघे भूमि पर अधिकार किया हुआ है । इसी प्रकार किन्हीं श्री मुकर्जी महोदय ने अपने परिवार के सदस्यों तथा नायब इत्यादि को शामिल कर एक संयुक्त स्कन्ध समवाय खोला हुआ है और वे जमीन पर अपना अधिकार किये हुए हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि जमीन की अधिकतम सीमा निश्चित होने के बावजूद भी लोग विधि का उल्लंघन करने में समर्थ हो रहे हैं ।

भूमि का वितरण भी इस ढंग से किया जा रहा है कि जिन के पास पहिले से ही भूमि है उन्हें कुछ और भूमि मिलती जा रही है । लेकिन जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजातियों के लोग हैं उन्हें भूमि नहीं दी जा रही है । यदि आप उन्हें थोड़ी भी भूमि दें तो वह उस के द्वारा जमींदार के शोषण को रोकने तथा अन्याय का मुकाबला करने में समर्थ हो सकते हैं । अतः सरकार को चाहिये कि सर्व प्रथम सरकार बेदखली रोकने के लिये उन्हें आर्थिक और कानूनी सहायता प्रदान करे और तत्पश्चात् उन की सहकारी समितियां इत्यादि बना कर उन की सहायता करे ।

वस्तुतः केवल अधिकतम सीमा निश्चित करने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम भूमि सम्बन्धी सुधारों को सच्चाई से क्रियान्वित न करें और गैर कानूनी तरीके के हस्तांतरण से बेदखल किये गये किसानों को पुनः भूमि दिलाने का प्रयत्न न करें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री गणपति राम : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं कभी सरकार का जो आदर्श है और जिस को उस ने अपने सामने रखा है ध्यान में लाता हूं तो मेरा हृदय गद्गद् हो जाता है। लेकिन जब मैं उस की कार्यशीलता को देखता हूं तथा उस की तरफ ध्यान देता हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है। सरकार कहती है कि हम जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, हम राम राज्य यहां स्थापित करना चाहते हैं लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जो कदम उठाये जाते हैं वे बहुत ही असन्तोषजनक हैं।

मुझे आश्चर्य और दुःख होता है यह देख कर कि आज जबकि देश का किसान जोकि सब को रोटी देता है, उस के बाल बच्चे अच्छी रोटी खा सकने में असमर्थ हैं, वह मजदूर जो कपड़ा तैयार कर के लोगों के तन ढकता है उस का तन कपड़े के बगैर रहता है और जाड़े के दिनों में वह ठिठुरता रहता है, वह मजदूर जो दूसरों को मकान बना कर देता है और उन के रहने का साधन पैदा करता है, जो दूसरों को अट्टालिकायें बना कर देता है, वही दिल्ली शहर में सड़कों पर सोता है और अपना वक्त गुजारता है। इस तरह से किस तरह राम राज्य की स्थापना हो सकती है।

हम सब एक जिम्मेदार पार्टी के सदस्य हैं और हमारे ऊपर आज देश को बनाने अथवा देश को बिगाड़ने की ज़िम्मेदारी है। जहां तक भूमि सुधार की समस्या का सम्बन्ध है, उस को करने का हम ने वचन लिया हुआ है और हमने कह रखा है कि हम इस को कर के रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारा सब से पहला काम यही होना चाहिये कि हम भूमि की जो समस्या है उस को हल करें। इस सचन को दस वर्ष लिये हुए हो गये हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इस सदन के अन्दर कोई भी इस के सम्बन्ध में हम बिल नहीं ला सके हैं। मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सब से पहले भूमि सुधार कानून पास हुआ था। लेकिन जब मैं उस कानून की कार्यशीलता को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि भूमि सुधारों के नाम पर, किसानों को, शिकमीदारों को ज़मीनें तो दी गई थीं लेकिन मुकदमा चला कर के, इजैक्शन सूट चला कर के ९० प्रतिशत और ९५ प्रतिशत खेत उन के हाथों में से निकाल लिये गये हैं। मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं करता हूं क्योंकि मैं उन के बारे में अधिक नहीं जानता हूं। जहां किसानों को पहले बटाई पर खेत मिल सकते थे, शिकमी पर खेत मिल सकते थे और जहां पहले वे अपने बच्चों का लालन-पालन कर सकते थे, उन को रोटी दे सकते थे, आज उन की हालत बदतर है, यह कहने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश के भूमि सुधार कानून का हम बड़े गर्व के साथ रेफ़ेंस देते हैं लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिये कि जो उस में कमियां रह गई हैं उन को दूर किया जाय। मैं चाहता हूं कि आप सर्वे करें और देखें कि क्या हाल हुआ है कितनों के खेत वापिस ले लिये गये हैं, कितनों के पास हल नहीं रह गये हैं, कितनों के पास जानवर नहीं रह गये हैं, इत्यादि।

मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह खुद भूमि सुधार सम्बन्धी कानून लाये। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो मैं समझता हूं कोई शर्म की बात नहीं है अगर आज इस सदन के अन्दर कोई प्राइवेट मैम्बर अपनी तरफ से रेज़ोल्यूशन लाता है और उस को सरकार मान लेती है। सरकार को स्वयं ही आगे आना चाहिये और ऐसा कोई कानून इस सदन के समक्ष पेश करना चाहिये। मैं यह नहीं चाहता कि आज किसान के नाम पर अगर अपोज़ीशन की तरफ से कोई गन्ने का मूल्य बढ़ाने के नाम पर रेज़ोल्यूशन आता है उस को मान लिया जाय और हम उस को शान और शौक के साथ अपोज़ करने के लिये तैयार हैं। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि हमारी सरकार भी शान के साथ भूमि सम्बन्धी कानून यहां लाने की कृपा करे और इस काम में वह अग्रणी हो।

आज कहा जाता है कि भूमि के ऊपर कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिये और पहले सम्पत्ति के ऊपर सीलिंग लगनी चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन लोगों की यह दलील है उन को यह दलील नहीं देनी चाहिये । सब से पहले भूमि पर सीलिंग होनी चाहिये और उस के बाद सम्पत्ति पर भी वह लग सकती है । कम से कम आप पहले एक चीज़ पर सीलिंग लगने ें और फिर दूसरी चीज़ पर भी सीलिंग लगाने के बारे में सरकार से प्रार्थना की जा सकती है और सरकार से कहा जा सकता है कि सम्पत्ति का भी विकेन्द्रीकरण किया जाय । मैं समझता हूं कि आज की सरकार कभी भी इस को करने में पीछे नहीं रहेगी ।

हम ने शपथ ले रखी है कि हमें अपने देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करनी है । मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार कभी भी ीछे नहीं रहेगी और हर बात में आगे ही रहेगी । आज जनता की यह आवाज़ है कि भूमि जोतने वाले के पास जानी चाहिये, भूमि उसी के पास रहनी चाहिये जो उस की स्वयं काश्त करता है, भूमि उस के पास नहीं रहनी चाहिये जो भूमि पर पांव नहीं रखता है, जो कभी हल नहीं चलाता है, जो कभी बैल को भूसा नहीं देता है और जनता की इस मांग को पूरा करना आप के लिये आवश्यक है ।

आज हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वे अपने नाम पर सैंकड़ों एकड़ जमीन रखे हुए हैं, जजिस, वकील, बड़े-बड़े बिजिनेस मैन, बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स इत्यादि हजारों और सैंकड़ों एकड़ जमीन अपने नाम पर रखे हुए हैं और किसी को बटाई पर दे देते हैं या शिकमी काश्त पर दे देते हैं ताकि वे उस का उपभोग कर सकें । अगर इस तरह की व्यवस्था बनी रही तो हमारा जो उद्देश्य है उस को हम भूल जायेंगे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम आवाज लगाते हैं कि हम देश के उन पिछड़े हुए वर्गों में से हैं जिनके पास सम्पत्ति नहीं है या सम्पत्ति कम है, जिनको कम तनख्वाह मिलती है, जिनके रहन सहन का दर्जा बहुत नीचा है और उनकी हालत में सुधार होना चाहिये तो मैं चाहूंगा कि इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाये । आज सदन के सदस्य यह मांग करते हैं कि जो सौ रुपये से कम पाने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, उन की तनख्वाहें बढ़ाई जायें, तब हम को यह भी मांग करनी चाहिये कि जो भूमिहीन किसान हैं जोकि मजदूरी का काम करते हैं उनको वे वेस्ट लैंड्स जो सरकार के पास हैं, जो ग्राम समाजों के पास हैं वे सबसे पहले उन्हीं को दी जानी चाहियें । इसके साथ ही साथ मुझे यह कहते हुए हिचक नहीं है कि आज भी भूमि दान में जितनी भूमि मिली हुई है उस को सरकार किसानों को नहीं दिला पाई है । सरकारी रिकार्ड में तो हो सकता है कि वह जमीन आ गई हो लेकिन उन को मिली नहीं है । सरकार को आगे आना चाहिये और भूमिहीनों को जमीन देनी चाहिये । हमारी सरकार बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस को उन की इंडस्ट्रीज के लिये प्रोटैक्शन देती है, उन की खातिर एक से एक नया बिल लाती है, एक से एक अच्छा बिल लाती है, इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन की स्थापना करती है ताकि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को लाखों और करोड़ों रूपया कर्ज दिया जा सके, तो क्या गरीब किसानों के लिये उसे हाउसिंग ग्रांट नहीं देनी चाहिये, उन को अपनी खेती में तरक्की करने के लिये पैसा नहीं देना चाहिये, उन की भी यह इच्छा है कि उन के बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखें, उन के पास भी अच्छे घर रहने के लिये हों, अपनी बीवी के लिये अच्छे कपड़े खरीदें, सभ्य नागरिकों की तरह से रहें । जब उन को हम ये चीजें मुहय्या कर देंगे तभी राम राज्य यहां सही मानों में स्थापित हो सकेगा, तभी वे उस का मज़ा ले सकेंगे ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : आप को मालूम है कि योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि लगान की अधिकतम दर १/४ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यदि इस सिफारिश को पूरी तरह से लागू किया जाये, तो किसानों को काफी फायदा हो सकता है। लेकिन इस विधेयक में तो हम यह देख रहे हैं कि किसान को अपने भूधारण अधिकार भी स्थापित करने पड़ेंगे। अभी इस समय बहुत बड़े पैमाने पर बेदखलियां हो रही हैं। त्रिचनापली और मदुरा में इन के खिलाफ आन्दोलन भी हो रहे हैं।

केरल में तो बेदखलियों से सम्बन्धित कानून को बड़ी सख्ती से लागू किया जा रहा है और वहां बदखली नहीं हो पाती।

दूसरी चीज यह है कि मद्रास में, और कई अन्य राज्यों में भी, जोत की सीमा के निर्धारण के लिये कोई भी विधान नहीं बनाया गया है। आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के विधेयक के प्रारूप में साढ़े चार परिवारों की जोत को ही "परिवार की जोत" माना गया है, और योजना आयोग ने उसे स्वीकार भी किया है। इसलिये उन्हें या तो अपनी पुरानी नीति को बदलना चाहिये या ३ परिवारों की जोत को ही "परिवार की जोत" मानना चाहिये। योजना आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि भूमि के रिकार्ड रखने और भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने का काम गांव पंचायतों को दिया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि केरल के अलावा और किस राज्य ने इस सिफारिश को कार्यान्वित किया है। इस के बाद सवाल आता है इनाम और देवस्थान की भूमियों का। केरल में इस के लिये जन्मी विधेयक पारित किया जा चुका है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो रही है। पता नहीं उसे अनुमति देने में क्यों देर की जा रही है।

श्री पाणिग्रही ने बताया है कि देश में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या ६ करोड़ के लगभग है। इस लिये भूमिहीन श्रमिकों को भूमि देना बहुत जरूरी हो गया है, और योजना आयोग ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ६ किसानों को ७½ एकड़ भूमि दी गयी थी, लेकिन उन्हें अभी तक उस का पट्टा नहीं मिला है। इस में काफी देर की जा रही है। योजना आयोग से सिफारिश की गयी थी कि वह भूमि सुधार के कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दे, क्योंकि भूमि सुधारों के द्वारा ही हम जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा कर सकते हैं और घरेलू बाजार को अधिक विस्तृत कर सकते हैं। इस लिये भूमि सुधार बहुत अवश्यक है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, और किसानों को अधिक प्रेरणा देने के लिये भी, भूमिसुधार बहुत आवश्यक है।

इसलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य सरकारों को नोटिस भेजें कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाये।

†**श्रम, रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : इस चर्चा के दौरान में एक सवाल यह उठाया गया था कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार संसद् इस संकल्प पर चर्चा करने की क्षमता नहीं रखती। आपने इस सम्बंध में अपना विनिर्णय भी दिया था। वास्तव में इस अवस्था पर कोई ऐसा प्रश्न उठना ही नहीं चाहिये। संसद् के दोनों सदन भूमि सुधारों के बारे में जब तक चर्चा करते रहे हैं और उन के सम्बन्ध में कई प्रतिवेदन सभा के सामने रखे गये हैं, और उन पर चर्चा भी की गई है।

वास्तव में यह संकल्प भूमिसुधारों से सम्बन्धित नीति के बारे में है ही नहीं। इस विषय पर अभी तक जितनी चर्चा हुई है उस की एक विशेषता यह रही है कि माननीय सदस्यों ने दलगत भावना से अपने विचार प्रकट नहीं किये। इस विषय पर लगभग सभी माननीय सदस्य एकमत हैं। सभी चाहते हैं कि भूमिसुधार जल्द से जल्द कार्यान्वित किये जाये। लेकिन कुछ थोड़े से माननीय सदस्यों ने इसके

† मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में दलगत भावना से जो थोड़ी आलोचना की है यदि वह नहीं होती, तो अच्छा रहता। उन्होंने कुछ इस तरह इस चीज को रखा है जैसे कि हमने भूमि सुधारों के बारे में फिर से कुछ सोच विचार कर अपना रुख बदल दिया है। उन्होंने अखबारों में प्रकाशित होने वाले कुछ ऐसे वक्तव्यों और समाचारों का भी उल्लेख किया है जो भूमि सुधारों सम्बन्धी प्रगतिशील नीति से मेल नहीं खाते। इस संकल्प के प्रस्तावक और कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह स्वीकार किया है कि योजना आयोग और प्रधान मंत्री, और हम सब भी, भूमि-सुधारों को अविलम्बनीय मानते हैं। अच्छा तो यही होता कि माननीय सदस्य इस प्रकार विभिन्न राज्यों की तुलना न करते। मैं तो चाहता हूं कि भूमि सुधार के कार्यक्रम के बारे में यह सभा एकमत बनी रहे। इसलिये मैं इसी प्रश्न को सब से पहले लेना चाहता हूं।

माननीय सदस्य ने एक राज्य का हवाला देते हुए कहा था कि उस ने देश के अन्य सभी राज्यों के मुकाबले भूमिसुधारों के क्षेत्र में अधिक कार्य किया है और कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार उस के रास्ते में रोड़े भी अटका रही है। उन का कहना है कि वह राज्य इस दिशा में काफी प्रगति करना चाहता है, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता।

उस राज्य की स्थिति वास्तव में यह है, और हमें वास्तव में इस बात की खुशी है कि वह भूमिसुधार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहता है। वह राज्य भूधारणावधि के पूरे ढांचे को ही बदल देना चाहता है और उसमें कई प्रगतिशील विशेषतायें पैदा करना चाहता है। वह अपने कार्यक्रम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना और प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्यों को भी शामिल करना चहता है। यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह मान लेना भी तो गलत होगा कि और किसी राज्य ने इस दिशा में कुछ किया ही नहीं। यह सही है कि कुछ राज्य पिछड़ गये हैं, लेकिन कुछ आगे भी बढ़े हैं और कुछ राज्यों ने तो उस दिशा में काफी ज्यादा प्रगति की है। इसलिये स्थिति यह है कि सभी राज्यों की प्रगति एक समान रूप से नहीं हुई है, लेकिन उस से यह नतीजा निकालना गलत होगा कि कांग्रेस दल योजना आयोग की सिफारिश के बावजूद भूमि सुधारों के काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और कोई दूसरा ही दल इस के बारे में अधिक उत्सुक है।

कहा यह गया है कि हम ने कई समितियां गठित करने और चर्चा करने के अलावा और कुछ नहीं किया। कांग्रेस दल द्वारा नियुक्त की गई समिति का भी हवाला दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि इस दिशा में तेजी से प्रगति होनी चाहिये। लेकिन माननीय सदस्यों को यह चीज भी तो देखनी चाहिये कि हम भी इस दिशा में सक्रिय रहे हैं। हमने कई समितियां नियुक्त की हैं। इसी से जाहिर होता है कि हम इस दिशा में कुछ ठोस काम करने की सोच रहे हैं।

भूमि सुधारों का काम तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इस सवाल का एक और भी पहलू है। मैं मानता हूं कि विधान निर्माण में और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कुछ खामियां और कुछ गलतियां रही हैं। मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि कुछ क्षेत्रोंमें तेजी से प्रगति नहीं हुई है, न तो विधान निर्माण के और न कार्यान्विति के मामले में। लेकिन यह मानने को मैं तैयार नहीं कि हम ने योजना आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सच तो यह है कि हम ने योजना आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है। हां यह जरूर है कि कुछ खास परिस्थितियों की वजह से हमने इस विधेयक में कोई बड़ा सख्त ढांचा तैयार नहीं किया है। भूमि सुधारों के सम्बन्ध में मोटे तौर पर जो दृष्टिकोण होना चाहिये, उसे तो सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। विभिन्न समितियों की नियुक्तियां और उन के काम करने में कुछ विलम्ब होना तो स्वाभाविक ही है लेकिन जान बूझ कर विलम्ब करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि हमें एक राज्य विशेष की प्रगति में बाधा नहीं डालनी चाहिये। इस सम्बन्ध में उस राज्य की विधान-सभा द्वारा पारित जन्मी कर्म सम्बन्धी

[श्री नन्दा]

एक विधेयक का भी उल्लेख किया गया था। वह विधेयक महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उस में भूमिसुधारों सम्बन्धी किसी बुनियादी चीज को नहीं लिया गया। वहां के किसानों को पूरी सुरक्षा मिली हुई है और वे सरकार के लगान की एक निश्चित रकम अदा कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने उस विधेयक के बारे में किसी दूसरे ढंग से सोचा है, या यह कि वह योजना आयोग से सहमत नहीं हुआ। गृह-कार्य मंत्रालय और योजना आयोग दोनों ही इसी राय के थे कि भूमि सुधारों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में कोई विभेद या भेदभाव न करने के साथ साथ धार्मिक स्थानों सम्बन्धी व्यवस्थाओं में भी कोई विभेद नहीं रहना चाहिये। उन भूमियों पर खेती करने वाले किसानों को पूरी सुरक्षा रहनी चाहिये और उन के लगान में भी उतनी ही कमी होनी चाहिये जितनी कि अन्य भूमियों के किसानों के लगान में। इन धार्मिक संस्थाओं की शुद्ध आय के सम्बन्ध में ही एक परित्राण दिया गया था। आखिर इन धार्मिक संस्थाओं को व्ययादि के सम्बन्ध में कुछ आश्वासन तो देना चाहिये . . . .

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : निजी भू-स्वामियों के लिये भी तो लगान की दर निर्धारित की रही है। वे उसी दर से लगान वसूल कर सकते हैं, फिर चाहे उन की आय घटे या बढ़े। लेकिन माननीय मंत्री चाहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं की आय सदा एक सी ही रहनी चाहिये। इस का मतलब तो यह है कि निर्धारित उचित लगान से होने वाली आय और इन संस्थाओं को जितनी आय होनी चाहिये, उस का अन्तर सरकार को पूरा करना चाहिये।

†**श्री नन्दा** : यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि इन संस्थाओं को होने वाली शुद्ध आय कम या अधिक लगान की दर के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती। गणना करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि लगानमें जितनी भी कमी होगी वह लगान की घटाई हुई नई दरके कारण ही होगी, और इसी आधार पर आय की गणना की जायेगी। सरकार भी अदायगी कर सकती है। जमींदारी उन्मूलन के मामले में भी तो सरकार ने प्रतिकर अदा किया है। यह वास्तव में एक उचित आधार पर प्रतिकर अदा करना ही होगा, और वह भी इसलिये कि ये धार्मिक संस्थायें अपना काम जारी रख सकें। हो सकता है कि माननीय सदस्य धर्म के बारे में कुछ ऐसा एक दृष्टिकोण रखते हों, जिस से मैं सहमत नहीं। लेकिन देश के करोड़ों लोगों की अपनी धार्मिक भावनायें हैं। वे यही चाहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं की सेवायें जारी रखनी चाहियें।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मेरा तो ख्याल है कि माननीय मंत्री ने जन्मी कर्म विधेयक को पूरी तौर से नहीं समझा है। उन्हों ने यह नहीं समझा है कि उस के बाद क्या परिवर्तन होंगे। प्रश्न यह नहीं है कि धार्मिक उत्सवों और कृत्यों पर उस का कोई प्रभाव पड़ेगा, और यह भी नही है कि उनके लिये मिलने वाली राशि को रोका जा रहा है। उसमें तो सिर्फ यही कहा गया है कि सरकार द्वारा लगान इकट्ठा कर के उन धार्मिक संस्थाओं को देने की प्रथा बन्द की जानी चाहिये। भूस्वामियों को प्रतिकर दिया जा सकता है और किसानों को भू-धारणाधिकार भी दिया जा सकता है। आपस में तय कर के लगान भी घटाया जा सकता है। यदि लगान की दर इस प्रकार निर्धारित की जायेगी, तो आय कुछ तो घटेगी ही। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि उस से धार्मिक कृत्य बन्द होंगे। हां, उन के व्यय में कुछ कटौती तो करनी पड़ेगी। इसलिये यह गलत है कि वह विधेयक धार्मिक कृत्यों के मामले में हस्तक्षेप करना चाहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : मैं तो समझता हूं कि इतनी व्याख्या की जरूरत ही नहीं थी। हो सकता है कि माननीय सदस्य को वहां की परिस्थिति का कुछ अधिक ब्यौरा मालूम हो, लेकिन मैं बुनियादी तथ्य जानता हूं। हाल ही में, मैं ने वहां के मुख्य मंत्री और कुछ अन्य प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में चर्चा की है। यह कोई इतना कठिन या पेचीदा प्रश्न नहीं है। इन धार्मिक संस्थायों को कुछ निर्धारित आय का आश्वासन तो देना ही पड़ेगा, और मैं तो समझता हूं कि हम आपस में कुछ बातों पर सहमत हो गये हैं। इन पर चर्चा चल रही है और मैं तो समझता हूं कि अब इस में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी।

अब मैं इस प्रस्ताव के सार-तत्व के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और उस से संबंधित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देना चाहता हूं। उसके लिये भूमि सुधार संबंधी नीति की कोई विषद व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सभी दलों के माननीय सदस्य और देश की अधिकांश जनता भूमि सुधारों संबंधी नीति पर एकमत है, इसलिये मुझे उस नीति के समर्थन में अधिक कुछ नहीं कहना है। इसीलिये उस के सम्बन्ध में यह सभा जितनी भी अधिक दिलचस्पी दिखाये या चर्चा करे उतना ही अच्छा है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था, देश के आर्थिक विकास का दारोमदार इसी बात पर है कि हमारी देहाती अर्थ-व्यवस्था कितनी प्रगति कर पाती है। इस बात को हम ने आरम्भ में इतनी गहराई से नहीं समझा था। सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी देहाती अर्थ-व्यवस्था का विकास अपना महत्व रखता है।

देश के देहती क्षेत्रों की दशा अन्य क्षेत्रों की तुलना में बड़ी विभिन्न है। देहाती क्षेत्रों में स्वयं भी बड़ी असमानतायें मौजूद हैं। वहां सब से नीचे की सीढ़ी पर भूमिहीन श्रमिक हैं। इसलिये सामाजिक न्याय की दृष्टि से, और भावी आर्थिक योजनाओं तथा अपने कार्यक्रमों के लिये एक ठोस आधार पैदा करने की दृष्टि से भी, भू-श्रमिकों की दशा में सुधार करना आवश्यक है।

हमने भूमि सुधारों की योजना इस संकीर्ण दृष्टिकोण को सामने रखकर नहीं बनाई है कि देहातों की आय के वितरण में थोड़े हेर फेर कर दिये जायें या यह कि कुछ वर्गों को कुछ अधिक और कुछ वर्गों को कुछ कम भूमि मिले। हमारा दृष्टिकोण तो यह है कि देहाती अर्थ-व्यवस्था एक ऐसे ठोस आधार पर लाया जाये, उसे इतना गतिशाली बना दिया जाये कि वह देश के आर्थिक विकास में पूरा पूरा योग दे सके।

इसीलिये जिन के पास भूमि नहीं है, उन को भूमि मिलनी चाहिये। इसीलिये हम ने कहा है कि जोतने वाले को ही उस भूमिका स्वामी होना चाहिये, क्योंकि तभी उसे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा रहेगी और यही देश की जनता के हित में होगा। जोतने वालों का सीधा सम्पर्क राज्य से ही रहना चाहिये जिस से कि उसे आवश्यकता पड़ने पर उचित रूप में सहायता भी दी जा सके।

और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि जोतने वालों को भूमि का स्वामी बना दिया जाये। हमारा उद्देश्य इस से भी व्यापक है। यह विचार शायद पुराना पड़ चुका है। हमारा दृष्टिकोण तो यह है कि देश के सारे संसाधनों का दायित्व देश की देहाती जनता पर ही है और वही अपनी समूची जन-शक्ति का और अपनी भूमि का अधिक से अधिक सद्उपयोग कर के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक पहुंचा सकती है, सभी को रोजगार दे सकती है, और असमानताओं को कम से कम कर सकती है। इसलिये हम इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति का दृष्टिकोण लेकर ही आगे बढ़

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

रहे हैं और हम सभी का हित इसी बात में है कि देश के सभी भागों में भूमि सुधारों के इस कार्यक्रम को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाये। इस से हम सभी सहमत हैं।

विधान और उस की कार्यान्विति के सम्बन्ध में भी एक प्रश्न उठाया गया था। कुछ माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं इसे नहीं मानता। हां, हम सभी यह तो चाहते हैं कि इस मामले में शीघ्रता की जाये, और इस दृष्टि से प्रगति की धीमी गति के बारे में कुछ असंतोष भी प्रकट किया जा सकता है। लेकिन इस असंतोष को प्रकट करते समय हमें तथ्यों को अनदेखा तो नहीं करना चाहिये। हमें यह तो नहीं भूलना चाहिये कि कई राज्यों में इन कुछ वर्षों में कुछ प्रगति भी हुई है। राज्यों ने भूमिसुधार संबंधी सभी बातों में प्रगति की है। समूचे देश में बिचौलियों को हटाया जा चुका है।

पूरे देश में किसानों को सुरक्षा देने के सम्बन्ध में विधान बन चुके हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने फसल में हिस्सा बंटाने वालों, बटाई पर खेती करने वालों का प्रश्न उठाया था। हां, अभी इस का कोई भी हल नहीं किया जा सका है।

कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिन का अभी कोई भी हल नहीं हुआ है। लेकिन कई राज्यों ने इस के बारे में विधान पारित किये हैं। वे विधान बिचौलियों के उन्मूलन और किसानों की सुरक्षा, इत्यादि के प्रश्नों को लेकर बनाये गये हैं। जब हम से यह बात कही जाती है कि कुछ किसानों से भूमि छीनी जा रही है, तो हमें समझना चाहिये कि वह हमारी नीति के अनुसार ही किया जा रहा है क्योंकि कुछ भू-स्वामी ऐसे भी हैं जिन के पास कोई भूमि नहीं है।

हमारे देश की सबसे बुनियादी बात तो यह है कि हमारे यहां की जोतें बहुत छोटी-छोटी हैं। कई राज्यों में तो अधिकांश जोतें पांच एकड़ से कम ही हैं, कई भू-स्वामियों के पास भी इतनी ही भूमि है। उन्होंने अपनी थोड़ी सी भूमि पट्टे पर दे रखी है। कुछ कारणों से कुछ समय तक वे स्वयं उस पर खेती नहीं कर पाये। इसलिये हम ने यह वांछनीय नहीं समझा कि उन को उस भूमि से भी वंचित किया जाये। इसीलिये विधि में कुछ प्रतिबन्धों और परिभाषों की भी व्यवस्था की गई है। हां, यह जरूर है कि वह भूमि की निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिये। और जहां भूमिधारी के पास कोई अतिरिक्त भूमि न हो वहां उस के पास भी कुछ भूमि रहनी ही चाहिये। इन सभी बातों का ध्यान रख कर और सभी के हितों के विचार से ही यह योजना तैयार की गई थी और इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। विभिन्न राज्यों में से इसे विभिन्न तरीकों से किया गया है। लेकिन सभी विधानों में एक बात समान है कि उन में किसानों को सुरक्षा देने की बात सामने रखी गई है।

भूमि की निर्धारित सीमा के प्रश्न पर भी कुछ मतभेद उठ खड़ा हुआ है। लेकिन योजना आयोग, सरकार और इससे सम्बन्धित सभी लोग अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इस पर अधिक वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये। हमें यह तो अब मान कर चलना चाहिये कि भूमि की इस निर्धारित सीमा को भविष्य में ही नहीं बल्कि मौजूदा जोतों पर भी लागू किया जायेगा। १९५९ की समाप्ति तक विभिन्न राज्य सरकारों को भूमि-सीमा से सम्बन्धित आवश्यक विधान अपनी संविधि पुस्तक में सम्मिलित करने पड़ेंगे। यह स्वीकार किया जा चुका है।

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : यह सभी क्षेत्रों के बारे में होगा या सिर्फ कृषि क्षेत्र में ?

†श्री नन्दा : हम अभी इस समय सिर्फ भूमि सुधारों की बात कर रहे हैं । इसका जवाब मैं बाद में दूंगा । मेरा ख्याल है कि सामाजिक न्याय को अविभाज्य माना जाता है । इसलिये यह तो नहीं हो सकता कि हम देहाती क्षत्रों में देहाती जनता के लिये कुछ उग्र सुधार करें और शहरों के निहित स्वार्थों और बड़ी-बड़ी सम्पत्तियों के स्वामियों को अछूता ही छोड़ दें । ऐसा नहीं हो सकता । मुझे विश्वास है कि इन सुधारों के परिणाम-स्वरूप एक ऐसा वातावरण बन जायेगा जिससे कि अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा जिससे बचा नहीं जा सकता । साथ में यह भी सही है कि अन्य क्षेत्रों में अभी तक कुछ नहीं किया गया है । समाचारपत्रों में कराधान की सख्ती के बारे में जो कुछ भी प्रकाशित होता रहा है, उसे देख कर तो आसानी से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि अगले १० साल में अन्य विषयों में भी कुछ ऐसे सुधार अवश्य हो जायेंग ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय सदस्य जानते हैं कि अन्य राज्यों में भी जहां ऐसे विधान अभी तक पारित नहीं हुए हैं, वहां भी कुछ थोड़े ही समय में पारित किये जायेंगे । हां, लेकिन विधानों को प्रवर्तित करने का काम अवश्य बड़ा कठिन है । भूमि सुधारों के प्रश्न की चर्चा करते समय हमें उसकी धीमी प्रगति के कारणों को भी समझना चाहिये । यह कोई बड़ी आसान चीज नहीं है । यह प्रश्न बड़ा टेढ़ा है । देहाती क्षेत्र के विभिन्न हितों में काफी टकराव है । हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जो ढांचा कई शताब्दियों में पैदा और परिपक्व हुआ है, उसे बदलने में कुछ समय तो लगेगा ही । हम ने इन १० साल में ही कुछ ठोस प्रगति कर ली है । हमें इन चीजों को शांतिपूर्ण ढंग से ही करना पड़ेगा । हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा वर्तमान उत्पादन कम न हो जाये । हम कोई ऐसा तरीका नहीं अपना सकते और कोई ऐसी जबर्दस्ती भी नहीं कर सकते जिससे कि उत्पादन पर अभी कुछ दिनों के लिये भी बुरा असर पड़े ।

हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की परम्परा बनाये रखना है । हमें इस सीमा में रह कर ही भूमि सुधार का कार्य आगे बढ़ाना है । कई राज्यों ने ज़मींदारी हटा कर रैयतवारी प्रणाली चालू कर दी है । अभी हमारे पास न तो ऐसा ढांचा है और न इतने पूरे कर्मचारी हैं जिससे कि इन सब नयी चीज़ों को कार्यान्वित किया जा सके । इनमें समय लगेगा । भूमिसीमा के बारे में कुछ लोग हम से बड़ी ईमानदारी के साथ मतभेद रखते हैं । वे इस बात की आशंका करते हैं कि भूमि की यह सीमा निर्धारित करने से शायद उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकेगी । लेकिन अब इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने का समय बीत चुका है । अब तो सवाल उसकी कार्यान्विति का ही है । देहाती क्षेत्रों की परिस्थिति और उनके सामाजिक वातावरण भी इस में बाधक बनते हैं । सरकार ने विधान तो पारित कर दिया है, लेकिन उसके कार्यक्रम प्रशासन के लिये आवश्यक प्रबन्ध शायद नहीं किया है । सरकार को इसके लिये आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था विकसित करनी पड़ेगी । लेकिन साथ ही जनता को भी इस में हाथ बटाना है । इसलिये सिर्फ सरकार पर लांछन लगाने से बात नहीं बनती । हमें सब को सहयोग करना चाहिये जिससे कि देहाती क्षेत्रों की गरीब जनता को उसके अधिकार दिलाये जा सकें ।

मैंने आपके सामने सारी परिस्थिति रख दी है । प्रस्ताव यह था कि हमें एक समिति बनानी चाहिये । मैंने इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि सम्बन्धी नीति के बारे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

में कोई मतभेद नहीं रह गया है। इस बात पर भी सब एकमत हैं कि हमें इसके लिये किस तरह का विधान बनाना चाहिये। अब तो सवाल सिर्फ यही रह गया है कि कार्यान्विति किस प्रकार की जाये। आप पूछ सकते हैं कि इस समिति से इसकी कार्यान्विति में क्या सहायता मिलेगी? यह समिति इस प्रश्न पर विचार नहीं करेगी, और न उसके विचार करने से कोई ज्यादा फायदा होगा, कि किन राज्यों ने अधिक प्रगति की है या किन राज्यों ने धीमी प्रगति की है। इसलिये मैं यह सुझाव रख रहा हूं कि अभी तक हमारी जितनी प्रशासकीय व्यवस्था है उसके अलावा एक समिति और नियुक्त की जाये, जो इस पूरे प्रश्न पर एक दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करती रहे। योजना आयोग में एक समिति है, जिसे 'केन्द्रीय भूमि-सुधार समिति' कहा जाता है और जो विभिन्न राज्यों के विधान, इत्यादि सम्बन्धी मामलों पर विचार करती है। द्वितीय योजना के लिये एक तालिका मौजूद है, और उसने काफी अच्छा काम किया है। उसकी कई उपसमिति हैं जिन्होंने बहुत बहुमूल्य सामग्री संग्रह की है। इन उपसमितियों के प्रतिवेदन काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसलिये मेरा ख्याल है कि हमें अधिक दिनों तक नहीं रुकना चाहिये। और भी तालिकायें तैयार करनी चाहियें, जिनमें संसद्-सदस्य भी सम्मिलित हों और वे भूमि सुधारों के सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर दें।

†**श्री पाणिग्रही** : यह समिति कब नियुक्त की जायेगी?

†**श्री नन्दा** : बहुत ही जल्द। मैं समझता हूं कि वह अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। योजना आयोग ने हर देहाती परिवार को क्षेत्रवास देने की जो नीति अपनाई है उसके सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है?

†**श्री नन्दा** : सिफारिशों और प्रतिवेदन में इस प्रश्न पर विचार किया गया है। यह भी एक सिफारिश की गयी है। यह भी बहुत जरूरी है कि प्रत्येक परिवार को सुविधायें दी जायें लेकिन वह भूमि की सुलभता पर निर्भर करता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिफ़ारिश की गयी है कि लगान की दर सकल उत्पादन के एक-चौथाई या एक-पांचवें भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। कुछ राज्यों में धार्मिक संस्थाओं के पास ५० और ६० प्रतिशत तक भूमि है। अब यदि इस सिफारिश को माना जाये तो उनकी आय में कमी हो जायेगी। इसका मतलब तो यह होगा कि उन राज्यों के ६० प्रतिशत किसानों पर यह भूमि सुधार लागू नहीं होंगे, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं की आय कम भी नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में यह कठिनाई होगी।

†**श्री नन्दा** : मैं अभी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट बात नहीं कहना चाहता। क्योंकि अभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर स्थिति यह है कि इन धार्मिक संस्थाओं की आय को इतनी अधिक पवित्रता भी नहीं दी जायेगी कि यदि अन्य लोगों के साथ-साथ उनकी आय में कोई कमी आती है तो सुधारों को लागू ही न किया जाये। लेकिन अभी मैं इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट राय नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : खेद की बात है कि माननीय योजना मंत्री ने कुछ बहुत ही जरूरी बातों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है । हमें यह बताने से कोई फायदा नहीं होगा कि भूमि सुधारों के सम्बन्ध में सभी सदस्य एक मत हैं । प्रश्न तो उसकी कार्यान्विति का है । सवाल तो यह है कि दो राज्यों में उनकी कार्यान्विति की ही नहीं जा रही है ।

मैंने माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था । मैंने पांच बातें कही थीं । एक बात मैंने यह पूछी थी कि क्या योजना आयोग राज्य सरकारों से कुछ कालावधि के लिये सभी बेदखलियों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कहने जा रहा है ?

†**श्री नन्दा** : ऐसे निदेश दिये जा चुके हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : लेकिन मेरे अपने राज्य में बेदखलियां हो रही हैं । मैंने इस ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था ।

मैंने यह सुझाव भी दिया था कि भूमि सुधारों से उन जोतों को मुक्त रखना चाहिये जो आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर नहीं हैं या जो १ से ५ एकड़ तक की हैं । लेकिन सरकार जितना समय भूमि की सीमा निर्धारित करने में लगायेगी, उतने समय में सभी प्रकार के विभाजन और हस्तांतरण होते जायेंगे । कुछ स्थानों पर तो ऐसे बच्चों के नाम भी भूमि की जा रही है जो अभी पैदा तक नहीं हुए हैं । योजना आयोग को राज्य सरकारों से ऐसे सभी विभाजनों को रोकने के लिये कहना चाहिये । कुछ राज्यों में उन फार्मों को भी भूमिसुधारों से मुक्त किया जा रहा है, जिन का प्रबन्ध कार्य-क्षमता से हो रहा है । इस तरह तो १०० एकड़ भूमि रखने वाले भूस्वामी भी यह कह सकते हैं कि उसके फार्म को इसलिये भूमिसुधारों से मुक्त रखा जाये कि उसका प्रबन्ध बहुत सुचारू रूप से चल रहा है । माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा ।

लेकिन चूंकि माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि एक समिति की नियक्ति की जा रही है जो इन सब प्रश्नों पर शीघ्र ही विचार करेगी और जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, इसलिये मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं । आशा है कि इस आश्वासन को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा ।

†**श्री नन्दा** : मैं माननीय सदस्य का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने संकल्प पर आग्रह नहीं किया । उन्हों ने अपना संकल्प मेरे इस सुझाव के कारण वापस ले लिया है कि इस प्रश्न पर योजना आयोग की तालिकाओं द्वारा ही विचार किया जायेगा । इन तालिकाओं ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में काफी उपयोगी कार्य किया है । उन्होंने सुचारू रूप से प्रबन्धित फार्मों इत्यादि के प्रश्न भी उठाये हैं । मैं ने इन अलग-अलग बातों पर इसलिये कुछ नहीं कहा कि हम इन सब पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे ही । उसके लिये इस समय सभा का समय लेना ठीक नहीं था । प्रतिवेदन में ऐसे फार्मों के प्रश्न पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है । ऐसे फार्मों को विमुक्ति देने की कई शर्तें हैं । उनमें एक शर्त यह भी है कि वह एक ही बड़ा फार्म होना चाहिये और यह भी कि उसके विभाजन से उत्पादन में कमी आने की आशंका होनी चाहिये । यदि उस के विभाजन से उत्पादन में कमी नहीं आती, तो उसे विमुक्ति नहीं दी जा सकती ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : श्री स० म० बनर्जी भी अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प

†**श्री सुबिमन घोष** (बुर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"इस सभा की यह राय है कि संघ तथा राज्यों के सभी लोक सेवा आयोग भारत सरकार के अधीन होने चाहियें और उन सब की स्थिति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समकक्ष होनी चाहिये तथा इस प्रयोजन के लिये संविधान में संशोधन करने के हेतु उपयुक्त विधान प्रस्तुत किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये अब समय नहीं है। आइन्दा से मैं चाहता हूं कि सत्र के समाप्त होने पर कोई काम पड़ा न रहे। जहां तक सम्भव हो, एक विषय को दूसरे सत्र तक विचाराधीन नहीं रखा जाना चाहिये। खैर, अब इस संकल्प पर माननीय सदस्य अपना भाषण अगले सत्र में जारी रखें।

आँध्र में चीनी के सहकारी कारखाने*

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : आंध्र में सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखाने खोलने का आन्दोलन १९५५ के प्रारम्भ में शुरू हुआ था। केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र राज्य से उन की अंश पूंजी के लिये १० लाख रुपये जमा करने को कहा। बड़े प्रयत्नों से १० लाख रुपये जमा किये गये और केन्द्रीय सरकार से लायसेंस देने को कहा गया। लायसेंस तो प्राप्त हो गया लेकिन केन्द्रीय सरकार ने ६० लाख रुपये की रकम देने में बहुत विलम्ब किया बड़ी कठिनाइयों के पश्चात् ८ महीनों के उपरांत यह रकम प्रदान की गई।

इसके पश्चात् हम ने उधार के लिये औद्योगिक वित्त निगम से प्रार्थना की। उसने बताया कि निगम से ऋण मिलना कठिन है फलस्वरूप हमने गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिया। और केन्द्रीय सरकार से आयात लायसेंस देने के लिये कहा। केन्द्रीय सरकार ने हमें टेंडर निमंत्रित करने को कहा, इस आश्वासन के आधार पर हमने टेंडर निमंत्रित किये। न्यूनतम टेंडर पोलैण्ड की सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई एक कम्पनी का था। उससे इस आधार पर समझौता किया गया कि भुगतान रुपये में भारतीय बैंकों में किया जायेगा और यह रुपया भारत में कच्चा माल इत्यादि खरीदने में ही व्यय किया जायेगा। यदि उक्त शर्तें मंजूर की जातीं तो ये तीन कारखाने उसी समय उपलब्ध हो सकते थे लेकिन उन्हें तत्काल स्वीकृति देने के स्थान पर उन को अन्य कारखानों के साथ शामिल कर दिया गया।

इसी समय केन्द्रीय सरकार ने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि रुपये में अन्य देशों को भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन देशों के द्वारा खरीदी जाने वाला कच्चा माल देश को दुर्लभ मुद्रा वाले प्रदेशों में भेजने को चाहिये। वस्तुतः यह सिद्धान्त ही विवादग्रस्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

इसलिये मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि आन्ध्र की उक्त तीनों चीनी मिलों को भी देश की अन्य ११ सहकारी मिलों के साथ पंजीबद्ध करके तब उन में पूर्ववर्तिता निश्चित करना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि आन्ध्र की उक्त तीन चीनी कारखाने देश के अन्य सहकारी कारखानों से भिन्न आधार पर स्थित हैं इसके कई कारण हैं। पहिला कारण तो यह है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार का इन कारखानों को खोलने में बड़ा हाथ है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पोलैण्ड की सरकार के साथ तत्सम्बन्धी समझौता किया है। पोलैण्ड की सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी कि तीनों कारखाने एक ही राज्य में लगाये जायें जिस से उन्हें अधीक्षण इत्यादि कार्य में सुविधा रहे। उनकी इस मांग को आन्ध्र प्रदेश ने स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार पोलैण्ड की सरकार उन तीनों संयत्रों को देने को बिल्कुल तैयार है विलम्ब हमारी ओर से ही हो रहा है।

जहां तक भारत में चीनी के कारखाने बनने का प्रश्न है सरकार तथा चीनी कारखाना निर्माताओं के संघ की पिछली आठ महीनों की वार्ता से कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि भारत में उक्त संयंत्र बनने प्रारम्भ भी हों तो भी उसमें कुछ समय लगेगा और यदि वह अवशेष ८ कारखानों के यंत्रों की मांग पूरी कर सकें तो वही बहुत अधिक है अतः तब तक प्रतीक्षा करने से कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि आन्ध्र में सहकारी आन्दोलन पूरे जोरों पर हैं। हम कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहते हैं किन्तु यदि इस बनी बनाई सहकारी योजना को हम ने झमेले में डाल दिया तो इसका परिणाम यह होगा कि अन्य क्षेत्रों में भी सहकारिता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को आन्ध्र राज्य के इन तीनों सहकारी कारखानों के निर्माण में यथाशक्ति प्रोत्साहन देना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि उक्त तीनों सहकारी कारखाने यथाशीघ्र खुलें।

†**श्री राजगोपाल राव** (श्रीकाकुलम्) : आंध्र प्रदेश के इन चीनी कारखानों का इतिहास शुरू से ही संकटग्रस्त रहा। जिस से अंशधारी असंतुष्ट हो गये हैं और अब वे अपने अंशों का रुपया वापस मांग रहे हैं। हम पिछले तीन वर्षों से उन्हें केवल आश्वासन ही देते चले आ रहे हैं। निस्सन्देह उन के स्थान पर कोई भी व्यक्ति होता तो वह ऐसे झूठे आश्वासनों पर कभी विश्वास नहीं करता।

वस्तुतः बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी जनता की स्थिति को नहीं समझते हैं। उस प्रदेश की जनता बहुत गरीब, अभावग्रस्त और अकालपीड़ित है लेकिन वे उन की अवस्था से परिचित न होने के कारण इस में बहुत विलम्ब कर रहे हैं।

जहां तक देश में संयंत्र बनाने का प्रश्न है इस में पर्याप्त समय लगेगा और कई अड़चनें पैदा होंगी अतः तब तक प्रतीक्षा करना व्यावहारिक होगा।

वस्तुतः जब सरकार विदेशी शराब, विदेशी जूतों व अन्य विलासिता की वस्तुओं के आयात का लायसेंस देती है तो उसे इस सहकारी कारखानों के संयंत्रों के आयात में भी विलम्ब नहीं करना चाहिये।

श्री रामम् (नरसापुर): अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र की शुगर फैक्टरी के बारे में मेरे दोस्त श्री विश्वनाथ रेड्डी ने बताया है कि अगर उन को वहां स्थापित नहीं किया गया, तो वहां को-आपरेटिव मूवमेंट को बड़ा धक्का लगेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्त ने आन्ध्र की को-आपरेटिव

† मूल अंग्रेजी में

[श्री रामम्]

मूवमेंट की हिस्ट्री के अच्छे भाग को सामने रखा है, लेकिन अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि प्रकाशम जी की मिनिस्ट्री के समय में करोड़ों रुपये से को-आपरेटिव सोसायटीज़ ने उसको स्थापित किया। उसका नतीजा क्या हुआ ? उस को एक बड़ा धक्का लगा। उस के कारण हम को शेयर्ज़ इकट्ठे करने में बड़ा नुकसान और तकलीफ़ उठानी पड़ी। मेरा ताल्लुक पालाकोल से है। दो साल की तक्लीफ़ से हमने एक एक शुगर को-आपरेटिव सोसायटी बनाई और १५५० मेम्बर्ज़ बनाये और ८,३०,००० रुपये की पूंजी इकट्ठी की। सभी दलों के लोगों ने, जिन में कांग्रेस के लोग भी थे और कम्यूनिस्ट भी थे, और ऐसे लोगों ने भी, जिन का किसी दल से ताल्लुक नहीं था, किसानों को समझाने बुझाने के बाद लाखों रुपये की पूंजी इकट्ठी की। किसानों के पास पैसा नहीं होता है। वे कर्ज़ लाये; किसी किसी ने ज़मीन रख कर पैसा जमा किया और वह पैसा बैंक में रखा गया। किसान साधारणतया अपने घर और अपने खेत के लिये पैसे को तरसता है। ऐसी हालत में वह कितने साल तक इन्तज़ार कर सकता है। जब तक हम देश में शुगर फैक्ट्री का उत्पादन करें, तब तक इन्तज़ार करता रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम को-आपरेटिव तरीके से व्यापार करें, को-आपरेटिव तरीके से इंडस्ट्री चलायें। एक धक्का पहले लगा था। यह धक्का कोई मामूली धक्का नहीं होगा, यदि हम आन्ध्र के चरित्र को सामने रखें। वह धक्का केवल को-आपरेटिव मूवमेंट पर नहीं लगेगा, हमारे प्लान पर भी किसानों का विश्वास नहीं रहेगा। उन्होंने पैसा क्यों दिया ? देश का भला होगा, तुम्हारा भला होगा, किसी न किसी तरह पैसा लाओ, इस तरह समझा बुझा कर पैसा इकट्ठा किया गया था। अगर यह फैक्ट्री मन्ज़ूर नहीं हुई, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग कोई भी प्रोग्राम लेकर वहां गांव में नहीं आ सकते हैं, उन को नहीं समझा सकते हैं। इस से देश में बड़ा नुक्सान होगा, यह समझ कर इस विषय पर विचार करना चाहिये। अपने दोस्तों के साथ हम भी धन्यवाद देने के लिये तैयार हैं, लेकिन अगर काम हो जाय, तो हम धन्यवाद दें या न दें, देश का भला ही होगा। धन्यवाद की बात नहीं है, काम ज़रूर होना चाहिये। अगर काम हो जायगा, तो हम भी खुशी से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद में हमारा भी भाग होगा।

अध्यक्ष महोदय : उस से पहले धन्यवाद देने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री रामम् : धन्यवाद देने का एक तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद को छोड़ दीजिये। सवाल क्या है ?

श्री रामम् : दूसरी बात यह है कि आन्ध्र के लोगों में एक दूसरी भावना बढ़ रही है। उस भावना का भी कुछ ख्याल रखना चाहिये, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आन्ध्र में मन्ज़ूर नहीं हुई। जब आन्ध्र की तरफ़ से इलैक्ट्रिसिटी के लिये किसी प्राजेक्ट की मांग की गई, तो जवाब दिया गया कि पैसा नहीं है। इसी तरह मैंगनीज़ ओर फैक्ट्री, बगास फैक्ट्री के बारे में भी बताया जाता है कि पैसा नहीं है। दिल्ली से कुछ भी मांगा जाता है, तो वह मन्ज़ूर नहीं होता है। हमारे आन्ध्र के किसानों से लेना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार हम को कुछ नहीं देना चाहती, ऐसी भावना के बढ़ने का खतरा है। इस को भी ख्याल में रखना चाहिये। यही वास्तविक हाल है, जो कि मैं मंत्री महोदय को नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं। मैं विनती करता हूं कि इस को भी समझ लिया जाये। जब आन्ध्र के किसान मशीनरी के लिये रुपया देने के लिये तैयार हैं, तो वे नहीं समझ सकते—कोई भी नहीं समझ सकता—कि दिल्ली सरकार के सामने क्या दिक्कत है और कोई शुगर फैक्ट्री क्यों नहीं बनायी जाती है। वहां कोई दूसरी इंडस्ट्री भी नहीं है। इसलिये लोगों की तरक्की के लिये, आन्ध्र की इंडस्ट्रियल तरक्की के लिये, भारत की तरक्की के लिये, हमारे प्लान पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिये इसको ज़रूर मन्ज़ूर किया जायगा, यह विनती करते हुए मैं खत्म करता हूं।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : मैं केवल यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार इन संयंत्रों के आयात की अनुमति क्यों नहीं दे रही है जब कि नका आयात आस्थगित भुगतान के आधार पर रुपयों में किया जायेगा और इन रुपयों का भी समान खरीद कर यहां से बाहर निर्यात किया जायेगा ?

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं सरकार से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न पर निश्पक्षता से विचार करे और आन्ध्र की न्यायोचित मांगों को पूरा करे। मैं तो यहां तक तैयार हूं कि इस प्रश्न को किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिये दिया जाय। उस पर जो भी निर्णय हो सरकार उसी के अनुसार कार्य करे। तथापि भारत में चीनी के यंत्रों का निर्माण होने तक प्रतीक्षा करना अनुचित है।

डा० मेलकोटे (रायचूर): जब को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बारे में इस सदन में बात छिड़ी हुई है, तो मैं उचित समझता हूं कि मैं भी इस के बारे में दो लफ्ज़ कहूं। मेरी कांस्टीच्यूएन्सी रायचूर जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उसी डिस्ट्रिक्ट में तुंगभद्रा प्राजेक्ट तकरीबन साठ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद तैयार हो गई है, जिस से पुराने हैदराबाद की तरफ दस लाख एकड़ और दूसरी तरफ तकरीबन पांच, छः लाख एकड़ ज़मीन को सिंचाई होने वाली है। उधर काफ़ी बारिश न होने की वजह से वहां की आबादी कम है, लोग निकल गये हैं। इतना खर्च करने के बाद लोगों को फिर बसाने के लिये इस तरह की कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री कायम नहीं की गई और वहां लोगों को नौकरी नहीं मिली, तो वहां लोग नहीं आयेंगे और वहां की आबादी नहीं बढ़ेगी। इसलिये मैसूर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री कायम करने के लिये निर्णय किया, तो वहां के लोगो ने तकरीबन एक लाख पये से ज्यादा जमा किया और जमा कर के बैंक में रखा। उस को तीन साल हो गये हैं, लेकिन आज भी वहां को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री कायम करने के लिये गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से इम्पोर्ट लाइसेन्स नहीं मिला है।

इस समय आन्ध्र को बात छिड़ी हुई है। मैं श्री विश्वनाथ रेड्डी को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन उस से ज्यादा तुंगभद्रा प्राजेक्ट के लिये और उस के नीचे गंगावती में भी कायम करने की बहुत ज़रूरत है। वहां कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री शुरू करने के लिये हर एक स्टैप लेना चाहिये। आन्ध्र को तो मिलना चाहिये, लेकिन तुंगभद्रा के नीचे गंगावती को भी मिलना चाहिये। मैं मिनिस्टर साहब से यह आश्वासन चाहता हूं।

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : श्री विश्वनाथ रेड्डी ने खाद्य मंत्रालय और मेरे ज्येष्ठ सहकारी श्री अ० प्र० जैन के सहयोग के लिये कृतज्ञता प्रगट की है, मैं इसके लिये उनका धन्यवाद प्रगट करता हूं। उन्होंने श्री मनुभाई शाह को भी उनकी सहायता और सहयोग के लिये धन्यवाद दिया है। इसलिये अब केवल वित्त मंत्रालय को ही इस बात पर आपत्ति करने के लिये उत्तर देना है। मैं उन लोगों की कठिनाइयां भली भांति समझता हूं जो गरीब लोगों से चन्दा मांग कर ऐसी मिलें खुलवाने का प्रयत्न करते हैं। वस्तुत: मुझे इस बात पर आश्चर्य ही है कि उक्त प्रदेश के किसी संसद सदस्य के प्रति उस प्रदेश के लोगों ने किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया है। मैं भी सभा के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि अपनी गाढ़ी कमाई को अंश के रूप में देकर इतने लम्बे अर्से तक ठहरना वहां की गरीब जनता के लिये कितना कठिन है। रुपये में भुगतान करने और पोलेंड की सरकार के टेंडरों के बारे में विस्तार से कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्रालय को यह बताना चाहता हूं कि उन्हें मुफ्त में कोई चीज नहीं मिल सकती है।

† मूल अंग्रेज़ी में

[डा० प० शा० देशमुख]

वस्तुत : पोलेंड की सरकार रुपये का नोट स्वीकार नहीं कर सकती है क्योंकि रुपये का नोट कोई मुद्रा नहीं है। उस रुपये के बदले में हमें कोई न कोई वस्तु देनी होगी। अब यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि विदेशी मुद्रा और रुपये के भुगतान में कोई अंतर नहीं है। तथापि इनके बीच बहुत अंतर किया जा रहा है।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मेरे माननीय मित्र यह कहना चाहते हैं कि रुपये में भुगतान विदेशी मुद्रा में भुगतान के समक्ष है। तथापि इसकी भी एक सीमा है। जब हमें पूर्व यूरोपीय देशों से कई वस्तुओं का आयात करना होता है तो हमें उन चीजों के बीच चुनाव करना होता है इसलिये चुनाव करने के लिये पूर्ववर्तिता निश्चित करनी होती है। हम अपने निर्यात से जो कुछ भी कमायेंगे वह सब उन्हीं वस्तुओं पर व्यय होना चाहिये जिन्हें वह यहां से खरीदना चाहते हैं। अत : हमें आयात या निर्यात में अधिक स्वतंत्रता नहीं होती है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं। जब मेरे माननीय मंत्री अपना भाषण समाप्त कर लेंगे तब मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से बताऊंगा। वस्तुत : रुपये में भुगतान की एक सीमा होती है। हम उससे अधिक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अत : इसका पूर्ववर्तिता के आधार पर ही उपयोग किया जा सकता है।

†**श्री पं० शा० देशमुख** : माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होना चाहिये कि चीनी के कारखानों की कीमत में भी प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। ये चीनी के कारखाने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की मदद से स्थापित किये जा रहे हैं। निसंदेह मुझे कृषकों से पूरी सहानुभूति है। तथापि इस आस्थगित भुगतान से इन कारखानों की कीमत ८० लाख रुपये से बढ़ कर ११५ लाख हो जायेगी। इसीलिये मेरा मंत्रालय और सरकार इस सम्बन्ध में बहुत चिन्तित थी, तथापि विदेशी मुद्रा की कठिनाई से यह सब बातें पैदा हो गईं। यह कहना गलत है कि यह कठिनाइयां इस कारण पैदा हुईं कि यह आंध्र का मामला था वस्तुत : किसी भी राज्य के प्रति पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। यदि आप उन ११ कारखानों पर गौर करें जिन को लायसेंस तो दिये गये लेकिन आयात लायसंस नहीं दिये जा सके तो आप देखेंगे कि उन में से बम्बई राज्य के एक कारखाने को २१ जनवरी, १९५५ के पूर्व ही लायसेंस दे दिया गया था। लेकिन उसे आज तक आयात का लायसेंस नहीं मिल सका। जब कि आंध्र के चार कारखानों को ८ अक्टूबर, १९५६ और १५ अक्टूबर, १९५६ और १ मार्च, १९५७ को लायसेंस मंजूर किये गये। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि आंध्र में प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन अधिकतम होने के कारण हमने सदैव इस सम्बन्ध में आंध्र को हर प्रकार से सहायता देने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा आंध्र में अभी तक कोई और सहकारी चीनी का कारखाना नहीं है इसलिये भी हम आंध्र के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। यह आरोप निराधार है कि हम आंध्र के प्रति पक्षपात करते हैं।

जहां तक चीनी कारखानों के निर्माता संघ का प्रश्न है मेरा यह विचार है कि योजना आयोग के सहयोग से इस योजना के क्रियान्वित होने में अब अधिक बिलम्ब नहीं होगा। हमारा विचार था कि १९६१–६२ तक ८ कारखाने बन कर तैयार हो जायेंगे। तीन कारखाने उससे अगले वर्ष बनेंगे। तथापि अब यह ज्ञात हुआ है कि ८ या ९ महीनों में एक कारखाना तैयार करना बहुत कठिन है। अत : इस संघ के द्वारा इन कारखानों के निर्माण में बहुत समय लगेगा। वस्तुत : यह सारी कठिनाई भी विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण पैदा हुई है। यह मामला काफी आगे बढ़ गया

† मूल अंग्रेजी में

है। योजना आयोग ने हमें इस प्रयोजन के लिये प्रति कारखाने के लिये २५ लाख के हिसाब से २ करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रदान की है। मैं सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि हम आंध्र के प्रति अधिक सहानुभूति रवैया अपनायेंगे और प्रयत्न करेंगे कि रैयतों को अपने अंशों का लाभ उठाने के लिये अधिक दिन न ठहरना पड़े। हम इस बात का भी प्रयत्न कर र हैं कि संयंत्र निर्माता संघ शीघ्र बन सके।

†**श्री तिरुमल राव** (काकीनाडा) : हमें बताया गया है कि उत्तर की कुछ मिलें बन्द पड़ी हैं और उनके बेचने की बात चल रही है। क्या सरकार उनमें लगी उपयोगी मशीनों को ठीक दामों में दिलावने और उनको दक्षिण में लाने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री पं० शा० देशमुख** : हम ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि उस राज्य की सरकार को कोई आपत्ति नहीं है तो हम इस प्रयत्न में सहायता करेंगे। वस्तुत: कुछ सहकारी कारखानों ने इस प्रकार की पुरानी मशीनें खरीदी हैं और अब उन मशीनों से पर्याप्त लाभ हो रहा है।

†**श्री मनुभाई शाह** : श्रीमान् इस विषय में केवल आन्ध्र के ही नहीं प्रत्युत पांच छः अन्य राज्यों के सदस्यों ने भी काफी रुचि दिखाई है। मुझे वाद विवाद के इस ऊंचे स्तर को देख कर बड़ा हर्ष हुआ है।

इस विषय में वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग ने बड़ी सहानुभूति दिखाई है और कृषि व उद्योग मंत्रालय के साथ मिल कर सब ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर हमारे देश में १४७ चीनी के कारखाने थे। उस समय के पश्चात् खाद्य व कृषि मंत्रालय के प्रयत्नों से ५२ या ५३ नये कारखानों को और लाइसेंस दिये जा चुके हैं तथा १४ के स्थान पर ३८ नई सहकारी संस्थाओं को चीनी के कारखाने चलाने के लिये अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं। इस लिये मैं यह कह सकता हूं कि इस संबंध में हमारी नीति पूर्णतया सफल रही है।

किन्तु दुर्भाग्य से १६५७ के प्रारम्भ से हमारे देश में विदेशी मुद्रा की विकट समस्या उठ खड़ी हुई है। इस लिये कुछ राज्यों को थोड़े लाइसेंस दिये जा सके और कुछ को बहुत। मैं ने इन सभी कारखानों का निरीक्षण किया है जिनको कि हमने आयात तथा औद्योगिक विकास के लिये लाइसंस दिये हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी को हमारी नीति के संबंध में कुछ गलतफहमी हो गई थी। किन्तु उन्होंने अपने शब्दों को वापस लेकर बड़ी बुद्धिमानी प्रदर्शित की है। हमारी हार्दिक इच्छा यही थी कि हम इन सभी सहकारी फैक्टरियों को आयात का लाइसेंस दे सकें। किन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इन ग्यारह कारखानों को तथा नैनीताल में स्थापित एक अन्य कारखाने को आयात लाइसेंस नहीं दिये जा सके। यह बात केवल चीनी के कारखानों के साथ ही नहीं हुई है। देश में लगभग २०० ऐसे उद्योग हैं जिनको कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण लाइसेंस नहीं दिये जा सके हैं हालांकि उनके लिये जमीनें खरीदी जा चुकी थीं तथा वे थोड़ी बहुत मशीनरी भी मंगवा चुके थे। यह कहना कि चीनी के कारखानों के लिये हमें आस्थागित भुगतान के आधार पर मशीनरी मंगवाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हम चीनी का निर्यात करके इसका भुगतान कर सकते हैं, ठीक बात नहीं है। आखिर आस्थगित आधार पर माल मंगवाने

† मूल अंग्रेजी मे

[श्री मनुभाई शाह]

पर भी उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है । हम लोगों पर पहले ही काफ़ी ऋण हो चुका है जिसका कि हमें १९६०, १९६१, १९६२, १९६३, १९६४ और १९६५ में भुगतान करना है । हम अब और ऋण नहीं ले सकते ।

इसलिये यद्यपि हमारी इन सहकारी कारखानों के साथ पूरी सहानुभूति है फिर भी हम ने विदेशी मुद्रा के इस विकट संकट के समय इन कारखानों की, जिन को मैं कई बार देख चुका हूं तथा जिन में से ४ आन्ध्र में, २ बम्बई में, १ मैसूर में, १ उड़ीसा में, २ पंजाब में, २ उत्तर प्रदेश में हैं तथा जो लगभग १५ लाख से २० लाख रुपये तक की धनराशि संचित कर चुके हैं, सहायता करने में सर्वथा असमर्थ थे । इसलिये हम ने यह सोचा कि किस प्रकार से इस सहकारी आन्दोलन को चलाये रखा जा सकता है ? हम इन सब को मिला कर एक संघ बनाना चाहते हैं ।

इस के लिये हम ने सभी सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श किया है ।

यह कहना कि हम अपने देश में चीनी के कारखानों के लिये मशीनें नहीं बनाते हैं गल्त बात है । पिछले ३ वर्षों में हम ने ६ कारखानों को लाइसेंस दिये हैं जोकि अब इन के लिये मशीनरी बना रहे हैं । इसी प्रकार १३ लघु तथा मध्यम पैमाने के उद्योग भी इन कारखानों के लिये मशीनरी बना रहे हैं । इस से पहले भी अनेक लाइसेंस प्राप्त करने वाले कारखाने आधी से ज्यादा मशीनरी का इसी देश में निर्माण करवाया है ।

हम लोग इस स्थिति को यथासम्भव ठीक करने की चिन्ता में लगे हुए हैं । इस के लिये सभी मंत्रालय मिल कर योजना आयोग से सलाह कर रहे हैं । इन छः बड़े-बड़े कारखानों के सहयोग से हम ने इस देश में विभिन्न प्रकार की मशीनरी के लिये दिये गये आर्डरों को पूरा करने के लिये दो संघ बनाने की योजना बनाई है । इन में से एक संघ का पंजीकरण हो चुका है और मुझे सूचना मिली है कि मद्रास का संघ भी अगले सप्ताह पंजीबद्ध हो जायेगा ।

मशीनरी निर्माताओं तथा उन के विदेशी सहायताकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद, अगले मास की ५ तथा ६ तारीख को सम्बन्धित राज्यों की सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों तथा सभी सहकारी चीनी कारखानों के चेयरमैनों व सचिवों को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है ताकि हम दंड खंडों, माल देने के खंडों आदि सहित सारी संग्रह नियमावलि को तैयार कर सकें । हमें आशा है कि योजना आयोग ने इन में से प्रत्येक उद्योग को जो २५ लाख रुपये देने का निश्चय किया है उस से हम इन की मशीनरी सम्बन्धी आवश्यकाओं को काफ़ी हद तक पूरा कर सकेंगे । हम १९६० के उत्तरार्ध में १२ में से ज्यादातर कारखानों को मशीनरी दे देंगे और शेष को १९६१ में ताकि हमारा एक सीज़न से ज्यादा नुक्सान न हो ।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस का यह अर्थ हुआ कि जिन किसानों ने इन क़ारखानों के शेयर खरीदे हैं वे ५ साल तक इन्तज़ार करते रहें ।

†**श्री मनुभाई शाह** : १९६०-६१ अगला वर्ष है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : परन्तु उन्हों ने १९५५-५६ में शेयर लिये हैं और १९६०-६१ में उन को कुछ मिलना शुरू होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : इस में तर्क का कोई प्रश्न नहीं है, मैंने आप को पिछला इतिहास बतलाया है। अनेक ऐसे उद्योग हैं जिन की इस से भी शोचनीय दशा है। यदि हम विदेशी मुद्रा की कमी के कारण समस्त उद्योगों पर होने वाले प्रभाव को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चीनी के कारखानों के लिये मशीनें बनाने वाले उद्योगों की स्थिति अपेक्षाकृत कहीं अच्छी है। क्योंकि यह कारखाने बड़ी देर से माल तैयार कर रहे हैं। उन का माल भी बहुत बढ़िया होता है। अनेक लाइसेंसयाफ्ता मिलों ने उन से मशीनें खरीदी हैं और उन के साथ मशीनों की सप्लाई का प्रबन्ध किया है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इन में से अधिकांश कारखाने १९६०-६१ में उत्पादन शुरू कर देंगे और यदि कुछ पीछे भी रह गये तो वह १९६१ में अवश्य चालू हो जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह थोड़ी देर और धैर्य रख कर शान्त रहें। मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि न तो मंत्रालय ही और न योजना आयोग ही और न वित्त मंत्रालय ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अड़चन डालना चाहता है। बल्कि वित्त मंत्रालय ने इस संकट के समय भी हमें इन उद्योगों के लिये इतनी राशि दे कर विशेष अनुकम्पा प्रकट की है।

कुछ लोगों को कदाचित् यह धारणा हो गई है कि रुपयों में भुगतान करना तनिक कठिन काम नहीं। वे समझते हैं शायद ऐसा कर्ज़ा कोई कर्ज़ा ही नहीं होता। किन्तु हमारा यह अनुभव है कि इस प्रकार का ऋण चुकाना भी उतना ही कठिन है जितना कि विदेशी मुद्रा में। इस प्रकार के सौदे में केवल यह होता है कि हम उन से जो वस्तुयें लेते हैं उस के बदले में वे हम से हमारी वस्तुयें खरीद लेते हैं। हम उन को आवश्यक वस्तुयें दे कर एक प्राथमिकता क्रम के अनुसार उन से अपना माल लेते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : क्या इन में से किसी देश ने अतिरिक्त चीनी को लेने के लिये कहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : अभी इस का निश्चय नहीं हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : हम नये कारखाने बना रहे हैं। हम जिन देशों से इन के लिये मशीनरी लेना चाहते हैं उन में से यदि कोई देश अतिरिक्त चीनी खरीदना चाहे तो हमें इस में क्या कठिनाई हो सकती है ?

†श्री मनुभाई शाह : हमारा प्रश्न अतिरिक्त निर्यात के बारे में है। यदि हम केवल एक देश की बजाये दूसरे देश में माल भेजने लगें तो इस से हमारे शुद्ध निर्यात व्यापार में कोई वृद्धि नहीं होती और न ही हमें कोई अन्य आय होती है। इस से विदेशी मुद्रा की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता।

†अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मेरा आशय यह नहीं। यदि वे लोग मशीनरी के बदले इन कारखानों द्वारा बनाई जाने वाली अतिरिक्त चीनी खरीदने को तैयार हों तो इस से अन्य वस्तुओं के निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

†श्री मनुभाई शाह : हम ने इन सभी बातों पर भली भाँति विचार कर लिया है। सभी उद्योगों, कारखानों तथा आर्थिक विकास की योजनाओं ने देश में सभी क्षेत्रों में इस स्थिति का प्रभाव पड़ रहा रहा है। इसलिये आयात व्यापार पर किये जाने वाले प्रत्येक व्यय राशि के बारे में बड़ी सावधानी व चौकसी रखी जा रही है।

मैं केवल सभा को इतना बताना चाहता था कि हम इन का संघ बना रहे हैं। इसलिये मैं ने वे सारे तथ्य सभा के सामने रख दिये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : यह संघ कितने वर्षों में मशीनरी सप्लाई कर सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दो वर्ष ।

†**श्री च० कृ० नायर** : सभी ३८ मिलों के लिये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : २७ का पहले प्रबन्ध हो चुका है। इस समय केवल शेष ११ की चर्चा चल रही है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २० दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५८]

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३०२३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३०२३—५०

तारांकित

प्रश्न संख्या

११८२	भारतीय उच्चायुक्त के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रचार	३०२३
११८३-क.	कोयला खानों के मजदूरों को लाभांश	३०२४-२५
११८४	आलू के उप-उत्पाद	३०२५
११८५	औद्योगिक कर्मचारी सम्मेलन	३०२५—२७
११८६	लौह अयस्क	३०२७-२८
११८७	इमारतों के निर्माण के लिये रखे गये श्रमिक	३०२८—३०
११९०	अल्युमीनियम और सीमेंट के कारखाने	३०३१—३४
११९१	राष्ट्रपति की जापान यात्रा के समाचार भेजने वाले समाचारपत्रों के प्रतिनिधि	३०३४-३५
११९२	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	३०३५—३७
११९३	श्रीमती सुधा जोशी की कारावास से मुक्ति	३०३७-३८
११९५	टैक्नीकल कर्मचारियों का सामान्य पूल	३०३८—४०
११९६	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था	३०४०-४१
११९७	तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये परामर्श	३०४२-४३
११९८	इलायची और सौंठ का निर्यात	३०४३-४४

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

७	विस्थापित व्यक्तियों के अकर्म वेतन के भुगतान का बन्द किया जाना	३०४५-४६
८	जामिया मिलिया, दिल्ली में बी० एण्ड पाठ्यक्रम	३०४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . ३०५०—३११३

तारांकित

प्रश्न संख्या

११८३	भारी मशीन बनाने का संयंत्र	३०५०

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

११८३-क	कोयला खदान मजदूरों को बोनस .	३०५०-५१
११८८	बर्मा में भारतीय .	३०५१
११९४	गुरुद्वारा बौली साहब, लाहौर	३०५१-५२
११९९	कच्चा मैंगनीज़ . .	३०५२
१२००	दमन में हवाई अड्डा .	३०५२
१२०१	दिल्ली में उद्यानों का आवंटन .	३०५३
१२०२	पुर्तगालियों द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन	३०५३-५४
१२०३	छोटे आविष्कारों को प्रोत्साहन	३०५४
१२०४	जिप्सम का संभरण . .	३०५४-५५
१२०५	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	३०५५
१२०६	परादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात	३०५५
१२०८	अमरीका से तम्बाकू का आयात	३०५५
१२०९	दिल्ली में मजदूरों के लिये सस्ते मकान	३०५६
१२१०	हथकरघे के कपड़े पर छूट .	३०५६
१२११	अब्दुल्ला चरखा . . .	३०५६-५७
१२१२	रबड़ बोर्ड .	३०५७
१२१३	चाय क्षेत्रों का जोनवार वितरण . .	३०५७
१२१४	इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	३०५७-५८
१२१५	भारत में औषध निर्माण .	३०५८
१२१६	दिल्ली में जल-निस्सारण व्यवस्था .	३०५८-५९
१२१७	नई दिल्ली में धोबी घाट . . .	३०५९
१२१८	नेपा न्यूज प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड . .	३०६०
१२१९	औषध निर्माण	३०६०
१२२०	सूडान की सरकार को मान्यता	३०६०-६१
१२२१	हिन्दी में दिये गये भाषणों का प्रसारण . . .	३०६१
१२२३	मिरथाल (पंजाब) में न्यूज प्रिंट एण्ड सलफाइड सैल्यूलोज मिल्ज .	३०६१-६२
१२२४	चाय उद्योग	३०६२
१२२५	बम्बई की द्वितीय पंचवर्षीय योजना . .	३०६२
१२२६	ईराक के साथ व्यापार	३०६२-६३
१२२७	भारत में नगरीय सामुदायिक परियोजनायें . .	३०६३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

१२२८	मजूरी बोर्ड	३०६३
१२२९	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के विरुद्ध पुर्तगाली मामला	३०६४
१२३०	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	३०६४
१२३१	चाय बागान . .	३०६४–६५
१२३२	मौलाना आजाद का मकबरा .	३०६५
१२३३	सीमान्त घटनायें .	३०६५–६६
१२३४	सूती कपड़ा प्रतिनिधि मण्डल . .	३०६६
१२३५	गोआ में उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन के सैनिक अड्डे	३०६६
१२३६	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	३०६६–६७
१२३७	मनीपुर हथकरघा उत्पाद एम्पोरियम	३०६७
१२३८	अखबारी कागज का वितरण . . .	३०६७
१२३९	अगरताला, त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों की मांगें .	३०६७–६८
१२४०	चाय बागान	३०६८
१२४१	भूमि सुधार	३०६८
१२४२	बम्बई राज्य में सूती कपड़े की मिलों का बन्द होना	३०६८–६९
१२४३	आर्थिक विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय तालिका	३०६९
१२४४	होज़री उद्योग . . .	३०७०
१२४५	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये होस्टल	३०७०–७१
१२४६	नई दिल्ली के विजय चौक को सुन्दर बनाना	३०७१
१२४७	युद्ध सामग्री कारखाने	३०७१
१२४८	नेपाल में भारतीय . .	३०७२
१२४९	आकाशवाणी समाचार बुलेटिन	३०७२–७३

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२१३२	पाकिस्तान को निर्यात .	३०७३
२१३३	भूमि सुधार .	३०७३
२१३४	मिचेलिन टायर	३०७३–७४
२१३५	अम्बर चर्खा . .	३०७४
२१३६	ओखला औद्योगिक बस्ती .	३०७५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२१३७	प्रवीण तथा अप्रवीण मजदूर	३०७५–७६
२१३८	पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तर	३०७६
२१३९	बिजली के पंखे	३०७६
२१४०	रेडियो	३०७६–७७
२१४१	आयात व्यापार	३०७७
२१४२	राजघाट पर 'दान पेटी'	३०७७–७८
२१४३	विटामिन 'ए' के उत्पादन की योजना	३०७८–७९
२१४४	हिमाचल प्रदेश में श्रम अधिनियम	३०७९
२१४५	फिल्म संस्था तथा फिल्म उत्पादन ब्यूरो की स्थापना	३०७९
२१४६	सीमा घटनायें	३०७९–८०
२१४७	प्रव्रजन प्रमाणपत्र	३०८०
२१४८	नागा विद्रोही	३०८०–८१
२१४९	राष्ट्रपति टीटो की भारत यात्रा	३०८१
२१५०	तृतीय पंचवर्षीय योजना	३०८१
२१५१	नमूने के तौर पर जनगणना	३०८१–८२
२१५२	कच्चे रबड़ का आयात और निर्यात	३०८२
२१५३	महंगाई भत्ता	३०८२
२१५४	श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन	३०८३
२१५५	पंजाब और मद्रास राज्यों के लिये छोटे पैमाने के उद्योग	३०८३
२१५६	हैदराबाद में नाभिकीय गवेषणा संस्था	३०८४
२१५७	बकरी के बाल	३०८४–८५
२१५८	वस्त्र निर्यात	३०८५
२१५९	मशीनी औजार	३०८५
२१६०	सीमेंट उत्पादन	३०८५
२१६१	गांधी के सिद्धान्तों का प्रसार	३०८६
२१६२	कच्चे क्रोम का निर्यात	३०८६
२१६३	लौह अयस्क का निर्यात	३०८६
२१६४	शिमला में खाली सरकारी इमारतें	३०८७
२१६५	काम दिलाऊ दफ्तर	३०८७

	विषय	पृष्ठः
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१६६	त्रिपुरा में संविदा डिवीजन	३०८७—८८
२१६७	लोदी गार्डन, नई दिल्ली में नकली झील	३०८८
२१६८	सुन्दर बन क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	३०८८
२१६९	उत्तर प्रदेश में रेज़िन व तारपीन का उद्योग	३०८९
२१७०	जमशेदपुर की रोखा खानों में यूरेनियम निक्षेप	३०८९
२१७१	जामसर जिप्सम कम्पनी, बीकानेर	३०८९—९०
२१७२	श्री गंगानगर में भूमि का आवंटन	३०९०
२१७३	निष्क्रान्त सम्पत्ति का आवंटन	३०९१
२१७४	स्थानीय विकास निर्माण कार्य	३०९१
२१७५	सुगन्धि वाले तेल तथा इत्र उद्योग	३०९१—९२
२१७६	कृषि के लिये मशीनें	३०९२
२१७७	बकाया निक्षेप की वसूली	३०९२—९४
२१७८	आन्ध्र प्रदेश में नये औद्योगिक एकक	३०९४
२१७९	पैनों की निबों के लिये आयात लाइसेंस	३०९४
२१८०	त्रिपुरा में अरुंधती नगर कैम्प में डकैती	३०९४—९५
२१८१	प्याज का निर्यात	३०९५
२१८२	पंजाब में मध्यम औद्योगिक बस्ती	३०९५—९६
२१८३	पंचायती रेडियो सेट	३०९६—९७
२१८४	कुमारी अनिता बोस	३०९७
२१८५	इड्डुमन्नूर (केरल) में वर्कशाप	३०९७—९८
२१८६	फ्रांस के साथ व्यापारिक करार	३०९८
२१८७	दिल्ली में भूमि का अर्जन	३०९८—९९
२१८८	पंजाब में उद्योग	३०९९
२१८९	पत्र-पत्रिकायें	३०९९—३१००
२१९०	बड़े-बड़े नेताओं के भाषणों में अभिलेख रखना	३१००
२१९१	आकाशवाणी	३१०१
२१९२	चश्मों के फ्रेमों का आयात	३१०२
२१९३	नई दिल्ली में बौद्ध यात्रियों का विश्राम गृह	३१०२—०३
२१९४	भारत-स्वेडन व्यापार अनुसूचियां	३१०३
२१९५	पश्चिम बंगाल में नारियल जटा उद्योग	३१०३—०४

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१६६	कोटा प्रमाणपत्र	३१०४
२१६७	उड़नशील तेल	३१०४
२१६८	आयात अनुज्ञप्तियां	३१०४–०५
२१६६	हथ करघे की वस्तुयें	३१०५
२२००	चाय परिषदें	३१०५–०६
२२०१	कांच के कारखाने	३१०६
२२०३	हिमाचल प्रदेश में योजना का प्रचार	३१०६
२२०४	दमदम में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र	३१०६–०७
२२०५	तिब्बती सीमा क्षेत्र	३७०७
२२०६	आनन्द पर्वत एस्टेट में केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	३१०८
२२०७	नेफा	३१०८
२२०८	बंगलौर में वाणिज्य मण्डलों (चेम्बर्स आफ कामर्स) की बैठक	३१०९
२२०९	मैसूर (सैलम) में अल्युमीनियम संयंत्र	३१०९
२२१०	सूडान मिस्री कपास का आयात	३१०९-१०
२२११	चाय उद्योग सम्बन्धी सम्मेलन	३११०
२२१२	अफ्रीका एशिया आर्थिक सम्मेलन	३११०
२२१३	पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर ढोरों की चोरी	३१११
२२१४	पंजाब में औद्योगिक एकक	३१११
२२१५	जोतों की उच्चतम सीमा	३१११-१२
२२१६	कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन	३११२
२२१७	लंका में भारतीय	३११२
२२१८	चलचित्र विवाचन बोर्ड	३११२-१३
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	३११४–१६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये—

(१) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत विनियोग लेखे (असैनिक), १९५६–५७ (दर्शनार्थ वाणिज्यिक लेखे सहित) और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५८ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमश:)

(३) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) ९ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च १९५८ तक की अवधि के लिये नेशनल प्रोजैक्टस कन्सट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की लेखा-परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) उक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३९ में प्रकाशित सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (निर्धारित दरें) नियम, १९५८।

(२) दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४० में प्रकाशित सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (ब्रैंड दरें) नियम, १९५८।

(५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ११४१, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८, जिसमें सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (निर्धारित दरें) नियम, १९५८ दिये हुये हैं।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ११४२, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८, जिसमें सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (ब्रैंड दरें) नियम, १९५८, दिये हुये हैं।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ११४३, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८।

(चार) जी० एस० आर० संख्या ११४४, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८।

(६) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० ११७७ की एक प्रति।

(७) जेन के लड़ाकू जहाजों के बारे में श्री उमाचरण पटनायक के तारांकित प्रश्न संख्या १५५० के २४ सितम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(८) लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या १२५ की एक प्रति।

राज्य सभा से सन्देश ३११६

सचिव ने राज्य-सभा से एक सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य-सभा ने १८ दिसम्बर, १९५८ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९५८ को पारित किये गये आसाम रायफल्ज (संशोधन) विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . ३११६

चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३११६

बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

एक सदस्य की क्षमा याचना के बारे में अध्यक्ष की घोषणा . . ३११७

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा के सदस्य, श्री लीलाधर कटकी द्वारा सभा की अनुमति के बिना आसाम विधान सभा की प्रवर समिति के सामने साक्ष्य देने के लिये क्षमा मांगने की सभा को सूचना दी।

विधेयक पारित ३११७–३१

चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव और विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के संशोधन पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। विधेयक को परिचालित करने का संशोधन वापस लिया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ३१३१

तैंतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापस लिया गया . . . ३१३१—५१

देश में भूमि सुधार की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये समिति सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गए पत्र—(**क्रमशः**)

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन ३१५२

श्री सुविमन घोष ने देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियन्त्रण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा . . . . ३१५२—६०

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने आन्ध्र में चीनी के सहकारी कारखानों के बारे में ४ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) और उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

शनिवार, २० दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, और उड़ीसा बांट व माप (दिल्ली निरसन) विधेयक पर विचार करना और उन्हें पारित करना तथा लागत व निर्माण लेखापाल विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के सम्बन्ध में राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने के प्रस्ताव पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।